खण्ड-394, अंक-5
सोमवार, 25 पौष, शक संवत् 1911
(15 जनवरी, 1990 ई0)

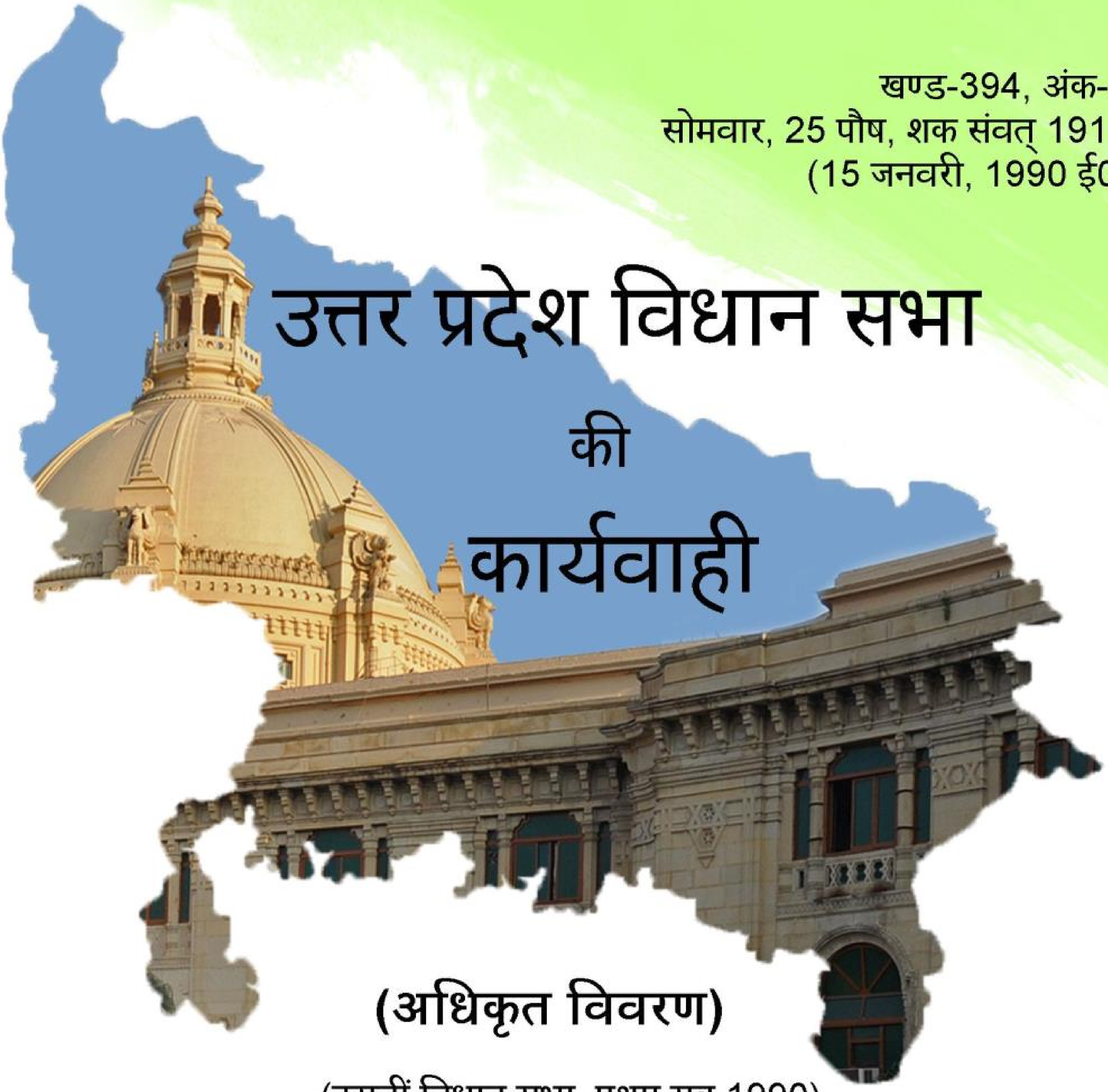

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1990)

खण्ड 394 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1
नियम 301 की सूचनायें	57
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचना से सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	58
माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
प्रदेश के गांधी आश्रम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बदायूं में धान एवं बाजरा की खरीद की समुचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
वाराणसी जिलान्तर्गत ब्लाक पिंडरा के विद्युत सबस्टेशन की विद्युत वितरण व्यवस्था ठीक किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	60
जनपद शाहजहांपुर की तहसील व ब्लाक जलालाबाद में रबी की फसलों को जंगली गायों द्वारा नुक्सान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	61
नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचना से सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	61
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद शहर में पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता व, प्रेस सम्वाददाता श्री जितेन्द्र जैन पर किये गये निर्मम प्रहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य लिखित सूचना के अतिरिक्त शब्द बोलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	65
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	65
श्री पंचानन राय द्वारा दी गयी नियम 103 के अन्तर्गत सूचना	67
रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में विधान सभा के चार सदस्यों की सदस्यता हेतु निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	68
चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने के लिये श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	69
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सदस्यों के भाषण के समय का निर्धारण	69

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	71
सत्तापक्ष तथा विरोध पक्ष की स्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	92
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	93
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित) .	131
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990..... (पारित)	133
उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित)	137
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	148
नत्थियां .. .	149

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 जनवरी, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:----

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फर नगर	बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तर काशी
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर	यशवंत, श्री	आजमगढ़
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कालीचरण, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा	रिफाकत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
चन्द्रकली वर्मा, श्रीमती	सीतापुर	लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री	मेरठ
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थ नगर	[illegible] सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
तीरथराज, श्री	सोनभद्र	सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
दीपनारायन, श्री	आजमगढ़	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून
दौलतराम, श्री	सीतापुर	हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर		

विधान सभा सचिवालय

बिधान सभा प्रदेश पुदुच्चेरी

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 15 जनवरी, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजाजीपुरम, आलमनगर, लखनऊ में राजकीय कन्या विद्यालय खोलने की मांग

***1.—श्री शारदानन्द नन्द अंचल, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्री शिव प्रताप शुक्ल तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजाजीपुरम आलमनगर, लखनऊ तथा उसके आस पास के तमाम इलाके जो लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में आते हैं, में लाखों व्यक्ति निवास करते हैं, परन्तु उनके बच्चों के लिए इस क्षेत्र में कोई हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट कन्या विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या राजाजीपुरम में एक उक्त स्तर का राजकीय कन्या विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी)—

जी हां ।

सम्प्रति यहां विद्यालय खोलना विचाराधीन नहीं है ।

वर्तमान योजना में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री शारदानन्द अंचल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे, इस क्षेत्र में एक कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खुलवा देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, अभी तो इसका कोई प्राविधान है ही नहीं, तो मैं स्पष्ट आश्वासन कैसे दे सकता हूं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि इन स्कूलों को खोलने के संबंध में शासन की नीति क्या है ? जो प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल खोले जाते हैं वे किस आधार पर खोले जाते हैं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, इस संबंध में वही पुरानी नीति है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात डेढ़ किलोमीटर पर बनाये जाते हैं और यह कार्य जिला योजना के अंतर्गत किया जाता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जो क्षेत्र ज्यादा पिछड़े हुये हैं और जहां पर किसी प्रकार का कोई कालेज नहीं है, प्राइवेट लोग भी वहां विद्यालय नहीं खोलते हैं, तो ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में इन विद्यालयों को खोलने में सरकार क्या प्राथमिकता देगी ताकि वहां के गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, वित्तीय संसाधनों को देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है ।

श्री रविदास मेहरोत्रा–

मान्यवर, राजाजीपुरम में आवास विकास परिषद् ने जब मकानों का अलॉटमेंट किया था, तब उस समय मकान लेने वालों को यह आश्वासन दिया गया था कि वहां पर कन्या हाईस्कूल व कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खोले जायेंगे । यह आश्वासन विकास परिषद् ने 20 साल पहले लोगों को दिया था, किन्तु आज तक वहां पर एक भी कन्या कालेज की स्थापना नहीं हो पायी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, आवास विकास परिषद् या नगर विकास परिषद् ने क्या आश्वासन दिया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री किशन सिंह नड़ागी–

मान्यवर, इन स्कूलों को खोलने के संबंध में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए क्या एक ही प्रकार के माप दण्ड हैं या इनमें अंतर है ? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय खोलते समय वहां की भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति ध्यान में रखी जाती है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, अभी आपने बताया कि योजना में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए खोलना सम्भव नहीं है, तो क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि तालकटोरा, राजाजीपुरम और आलमनगर जो लाखों की जनसंख्या का क्षेत्र है और उनमें बहुत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और सचिवालय के कर्मचारी भी रहते हैं, तो क्या वहां जो विद्यालय कक्षा 8 या 10 तक के चल रहे हैं, उनको ही 9 (4) में मान्यता प्रदान कर इण्टरमीडिएट तक आप कर देने की कृपा करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अकेले तालकटोरा इलाके की यह समस्या नहीं है । प्रदेश में जिस प्रकार से महानगरों की आबादियां बढ़ी हैं, उन सभी स्थानों की, कई जगहों का यह प्रश्न है, किन्तु वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मैं आपके माध्यम से और आपकी अनुमति से एक नीतिगत प्रश्न का मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं, तिवारी जी की जब सरकार थी, जो शिक्षा के बड़े प्रेमी थे, उन्होंने एक आदेश कर दिया था कि किसी नए जूनियर हाईस्कूल को मान्यता नहीं दी जायेगी । इसमें वित्तीय संसाधनों का कोई सवाल नहीं था, मान्यता प्रदान करने पर पाबन्दी लगा दी थी, तो क्या मंत्री जी प्रदेश हित को देखते हुए उस काले कानून को अब वापस लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, अभी अल्पावधि में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में वर्तमान सरकार का क्या लक्ष्य है ? तो इस संबंध में प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल खोलने हेतु आप इस संवैधानिक दायित्व की पूर्ति कितने वर्षों में कर सकेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

यह बड़ा व्यापक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है

श्री पंचानन राय–

इसमें मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

और मान्यवर, आप देखें कि इनके पूरके प्रश्न का प्रस्तुत मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि डेढ़ किलोमीटर पर एक प्राइमरी विद्यालय खोलने की इनकी योजना है, तो डेढ़ किलोमीटर पर एक विद्यालय खोलने से कितने विद्यालयों की और प्रदेश में आवश्यकता होगी और उसके लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी और उसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? एन0आर0ई0पी0 और एल0ई0पी0 की जो योजनाएं थीं, वह तो जिला योजना में चली गई और जिला योजना तो अब समाप्त हो गई है, तो अब इन विद्यालयों को खोलने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री सच्चिदानद बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूर्व में निवेदन किया था हाईस्कूल इण्टरमीडियट कन्या विद्यालय खोलने के बारे में, लेकिन यह प्राइमरी और जाने क्या-क्या पूछ रहे हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, अनुपूरक में सब पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अंचल जी आप आखिरी प्रश्न कर लें आपका मूल प्रश्न है।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ राजाजीपुरम में लाखों की आबादी है वहां केवल कक्षा आठ तक की पढ़ाई होती है क्योंकि पूर्व की सरकार ने शिक्षा को तहस-नहस करके रख दिया और कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निकट भविष्य में जब भी संसाधन हों, चाहे मान्यता विद्यालयों को दें चाहे सरकार इण्टरमीडिएट कालेज खोलें इस बारे में बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप भी उपाध्याय जी प्रश्न कर लें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

राजाजीपुरम में कक्षा 8 के कई विद्यालय हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसी भी विद्यालय को, क्या वह हाईस्कूल की मान्यता देने की कृपा करेंगे, जिससे वहां के छात्रों को शिक्षा की सुविधा मिल सके ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जूनियर हाईस्कूल के जो विद्यालय हैं अगर वह नियमों के अंतर्गत अपना आवेदन पत्र भेजेंगे तो उसको किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा तथा वर्ग बढ़ाने एवं वित्त विहीन मान्यता प्रणाली समाप्त करने की मांग

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा तथा वर्ग बढ़ाने की मान्यता के लिए लागू वित्त विहीन मान्यता प्रणाली को शिक्षा प्रसार के हित में समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे कब तक रद्द कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वित्त विहीन मान्यता प्रणाली को समाप्त किया जाना सम्प्रति अभी सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[सोमवार दिनांक 15 जनवरी, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्राइमरी पाठशाला बूंचपुर इटावा के निर्माणाधीन भवन को पूरा कराने की मांग

–श्री धनीराम वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद की विधूना तहसील में वर्ष 1986 से 1989 के मध्य बनाई गई प्राइमरी पाठशालाओं बूंचपुर में नई इमारतों की छतें व दीवालें टूट गई हैं और छात्र खुले आकाश में विद्या अध्ययन करते हैं ? यदि हां, तो उक्त इमारतों को बनाने वाले ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

जी नहीं । पाठशाला का नया भवन निर्माणाधीन होने के कारण छात्रों का अध्ययन कार्य श्री इन्द्रपाल सिंह भदौरिया के घर में किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, पहला तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि यह जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं यह उसी दिन सुबह मिल जाया करें । आज 10.40 पर मुझे प्रश्न का उत्तर मिल सका, तो इसमें आप ऐसे आदेश कर दें कि जिस दिन प्रश्न हो उसी दिन उत्तर सुबह ही मिल जाया करें । मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया 'जी हां' 'जी नहीं'

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें

श्री धनीराम वर्मा–

मेरा जनपद इटावा के बारे में प्रश्न था । मैंने पूरे जनपद के लिए प्रश्न पूछा था । जो मेरा मूल प्रश्न है उसको आप देख लें इसमें कटौती की गई है । मैंने जो प्रश्न किया था उसमें पूछा था कि वर्ष 1986-87, 1987-88 में कितने विद्यालयों की इमारतें बनाए जाने के लिए पैसा दिया गया ? और उनमें से कितनी इमारतें बनाई गई ? और उसमें से कितनी अपूर्ण हैं, कितनी टूट गई ? मेरा यह प्रश्न था । मान्यवर, उसमें दो स्कूलों के बारे में स्पेसिफिक रूप से उल्लेख था । एक तो रुरुखुर्द प्राइमरी पाठशाला और दूसरे बूंचपुर प्राइमरी पाठशाला । मैं जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इटावा में विधूना तहसील में रुरुखुर्द की इमारत हैंड ओवर के पहले ही गिर गयी है और बूंचपुर स्कूल की इमारत जो बनकर तैयार भी नहीं हुयी है उसके बरामदे का पिलर गिरने की स्थिति में है । मैं यह भी जानना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया है, मंत्री जी को उत्तर देने दें

श्री धनी राम वर्मा–

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बूंचपुर की इमारत किस स्तर पर है, उसका भुगतान कर दिया गया है या नहीं ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कि वह कृपया एक बार पुनः अपना प्रश्न पढ़ें, उनका प्रश्न था कि क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद की विधूना तहसील में वर्ष 1986 से 1989 के मध्य बनाई गयी प्राइमरी पाठशालाओं बूंचपुर में नयी इमारतों की छतें व दीवालें टूट गयी हैं । तो उसका उत्तर मैंने दे दिया है "जी नहीं" । माननीय सदस्य व्यापक स्तर पर प्रश्न पूछना चाहते हैं । जितना प्रश्न उन्होंने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है उनका कहना है कि इस विद्यालय का भवन बना ही नहीं ।

श्री हरद्वार दुबे–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा के नाम पर विद्यालयों के लिए पिछले वर्ष इटावा जनपद में कितना अनुदान दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं, इससे इस प्रश्न का क्या संबंध है ? आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं । ऐसा कोई दूसरा प्रश्न न करें जिसके लिए सूचना की आवश्यकता हो । कोई स्पष्टीकरण हो, जो उत्तर में स्पष्ट न हुआ हो, उसको पूछ सकते हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने प्रश्न साफ-साफ किया है कि यह जो भवन है वह बना ही नहीं है । उनका स्पष्ट कहना है कि एक अधबना खड़ा है और दूसरा गिर गया है जिसका पेमेंट हो गया है । तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवा लें और जांच के बाद जो दोषी पाया जाय उसको दंडित करें

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, यह माननीय वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा है, मैं स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं । यह जिस विद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा गया है, इसे आर0 ई0 एस0 करवा रहा है । कमरों में अभी तक दरवाजे, खिड़कियां नहीं लगी हैं, प्लास्टर, किवाड़, फर्श बनवाना शेष है । उक्त निर्माणाधीन भवन की छतें व दीवालें टूटी नहीं हैं, बरामदे में एक क्रैक जरूर है । यह विद्यालय अभी शिक्षा विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें छत, खिड़की, किवाड़ आदि लगे हैं या नहीं, माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे, उसको मैं दिखवा लूंगा ।

डाक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित साहित्यों को पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से रखने की मांग

*2–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डाक्टर भीमराव अम्बेदकर द्वारा लिखित सारे साहित्य को प्रदेश के हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों, अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों और सरकारी पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से अविलम्ब रखने का निर्णय सरकार ने किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा किया जाना अनिवार्य नहीं है ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा के खड़े होने तथा माइक खराब होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माइक अगर ठीक नहीं है, तो हमें खेद है, आगे माइक पर आ जाइये । दो दिन यह व्यवस्था चलनी है, अगले सत्र में ठीक हो जायगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, यह जानते हुए कि बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर का साहित्य दलित और पिछड़ेवर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायक और उन्नतिकारी है, सरकार इस प्रश्न में वर्णित स्थानों में अनिवार्य रूप से रखेगी अथवा अनिवार्य रूप से रखने में क्या कठिनाई है, इसे बताएगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर का साहित्य केवल दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह साहित्य सभी के लिए है और सभी के लिए प्रेरणादायक है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, जब सबके लिए यह उपयोगी साहित्य है, तो इसे अनिवार्य रूप से प्रश्न में वर्णित स्थानों में सरकार अनिवार्य रूप से रखवायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, जो भी साहित्य अच्छा होता है, उसे हम हर पुस्तकालय में रखवाने का प्रयास करते हैं ।

प्रदेश के रिक्त जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने की मांग

*3–श्री गुलाब सिंह (मिर्जापुर)–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में जिला परिषद् के अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं हुआ है ? क्या उक्त जिला परिषदों का चुनाव निकट भविष्य में करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

प्रदेश में जनपद आजमगढ़, बलिया, बस्ती, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, मऊ, हरिद्वार, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, सोनभद्र तथा महाराजगंज की जिला परिषद् हेतु अध्यक्ष पद का निर्वाचन नहीं हुआ है ।

उपर्युक्त जनपदों में जिला परिषदों के चुनाव यथाशीघ्र कराये जायेंगे ।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, जनपद सोनभद्र का अभी तक नोटीफिकेशन नहीं हुआ है । क्या यह सम्भव है कि अन्य जनपदों के साथ, जहां तब तक चुनाव नहीं हुए हैं, यहां का भी एक साथ ही चुनाव करा देंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, जब सब जगह के चुनाव होंगे, तो जरूर सोनभद्र का चुनाव करा दिया जायगा ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

आपकी पार्टी नामिनेशन के खिलाफ अभी तक रही है और अभी तक पांच सदस्य नामिनेट होते रहे हैं, क्या आप पांच सदस्य को नामिनेट करेंगी या इस प्रणाली को खत्म करेंगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

अभी इस पर विचार हो रहा है । अगर नामिनेशन होते रहे हैं, और अगर आवश्यकता होगी, तो करेंगी, इस पर अभी विचार हो रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उन्होंने फिरोजाबाद का नाम लिया अपने उत्तर में, मान्यवर, आगरा फिरोजाबाद ऐसे 5 जिले हैं जिनके चुनाव नहीं हुए हैं । इसलिए आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा फिरोजाबाद और जो जिले हैं जिनमें जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं उन जिला परिषदों में चुनाव कराने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने की कोशिश करूंगी । सब जगह के जब चुनाव होंगे तो फिरोजाबाद के भी हो जायेंगे ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के बीच पेंशन में विसंगति को दूर करने की मांग

*4–श्री अमर नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों के वर्ष 1974 के पूर्व के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य वर्ष 1974 के बाद के अवकाश प्राप्त अध्यापकों से कम पेंशन पा रहे हैं ? यदि हां, तो इस विसंगति का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस विसंगति को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

दिनांक 30 जून, 1974 के पूर्व सेवानिवृत्त अध्यापक लाभत्रयी योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं जबकि दिनांक 30 जून, 1974 के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं । इसी कारण वर्ष 1974 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों की पेंशन अपेक्षाकृत अधिक है ।

सम्प्रति यह प्रकरण विचाराधीन नहीं है क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसा किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस कल्याणकारी राज्य के आप शिक्षा मंत्री हैं एक तो कल्याणकारी राज्य का शासन है वहां 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों की पेंशन 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर रहे हैं । इसमें 1974 से पूर्व अध्यापक या प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं उनको 60 से 74 रुपया पेंशन मिलती है ? क्या उनकी पेंशन अधिक करने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष–

आपने तो मूल उत्तर ही दुबारा पूछ लिया ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जिन्होंने 1974 को अवकाश ग्रहण किया है उनको राजकीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन दी जाती है । (व्यवधान) 75 साल से ज्यादा उम्र है, 60 साल में रिटायर हुए, 89 हो गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी थोड़ी सी संख्या है, कठिन वक्त में उन्होंने प्रदेश को शिक्षा दी होगी, 15 वर्ष पहले रिटायर हो गये, वृद्धावस्था में हैं, थोड़ी सी संख्या उनकी होगी तो क्या उनकी कठिनाइयों पर ध्यान देते हुए सरकार विचार करेगी कि जो थोड़े से अध्यापक बचे हैं उनको वर्तमान दर पर पेंशन अनुमन्य कर दी जाय ?

मान्यवर, मा0 मंत्री जी बैठे हैं । ऐसे मात्र हजार, डेढ़ हजार अध्यापक होंगे । मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में उदारतापूर्वक घोषणा कर दें ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मा0 सदस्य विद्वान व्यक्ति हैं । जिन सेवा शर्तों और वेतनक्रम में वे नियुक्त हुए थे, उसकी सुख सुविधा का लाभ व पेंशन वे पाएंगे । अब इस तरह का और कोई विचार हमारा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, जो दोबारा प्रश्न हुआ अनुपूरक, उसमें था कि क्या आप इस पर उदारतापूर्वक विचार कर पाएंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मामला है कि अगर प्रधानाचार्य जी के लिये करेंगे तो अन्य विभागों में भी यही सवाल उठता है । यहां अगर विसंगति होगी तो सब जगह हो जायगी । अगर पंचानन राय जी की दृष्टि में 75 साल से ज्यादा के ऐसे असहाय और बेसहारा हैं तो उन पर विचार कर सकते हैं । लेकिन आम तौर से विचार करना सही नहीं है । जो बेसहारा और दुखी हैं उन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री पंचानन राय–

यह उत्तर संतोषजनक नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को विनियमित करने की मांग

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 मा0 विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों की सेवाओं को विनियमित किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त विनियमितीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में तहसील स्तर पर बालिका हाई स्कूल खोलने की योजना

*6–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर बालिका हाईस्कूल खोलने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने ऐसे तहसील मुख्यालय हैं जहां बालिका हाईस्कूल नहीं हैं और वहां कब तक राजकीय बालिका हाईस्कूल खोल दिए जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*7–श्री राजकिशोर सिंह–

[तीसरे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा को समाप्त किए जाने की मांग

*8–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा पर हो रहे करोड़ों रुपयों के व्यय को सरकार बन्द करने और उसे बेसिक शिक्षा पर व्यय करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा समाज के ऐसे निर्बल वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है जो अपनी विषम सामाजिक परिस्थितियों के कारण नियमित विद्यालयों की शिक्षा से वंचित रह गए हैं । अतः इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समाप्त करना जनहित में नहीं होगा ।

श्री उदल–

मान्यवर, क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि वह ऐसे कौन से निर्बल वर्ग हैं, क्या उनको बताने की कृपा करेंगे ? दूसरे न पूरे प्रदेश की जांच करावें तो बनारस के ब्लाक कुण्डारा और बड़ागांव में जांच करायेंगे कि कितने निर्बल वर्ग के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा दी गयी । इसमें बिलकुल गलत तरीके से फर्जी लोगों के नाम पर लाखों रुपया फर्जी तरीके से खाया जा रहा है । इसकी जांच करायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा में दो प्रकार की योजनाएं हैं । ये अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित संस्थाएं हैं तो निश्चित रूप से जांच करायेंगे ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह तथ्य है कि करोड़ों रुपया सरकार का प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा पर खर्च हुआ है, तो इस पूरी बात को ध्यान में रखते हुए कि यह शिक्षा उपयोगी है या अनुपयोगी है, इसकी हानि लाभ की जांच कराने के लिए किसी समिति का गठन करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है । विभाग सचेष्ट है इसका कार्यान्वयन करने के लिए

श्री ओम प्रकाश यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से इस योजना में करोड़ों रुपया हड़पा जा रहा है । क्या मा0 शिक्षा मंत्री जी सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम न दिया जाय और सारा कार्य सरकारी स्तर पर ही कराया जाय, क्या इस पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, यह स्वयंसेवी संस्थाएं प्रदेश शासन द्वारा पोषित नहीं हैं ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, यह विदित ही है कि प्रौढ़ शिक्षा में घपला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है । इस सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपनी बात कही है । मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जीफिकेशन है, उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाकर, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि वह किसी केन्द्र विशेष के बारे में कोई लिखित सूचना हमें देंगे तो निश्चित रूप से वहां के बारे में कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकार ने इस बात को दोहराया है सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहेगा । साथ ही साथ यह बात कही गयी है कि पिछली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को जो प्रोत्साहन दिया गया था उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह सरकार कृतसंकल्प है । लेकिन, श्रीमन्, जिस प्रकार के उत्तर आ रहे हैं, विशेष अन्तर इस सरकार में और पहली सरकार में नहीं है । मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य मानता है कि प्रौढ़ शिक्षा के मसले को लेकर भ्रष्टाचार की एक नहीं अनगिनत घटनाएं हर जिले में हो रही हैं । बार-बार कहा जा रहा है कि विभाग सचेत है किसी इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपना प्रश्न करें ।

डा0 सुरजीत सिंह डंग–

मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई ठोस कदम इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाने जा रहे हैं ? केवल सचेत करने से काम नहीं चलेगा ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं और बहुत जोरदार ढंग से कहना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार की करनी में और कथनी में फर्क न था और न रहेगा और आगे दिखाई पड़ेगा कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । मैंने श्रीमन् निवेदन किया कि माननीय सदस्यों की ओर से लिखित रूप से किसी केन्द्र विशेष के बारे में शिकायत आयेगी तो कड़े से कड़ा दण्ड उस अधिकारी और कर्मचारी को दिया जायेगा । एक बात और कहना चाहूंगा कि शिक्षा ऐसा विषय नहीं है कि जो अकेले शासन द्वारा संचालित हो इसमें जनसहयोग की भी अपेक्षा है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का पूरा-पूरा सहयोग हमें शिक्षा के कार्यान्वयन में, कार्यक्रम में मिलेगा । (कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी आप लोग बैठें, ऐसे सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदस्य अगर लिख करके देंगे तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मैं माननीय मंत्री जी से पुनः इस बात को जानना चाहता हूं कि जो लोग इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं अगर उनके बारे में लिखकर के देंगे तो क्या वे उसी वक्त समाप्त हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पहले आप उन्हें लिखकर के दे दीजिए, न कार्यवाही हो तो तब आप प्रश्न करिए ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

वर्तमान वित्त वर्ष में प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिये कितना धन आवंटित किया गया ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

वर्तमान प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो मैंने भिडंरा तथा बड़ागांव दो ब्लाकों का नाम लिया । तो क्या माननीय मंत्री जी इन दोनों ब्लाकों की जांच करायेंगे कि कितने निर्बल वर्ग के लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी गयी और इसमें कितना काम फर्जी हुआ ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य मित्र भी हैं, अनुभवी भी हैं और बड़े पुराने सदस्य हैं । इन्होंने दो ब्लाकों का समवेत रूप से नाम लिया है । इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सबका सब गलत हो । इन ब्लाकों में जो केन्द्र इस प्रकार के हों, उनका नाम बता दें, हम इसकी निश्चित रूप से जांच करायेंगे ।

(मुख्य मंत्री के पास कई सदस्यों द्वारा आकर बात करने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा । जिस समय यहां प्रश्न और उत्तर का समय चल रहा हो, अपने दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करें कि वह इसको कार्यालय न बनायें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह तो आपने मेरा सहयोग किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि लिखकर देने पर जांच करवा देंगे । तो जब हम लोगों के लिखकर देने पर ही जांच की जायगी, तो इन अधिकारियों की क्या आवश्यकता है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मालूम है कि अभी इस सरकार को मात्र सवा महीना हुआ है । हम अपने नियंत्रण को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने सहयोग की भी अपील की है ।

श्री मूलचन्द्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि विगत सरकार के अपने कार्यकाल में प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में जो भ्रष्टाचार हुये हैं, उनको मिटाने के लिये क्या माननीय मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जांच कराने की क्या करेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सरकार की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। तो क्या यह बात इन्होंने वर्तमान सरकार के बारे में कही है या माननीय मंत्री जी जब पूर्व सरकार में शिक्षा मंत्री थे, अपने उस समय के कार्यकाल के बारे में कही है।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा की नीति और पद्धति पर जो व्यय हो रहा है, उससे पूर्णतया संतुष्ट हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी वर्तमान सरकार के मंत्री की हैसियत से आप उत्तर दें।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य भी बहुत अनुभवी हैं, पुराने सदस्य हैं और मित्र भी हैं। शायद वह यह भूल गये कि मैं शिक्षा मंत्री कभी नहीं रहा, मैं राज्य शिक्षा मंत्री रहा। यह जो कथनी और करनी की बात कही गई है जब वक्त आयेगा, उस समय आप स्वयं परीक्षण करेंगे कि वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

शिक्षा विभाग में ज्येष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित अधिसूचना का पालन

*9–श्री इन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित/प्रसारित अधिसूचना सं0-15/38/84-कार्मिक, दिनांक 21 जून, 1984 द्वारा स्तम्भ-2 में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु क्या-क्या संशोधन किया गया है ? क्या शिक्षा विभाग द्वारा इस अधिसूचना का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो दिनांक 1-12-89 तक शिक्षा विभाग के पुरुष एव महिला शाखा के अन्तर्गत सी0 टी0, स्नातक वेतनक्रम, प्रवक्ता एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनक्रम में कार्यरत सामान्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पृथक-पृथक ज्येष्ठता एवं पदोन्नति हेतु पात्रता सूचियां तैयार कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक तैयार कर दी जायेंगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रश्नगत अधिसूचना ज्येष्ठता निर्धारण से संबंधित नहीं है अपितु यह पदोन्नति हेतु विभागीय चयन से संबंधित है।

इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी शिक्षा निदेशकों को दे दिये गये हैं।

सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची बनाने का कोई नियम नहीं है।

जहां तक पदोन्नति हेतु अलग-अलग पात्रता सूचियां तैयार करने का प्रश्न है यह चयन के समय रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुये तैयार की जाती है, पहले से तैयार करके नहीं रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई करने की मांग

*10—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालयों में लगभग 350 कर्मचारी ऐसे हैं जो यहां 5 वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनमें से कुछ रिटायर भी होने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उन कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 कार्यालयों में कार्यरत कुल 450 दैनिक श्रमिकों में से 362 दैनिक श्रमिक पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ।

ये कार्यालय के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, अतः इनके सेवा निवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में 450 ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक स्थाई नहीं हुए हैं और 350 ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से स्थाई नहीं हुए हैं । स्वाभाविक है कि उनकी कोई आवश्यकता रही होगी जिसकी वजह से उनकी नियुक्ति की गई । 5 साल से अधिक समय से सेवा कर रहे अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को भ्रम रहा है । संख्या के बारे में मैंने जो संख्या बताई है, उसमें वह संशोधन कर लें । 362 दैनिक श्रमिक ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक समय से हैं और शेष बाद के हैं । शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सरकार ने आते ही अपनी तरफ से इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात की है और इस संबंध में जो भी सम्भव हो सके वह करने का हम प्रयास भी कर रहे हैं अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 362 ऐसे श्रमिक हैं जो 5 साल से अधिक समय से अस्थाई हैं । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह स्पष्ट नहीं है । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 महीने, 6 महीने या एक साल से अधिक समय से जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको नियमित कर देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमने इन श्रमिक नेताओं से बात की है अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए । वे लोग संतुष्ट भी हैं । उसमें क्रमिक रूप से वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उनके संबंध में विचार करेंगे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 362 दैनिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उसमें सबसे अधिक लम्बे समय से कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि हमने श्रमिक नेताओं से बात कर ली है । हम तो सरकार से यह जानना चाहते हैं कि सरकार की नीति उनके स्थायीकरण के बारे में क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

स्थायीकरण का प्रश्न पहला नहीं है । पहला प्रश्न है उनके रेगुलराइजेशन का, जिसके संबंध में मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए क्रमशः धीरे-धीरे करके हम उनको विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री पंचानन राय–

सबसे पुराना जो कर्मचारी है, उसकी सेवा कितने वर्षों की है, यह बता नहीं रहे हैं । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

जो सवाल आपने किया माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया । अब आप सन्तुष्ट न हों, यह अलग बात है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–11 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य के सदन में उपस्थित न होने पर),

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या–11 में रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

इसे बाद में ले लेंगे ।

दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी के जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों के किसानों की फसलों को क्षति से बचाने का प्रस्ताव

*11–श्री निरवेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि "दुधवा नेशनल पार्क" जनपद-लखीमपुर-खीरी के हाथी, सुअर, चीतल, पाढ़ा, साभर, बारासिंघा व अन्य जानवरों द्वारा समीपवर्ती गांवों के किसानों की फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो किसानों की उक्त समस्या के समाधान हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद असलम खां)–

दुधवा नेशनल पार्क जनपद लखीमपुर खीरी में हाथियों की स्थायी आबादी नहीं है बल्कि कभी-कभी हाथी नेपाल से सीमा पार करके इस पार्क में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ ही समय बाद वे पुनः वापस नेपाल चले जाते हैं । इन हाथियों द्वारा पार्क के निकट ग्रामों की कृषि फसलों को क्षति नहीं पहुंचायी जाती क्योंकि वे पार्क के अन्दर ही रहते हैं । सुअर, चीतल, पाढ़ा, सांभर, बारहासिंघा दुधवा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र से लगे गांवों

के खेतों में कभी-कभी रात में प्रवेश कर जाते हैं और इन वन्य पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को कुछ क्षति अवश्य पहुंचायी जाती है। इस समस्या के निदान हेतु दुधवा राष्ट्रीय पार्क की 18.5 कि0मी0 संवेदनशील सीमा को विद्युत तार-बाड़ से घेर दिया गया है जिससे दुधवा पार्क के ये वन्य पशु खेतों में न जा सकें।

समान शिक्षा नीति लागू करने की मांग तथा इसका प्रारूप

12—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सबके लिए समान शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मुख्य मंत्री जी ने भी बताया था कि प्रदेश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने जा रहे हैं, उसमें कोई अन्तर नहीं होगा, यह समाचार-पत्रों में भी देखा था। समान शिक्षा नीति के संबंध में प्रश्न किया है तो क्या आप पुरानी सरकार की नीतियों के आधार पर सरकारी अधिकारियों द्वारा दिये गये जवाब को ही सदन में देंगे या अपनी नीतियों के अन्तर्गत जो आपका वक्तव्य है उस पर भी ध्यान देंगे? आपका जवाब "जी नहीं" नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

यह प्रश्न ही तो है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सबके लिए समान शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है? इसके उत्तर में इन्होंने जवाब दिया कि "जी नहीं", इसमें इन्होंने "प्रारूप" के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा जो उत्तर दिया गया, वहीं उत्तर यहां दे दिया गया, यह बात सही नहीं है, उत्तर मैंने स्वयं दिया है। माननीय सदस्य को सम्भवतः प्रश्न पूछने में भ्रम हो गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या निर्णय ले लिया है? मेरा उत्तर है कि निर्णय नहीं लिया है।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि निजी सेक्टर के विद्यालयों को समाप्त करके समान शिक्षा नीति लागू करेंगे? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि शिक्षा के बीच जो खाई है, उसको पाटने के लिये क्या निजी सेक्टर के विद्यालयों को खत्म करने की कृपा करेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पुनः पढ़ लें, मूल प्रश्न में है कि निर्णय लिया गया है अथवा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से प्रश्न हो चुके। अब माननीय आभा जी को आप लोग प्रश्न पूछने दें।

[श्री सुन्दर लाल बाराबंकी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बराबर बोलने का प्रयास करने पर]

माननीय दीक्षित जी, आप सदन पर कृपा करें, मैंने माननीय आभा जी को बुला लिया है। मा0 सुन्दर लाल जी जो प्रश्न को दोहरा रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा और न समाचार-पत्र में ही आयेगा तो फिर आपका समय नष्ट करने से क्या लाभ है? आप मा0 आभा जी को प्रश्न करने दें।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी का उत्तर बड़ा निराशाजनक रहा और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस आदरणीय सदन के तमाम लोग हैं जो कि समाजवादी नीतियों से जुड़े हुए हैं। माननीय नेता विरोधी दल तथा मा0 नेता सदन भी जिन्होंने नारा दिया था समान शिक्षा नीति के संबंध में लेकिन खेद की बात है मा0 शिक्षा मंत्री जी ने जिनकी स्वयं की भी प्रतिबद्धता है, मैं मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि क्या वे इस आदरणीय सदन को बतलायेंगे कि शिक्षा की नीतियों के संबंध में वे एक कमेटी बनायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मैंने निवेदन किया कि प्रश्न जो पूछा गया था उसी का उत्तर इसमें दिया गया है। जहां तक समान शिक्षा और प्रतिबद्धता की बात है, उसके कार्यान्वियन के संबंध में कि किस तरह से इसे लागू करेंगे। कौन सी पद्धति बनायेंगे तो इसमें मा0 सदस्य ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवी, पत्रकार साथी तथा अन्य विशेषज्ञों की बैठक करके जो कि सुविचारित इस पर फैसला ले सके, उसके मूर्त रूप को शिक्षा के संबंध में लागू करने पर विचार किया जायेगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आपकी जो भावनायें हैं उस पर निर्णय लिया जायेगा कि निर्णय कैसे हो, क्या हो तो इस संबंध में रुचि रखने वालों के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जायेगा, इसके उपरान्त अब आप क्या पूछना चाहते हैं? अब आप कृपा करके बैठें।

(संख्या 13 के पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इधर के लोगों को आप कोई प्रश्न नहीं करने दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

इधर से ही प्रश्न पूछा गया था। आप इस संबंध में बतला दें सबका समान अधिकार है। प्रश्नों में विशेषकर विपक्ष में बैठने वाले लोगों पर ही मैं अधिक ध्यान दे रहा हूं। मान्यवर, मुझे अब आगे चलने दें। इसके संबंध में मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बतला दिया है। मा0 मंत्री जी अब आप प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दें।

राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल (लैन्सडौन) गढ़वाल में छात्रों द्वारा हड़ताल एवं क्रमिक अनशन

*13–श्री भारत सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल (लैन्सडौन) गढ़वाल में छात्र कब से हड़ताल व क्रमिक अनशन पर हैं? उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? सरकार कब तक छात्रों की मांगों को पूरा करेगी?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

महाविद्यालय के छात्र दिनांक 8-11-89 से हड़ताल पर तथा दिनांक 28-11-89 से 11-12-89 तक क्रमिक अनशन पर रहे।

छात्रों की निम्नलिखित प्रमुख मांगें हैं :–

1–महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाय।

2–छात्र संघ के गठन की अनुमति दी जाय।

3–महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए बुक बैंक की व्यवस्था की जाय।

1–प्रवक्ताओं के केवल 14 पद रिक्त रह गये हैं जिनके लिए व्यवस्था की जा रही है।

2–अगले सत्र से छात्र संघ के गठन की अनुमति दे दी गई है।

3–बुक बैंक हेतु पुस्तकों के क्रय का आदेश प्राचार्य द्वारा दिया जा चुका है।

श्री भारत सिंह रावत–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल (लैन्सडौन) गढ़वाल में 14 स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं, उनको कब तक भरा जायेगा ? मान्यवर, यह स्थिति इसी स्थान की नहीं है, बल्कि सभी जगहों पर यह स्थिति है कि अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण हो गया है, उनको रोका जाये और जहां पर रिक्त स्थान हैं, उनको भरा जाये ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, अब जो प्रश्न आया है, उसमें व्यापकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे स्वयं ज्ञात हुआ है कि पिछले सालों में तमाम स्थान प्रदेश में रिक्त हैं। उनकी पूर्ति करने का प्रयास अब हम कर रहे हैं और यह कमी शिक्षा सत्र, जो आगामी है, तक पूरी की जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, समान शिक्षा नीति की बात आयी है। वह भी इसी कारण नहीं हो पा रही है कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, कोई भी व्यवस्था पूरी नहीं है। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है और खासकर पर्वतीय क्षेत्र में है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आप समान शिक्षा नीति की बात उठाते हैं, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेज तक कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था पूरी नहीं है। जो जो कमियां इन विद्यालयों में हैं, उनको कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कमियां रही हैं, और उस पर वह शीघ्र ही निर्णय ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके उत्तर से आप सन्तुष्ट होंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया कि जब यह शासन आया माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, तो विगत 5 वर्षों में शिक्षा की अत्यंत दुर्दशा की गयी है, अध्यापक नहीं हैं, विषय हैं, परन्तु अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों का चयन नहीं किया गया है और मनचाहे ढंग से काम किया गया है। अब मेरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में जहां पर अध्यापकों की आवश्यकता है, वहां पहुंचा दें, लेकिन यह सब एक दिन में होने वाला नहीं है, समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, इस समय कोई निश्चित सीमा का निर्धारण कैसे हो सकता है ? मैं समझता हूं कि पूरे सदन की यह भावना है। जैसा कि प्रश्न किया गया है कि हमारे शिक्षा विभाग में कमी है, इसको माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। जो भावना पूरे सदन की है उसका आप भी सम्मान करें।

(व्यवधान)

श्री भारत सिंह रावत–

इन राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में कोई निश्चित तिथि सरकार नहीं बता पा रही है इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री भारत सिंह रावत, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री रणजीत सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

(प्रश्न संख्या 14 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, [xxx]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप जो कुछ कह रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव

*14–श्री अनुग्रह नारायण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में यमुना नदी पर कोई पुल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या कोई प्रस्ताव तैयार कराने व उसको इसी बजट सत्र में लागू कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

जी, हां । इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

सर्वेक्षण इत्यादि करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दादरी जनपद गाजियाबाद से होकर बाई-पास बनाने की योजना

*15–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादरी जनपद गाजियाबाद से होकर बाई-पास बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण न कराये जाने का क्या करण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्तमान में ऐसी कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जिला गाजियाबाद में हापुड़ में 6 वर्ष पहले एक बाई-पास था।

(माइक की खराबी के कारण सुनाई नहीं दिया)

इस वजह से उसका निर्माण कार्य नहीं हो सका । दादरी और नोयडा चूंकि निकटवर्ती कस्बे हैं, वहां पर भूमि भी उपलब्ध है । अतः क्या मंत्री जी वहां के लिये बाईपास की योजना बनाने की कृपा करेंगे ? आप स्वयं आकर वहां पर देख लें । . . (व्यवधान) भूमि भी उपलब्ध है ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी को निमंत्रण देंगे तो वे आयेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया था, उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य दूसरे मार्ग की बात कह रहे हैं, उसको अगर लिखकर देंगे तो उसे हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चाहते हैं कि आप वहां जाकर देख लें।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

हम मुफ्त में जमीन दे देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो मार्ग आपने बताया उस पर इतना व्यय आयेगा कि जिस पर वर्तमान में हम विचार नहीं कर सकते हैं। जहां तक दूसरे मार्ग की बात है, उसे आप लिखकर दे दें, हम देख लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

वहां पर चकबन्दी की भूमि है और बाईपास के लिये जमीन छोड़ दी गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस मार्ग पर कार्य प्रारम्भ करने की आप कृपा करें।

(श्री सुन्दरलाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुन्दर लाल जी क्या बाराबंकी में भी आप कोई बाई-पास बनवाना चाहते हैं ? (व्यवधान) कृपया बैठ जायं।

आबकारी राजस्व की वसूली का लक्ष्य तथा नवम्बर माह की वसूली

*16–श्री पंचानन राय–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 89-90 में आबकारी राजस्व की वसूली का क्या लक्ष्य है तथा उसमें से कितनी वसूली माह नवम्बर तक हो चुकी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वर्ष 1989-90 में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी एवं देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय निर्गम मूल्य से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा अन्य मदों/अनुज्ञापनों से प्राप्त अभिकर पर आधारित लक्ष्य रुपया 648.03 करोड़ का है।

प्राप्त सूचनानुसार माह नवम्बर, 1989 तक उक्त मद में रुपया 407.20 करोड़ वसूल किया जा चुका है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, 8 महीने में दो-तिहाई वसूल होना चाहिए था और इस तरह से 432 करोड़ रुपया वसूल हो जाना चाहिए था। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में कई ऐसे माफिया हैं जो राजकीय पैसे की चोरी करते हैं, धन जमा नहीं करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी वसूली के लक्ष्य को पूरा करने की चेष्टा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी कुछ दिनों पहले जो हमने समीक्षा की है और जो अधिकारियों से बात की है और जो निर्देश दिये हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि पिछले वर्षों में करोड़ों का बकाया रहता था और इस वर्ष हम वसूली का कीर्तिमान स्थापित करेंगे और करोड़ों में नहीं लाखों में बकाया रहेगा ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे दल की घोषित नीति रही है कि हम मद्यनिषेध लागू करेंगे तो क्या उसको ध्यान में रखते हुये मद्य निषेध नीति को सख्ती से लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मद्य निषेध हमारी नीति है उस पर पूरी तरह से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रविकांत गर्ग–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पर कई-कई वर्षों से आबकारी का बकाया है उनसे वसूलयाबी के लिये क्या कदम उठा रहे हैं और कितने दिनों में उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस समय पिछले वर्ष के अलावा पिछले वर्षों का 66.23 करोड़ रुपया बकाया है इसमें से 51.25 करोड़ न्यायालय से स्थगित है, बट्टेखाते में डाला है वह 43 लाख रुपया है और इस वर्ष हमने जो वसूल किया है वह 1 करोड़ 94 लाख रुपया और जो 12 करोड़ 60 लाख बकाया है उसके लिये उत्पीड़न की कार्यवाही करके वसूली के निर्देश दिये जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रविकांत गर्ग–

वसूली के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

श्री पंचानन राय–

मेरा नाम पुकारा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं उनके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वह न्यायालय में पैरवी ठीक से कर लें क्योंकि विभाग वाले उनसे मिल जाते हैं और न्यायालय में पैरवी नहीं करते हैं जिससे सरकारी पैसा बकाया रह जाता है तो क्या विभागीय अधिकारियों को निर्देश देंगे कि पैरवी के अभाव में किसी को स्थगन आदेश न मिले ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वसूली के संबंध में हम पूरी तरह से जागरूक हैं और जो भी संभव कार्यवाही हो सकेगी की जायेगी । जो न्यायालय से स्थगित नहीं है उसके लिये निवेदन किया उत्पीड़न की सख्त कार्यवाही से वसूल किया जायेगा ।

(प्रश्न संख्या 17 पुकारने पर)

श्री निरवेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न संख्या 11 नहीं लिया गया मैं यहां पर बैठा था ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे सूचना मिल गयी है समय बचेगा तो आपका प्रश्न आयेगा ।

जिला परिषद् के अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों, विधान सभा सदस्यों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रतिशत एवं ग्राम प्रधानों के लिए वेतन भत्ते की मांग का प्रस्ताव

*17–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति के ब्लाक प्रमुखों को कितना मासिक भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता कब से दिया जा रहा है ? उक्त अवधि में विधायकों और जिला परिषद् के अध्यक्षों के भत्तों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा ब्लाक प्रमुखों के भत्तों में इसी अनुपात में वृद्धि न करने के कारण क्या हैं और ब्लाक प्रमुखों के भत्तों में कब तक कितनी वृद्धि किये जाने की सम्भावना है ? क्या ब्लाक प्रमुखों के वर्तमान अधिकारों एवं उपलब्ध सुविधा में भी वृद्धि करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

प्रदेश में क्षेत्र समिति के ब्लाक प्रमुख को कोई मासिक भत्ता नहीं दिया जाता है बल्कि उन्हें खण्ड और जिले के भीतर लोक हित में की गई सभी यात्राओं के लिए 200/-रु0 प्रति मास का नियत यात्रा भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता दिनांक 1 जुलाई, 1986 से दिया जा जा रहा है ।

उक्त अवधि में विधायकों के भत्तों में निम्नवत वृद्धि हुई है:–

1–निर्वाचन क्षेत्र भत्ता–62.5 प्रतिशत

2–चिकित्सा भत्ता–50 प्रतिशत

3–दैनिक भत्ता–41.66 प्रतिशत

4–रेल यात्रा कूपन–10 प्रतिशत

उक्त अवधि में अध्यक्ष जिला परिषद् के निश्चित यात्रा भत्ते में 233.33 प्रतिशत तथा कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, गोरखपुर तथा गाजियाबाद में मकान किराया भत्ता में 300 प्रतिशत व शेष जनपदों में 150 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है । ब्लाक प्रमुखों के नियत यात्रा भत्ते में वृद्धि किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

वर्तमान में ब्लाक प्रमुखों के नियत यात्रा भत्ता को छोड़कर अन्य उपलब्ध सुविधाओं एवं अधिकारों में वृद्धि किये जाने का विशिष्ट प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् और विधायकों के भत्तों में वृद्धि की गयी । आज ब्लाक प्रमुख की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका है, इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके भत्ते विधायकों के अनुपात में न बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? कब तक इनके भत्ते विधायकों के अनुपात में बढ़ायेंगे ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, विधायकों का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है और जिले में उन्हें जाना पड़ता है जबकि ब्लाक प्रमुख का कार्य क्षेत्र छोटा है, इसलिये विधायकों के भत्ते बढ़ाये गये ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जनतंत्रीय इकाई में प्रधानों की सुख-सुविधा हेतु क्या आप कुछ दे रहे हैं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

प्रधानों के बारे में सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है । पूर्व सरकार ने जवाहर योजना में बहुत कुछ उन्हें दे दिया है, इसलिये आगे अभी कोई ऐसा विचार नहीं है ।

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, क्षेत्र समितियों की बैठकों में जिलास्तर का कोई अधिकारी नहीं जाता है जिससे वहां की जनसमस्या हल नहीं हो पाती है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जिला स्तर के अधिकारियों को इस संबंध में कोई दिशा निर्देश देंगी कि वह वहां जाएं ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, यदि सरकारी तंत्र में कोई कमजोरी या ढिलाई है तो उसका अवश्य निवारण किया जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि, विधायकों को भत्ता दिया जा रहा है और जिला परिषद् के अध्यक्षों को भी तथा यह भी कहा गया कि ब्लाक प्रमुखों के भत्ते को बढ़ाने पर विचार करेंगी, जिला परिषद् के मेम्बर भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या जिला परिषद् के मेम्बर को भी भत्ता देने पर विचार सरकार कर रही है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, मैंने यह अनुरोध किया था कि ब्लाक प्रमुखों के नियत मासिक यात्रा भत्ता को छोड़कर अन्य भत्ता बढ़ाये जाने पर कोई विचार नहीं हो रहा है और न जिला परिषद् के मेम्बरों को भत्ते पर भी निश्चित यात्रा भत्ता विचार हो रहा है ।

बेसिक शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन की योजना

*18–श्री किशन गोपाल–

क्या सरकार बेसिक शिक्षा के ढांचे में कोई परिवर्तन करने की योजना बना रही है जिससे बच्चों की उचित पढ़ाई की व्यवस्था हो सके ? क्या सरकार कक्षा एक से पांच तक अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

बेसिक शिक्षा के ढांचे में किसी मूलभूत परिवर्तन की योजना नहीं है किन्तु पढ़ाई की व्यवस्था को और अच्छा बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

छोटे बच्चों पर विदेशी भाषा का अनावश्यक बोझ डालना उचित नहीं है

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको जानकारी है कि बेसिक शिक्षा की क्या हालत है ? बेसिक शिक्षा विद्यालयों में 4 विद्यार्थी हैं तो 6 अध्यापक हैं और पूरे विद्यालय को एक झोले में अध्यापक लेकर घूमता है । विद्यालय में न टाट पट्टी है और न श्यामबोर्ड है, इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिक्षा के इस ढांचे में कोई परिवर्तन होगा और कब तक होगा ? शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन के लिये आपने कहा है कि अच्छा बनायेंगे तो कब तक प्रयास करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने ढांचे के बारे में प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया कि जहां बेसिक शिक्षा का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, टाट-पट्टी और ब्लैक बोर्ड्स नहीं हैं, कुर्सी और मेज नहीं हैं और भवन नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा पूरा प्रयास है कि प्रदेश के समस्त बेसिक विद्यालयों में भवन और आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाएंगी । साथ ही हमारा यह भी प्रयास होगा कि अध्यापकों की संख्या छात्रों की संख्या के अनुपात में हो और बेसिक शिक्षा की पढ़ाई ठीक ढंग से प्रारम्भ हो ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

हमीरपुर, चन्द्रावल सेतु पर पथ कर की वसूली

*19–श्री देव कुमार यादव–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद हमीरपुर के मौदहा कपसा मार्ग कि0 मी0 6 पर स्थित चन्द्रावल सेतु, जो वर्ष 1986 में ही बनकर तैयार हो गया था पर वर्ष 1987 से लगने वाले पथकर की वसूली सा0 नि0 वि0 द्वारा 4,000 रुपये प्रति माह के घाटे पर की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि विभाग ने इस पुल की पथकर की वसूली को नीलाम द्वारा ठेके पर उठाने के लिए कई बार नीलामी प्रस्तावित की और आयुक्त महोदय, द्वारा बोली निरस्त कर दी गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पथकर की नीलामी के पूर्व 4,000 रुपये प्रतिमाह के घाटे को रोकने के लिए विभागीय वसूली स्थगित कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, जनपद हमीरपुर में मौदहा कपसा मार्ग के कि0 मी0 6 पर स्थित चन्द्रावल सेतु पर दिनांक 1-3-86 से लगने वाले पथकर की विभागीय वसूली घाटे पर चल रही है जिसकी दर प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न रही है ।

इस पुल की बोली अभी तक तीन बार दिनांक 27-1-88, 24-1-89 तथा 17-10-89 को करायी गयी । प्रथम दो-नीलामी की उच्चतम बोली दाताओं द्वारा बोली की धनराशि के अनुसार हैसियत प्रमाण-पत्र के उपलब्ध न कराने के कारण मण्डलायुक्त द्वारा नीलामी निरस्त की गयी । दिनांक 17-10-89 को हुयी तीसरी नीलामी में कम धनराशि की बोली प्राप्त होने तथा नीलामी नोटिस में प्रकाशित तिथि को नीलामी न होने के कारण बोली मण्डलायुक्त द्वारा निरस्त कर दी गयी थी । नीलामी समय पर नियमानुसार न करवाने के कारणों की जांच हेतु आदेश प्रमुख अभियन्ता को दिये जा रहे हैं । दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार नीलामी पुनः शीघ्रातिशीघ्र कराने के प्रयास किये जा रहे हैं इसलिये विभागीय वसूली इस स्तर पर स्थगित करना उचित प्रतीत नहीं होता ।

अतारांकित प्रश्न

निर्माणाधीन जौयनपुर-मोहम्मदाबाद मार्ग (मऊ) को पूर्ण कराने की मांग

1–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़/मऊ जिले में निर्माणाधीन जौयनपुर मोहम्मदाबाद मार्ग की स्वीकृति कब हुई थी ? इसका निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यह मार्ग पूरी तरह से कब तक निर्मित हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस मार्ग की स्वीकृति दिनांक 28-9-84 को दी गयी है ।

इसका निर्माण कार्य दिसम्बर, 83 में आरम्भ हुआ और मार्ग का 2.1 किलोमीटर भाग छोड़कर शेष भाग में प्रथम सतह लेपन तक कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

पूरा मार्ग मार्च, 1990 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

महुला-गड़वल बांध आजमगढ़ को पक्का कराने की मांग

2–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में स्थित महुला-गड़वल बांध को पक्की सड़क में परिवर्तित करने का कोई सुझाव या प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या शासन जनहित में इसे शीघ्र पक्की सड़क में परिवर्तित करने पर विचार करेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जीयनपुर-मोहम्मदाबाद मार्ग मऊ के निर्माण में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान

3–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़/मऊ जिले में स्थित जीयनपुर-मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के निर्माण में ली गयी किसानों की भूमि का किन-किन गांवों में कितना कितना व किन-किन लोगों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद आजमगढ़/मऊ में स्थित जीयनपुर-मोहम्मदाबाद गोहना मार्ग के 6 ग्रामों के जिन-जिन किसानों के मुआवजे का आंशिक भुगतान के बाद भुगतान शेष है, उनकी ग्राम व काश्त-कारवार सूची 3(क)† संलग्न है । इन काश्तकारों को उनके मुआवजा प्राप्त करने के लिए उपस्थित न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है । यह धन राजस्व जमा मद में भू-स्वामियों के नाम जमा कर दिया गया है जिसके भुगतान हेतु पुनः कृषकों को मिला अधिकारी द्वारा सूचना भेजी जा रही है ।

इसके अतिरिक्त जिन-जिन किसानों के मुआवजे का पूर्ण भुगतान शेष है, उनके ग्राम व काश्तकारवार विवरण की सूची (ख)† में संलग्न है । इन काश्तकारों का भुगतान आपसी समझौते से किया जाना है जिसके बारे में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पुराना शहर बरेली में कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

4–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली नगर के पुराना शहर क्षेत्र में लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने शहर में कन्या इण्टर कालेज खोलने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

जी नहीं ।

सीधे इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

सगड़ी विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में सा0नि0वि0 द्वारा निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का कराने की मांग

5—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधान सभा क्षेत्र में सा0नि0वि द्वारा निर्मित कौन-कौन से मार्ग कच्चे हैं ? इनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है, इन पर कब तक सोलिंग कराये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद आजमगढ़ में सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सा0 नि0 वि0 द्वारा 12 मार्ग जिनकी कुल लम्बाई 29.8 कि0मी0 है, निर्मित किये गये हैं । इनमें से 14 कि0 मी0 लम्बाई में खड़ंजा स्तर तक कार्य जिला योजना में स्वीकृत है । शेष 15.8 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है । इस कार्य की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मार्गों के नाम, इनकी अलग-अलग लम्बाई एवं सम्पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149 पर)

उत्तर प्रदेश में वन भूमि का विवरण

6—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हेक्टेयर वन भूमि है? उसमें से कितने हेक्टेयर में लगाये गये वन मौजूद हैं, कितने में कुदरती वन हैं और कितने हेक्टेयर वन भूमि खाली पड़ी है ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

उत्तर प्रदेश में कुल 51.50 लाख हेक्टेयर वनभूमि है ।

उसमें से 12.50 लाख हेक्टेयर में लगाये गये वन हैं ।

19.65 लाख हेक्टेयर में कुदरती वन है और 19.35 लाख हेक्टेयर वनभूमि खाली पड़ी है ।

महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय अतर्रा बांदा के प्राचार्य की नियुक्ति

7—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कस्बा अतर्रा में महात्मा गांधी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री हीरा लाल साहू इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कब नियुक्त किये गये थे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु किस-किस दैनिक समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और इस पद के लिए कितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

दिनांक 25-6-74 को।

दैनिक समाचार पत्र 'भारत' में विज्ञापन किया गया था ।

सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि कितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे।

मृतक आश्रित श्री प्रेम शंकर, को जिला पंचायत राज सीतापुर में नियुक्ति की मांग

8–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पत्र संख्या 161/पंचा/स्था0-87 दिनांक 18-4-87 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर ने मृतक के आश्रित श्री प्रेमशंकर की नियुक्ति करने हेतु निदेशक पंचायत राज, उ0 प्र0 लखनऊ से प्रार्थना की थी ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त श्री प्रेमशंकर की नियुक्ति अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

श्री प्रेमशंकर की शैक्षिक योग्यता के अनुरूप जनपद सीतापुर में पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है । शैक्षिक योग्यता के अनुरूप पद रिक्त होने की दशा में ही इनकी नियुक्ति सम्भव हो सकती है अतः इस सम्बन्ध में फिलहाल कोई आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद् वाराणसी में विज्ञान शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

9–श्री अमर नाथ यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् वाराणसी में विज्ञान शिक्षकों के कितने स्थान कब से रिक्त पड़े हैं? क्या यह सही है कि विज्ञान शिक्षकों के पद वर्षों से रिक्त होने के कारण विज्ञान के किट्स भी वर्षों से बेकार पड़े हुए खराब हो रहे हैं ? यदि हां, तो इस बरबादी को रोकने की दृष्टि से विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी में विज्ञान शिक्षकों के 96 पद 1981 से रिक्त हैं ।

जी नहीं।

विद्यालय के अन्य शिक्षकों के सहयोग से विज्ञान शिक्षा एवं विज्ञान किट्स के प्रयोग की व्यवस्था की गयी है।

नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है।

नगर क्षेत्र नगर पालिका सीतापुर में शिक्षा अधीक्षक के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र न0 पा0 सीतापुर में शिक्षा अधीक्षक का पद लगभग 2 वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो अब तक शिक्षा अधीक्षक का पद न भरे जाने का क्या कारण है ? उक्त पद कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेई–

जी हां ।

पदोन्नत शिक्षा अधीक्षक के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण पर रिक्त है । अनुसूचित जाति का निर्धारित कोटा पूर्ण करने के उद्देश्य से पद रिक्त रखा गया है । श्रोत संवर्ग में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर पद भर दिया जायेगा ।

वाराणसी जनपद में पंचकोशी मार्ग पर जर्जर पुल पुनः निर्माण की मांग

11–श्री राज किशोर सिंह तथा श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में पंचकोशी मार्ग पर स्थित ग्राम रामेश्वर के पास वरुणा नदी के जर्जर पुल के स्थान पर नये पुल निर्माण के लिए समस्त औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या पुराने जर्जर पुल से सम्भावित खतरे व यातायात की कठिनाइयों को देखते हुए नये पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी, नहीं ।

प्रश्नगत पुल का पुनर्निर्माण शासन के विचाराधीन है और इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कतिपय अपूर्ण मार्ग को पूरा करने का प्रस्ताव

12–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 वि0 बुन्देल खण्ड क्षेत्र झांसी के अन्तर्गत कोंच (जालौन) से ग्राम चंदुरा को जोड़ने वाली सड़क जो कानपुर महामार्ग से जुड़ती है, किन कारणों से अपूर्ण पड़ी है तथा कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत है । इस कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव पर जिला समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। इसका निर्माण कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद वाराणसी के मंगारी से सिंधौरा मार्ग को पूर्ण कराने की मांग

13—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में भंगारी से सिंधौरा मार्ग तथा अनेई से कठिरांव वाया कुवार मार्ग, को 4/5 वर्ष पूर्व अधूरा कार्य करके लेपन तक कार्य आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोनों मार्गों का तुरन्त लेपन तक पूरा करने का आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद वाराणसी में अनेई-कआर-कठिरांव मार्ग के मात्र एक कि0 मी0 भाग पर ही लेपन का कार्य स्वीकृत है । उक्त मार्ग के शेष भाग पर तथा मंगारी-सिंधौरा मार्ग पर लेपन का कार्य अभी स्वीकृत नहीं है, अतः उसे कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। उक्त मार्गों पर लेपन के कार्य की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

वाराणसी जनपद के कतिपय प्राइमरी एवं हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत कराने की मांग

14—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा से पिंडरा हाल्ट रेलवे स्टेशन फीडर रोड वाराणसी के लिए लेपन तक कार्य हेतु 4/5 वर्ष पूर्व ही पूरा धन स्वीकृत किया गया था ? अब तक उक्त मार्ग का कार्य पूरा न होने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इस महत्वपूर्ण मार्ग को जल्द बनवाने की आज्ञा देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-4144 ई/23 सा0 नि0 अनु0-11-27 ई/80, दिनांक 29-10-80 द्वारा प्रदान की गयी थी ।

जगह-जगह पर भूमि उपलब्धता में अवरोध के कारण कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया जा सका ।

दिसम्बर, 89 में भूमि उपलब्ध हो गयी है । कार्य प्रगति में है एवं प्रथम सतह लेपन स्तर तक कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

वाराणसी जनपद के कतिपय प्राइमरी एवं हाई स्कूल के भवनों की मरम्मत कराने की मांग

15—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंधौरा जूनियर हाईस्कूल एवं प्राइमरी स्कूल ब्लाक पिंडरा तथा प्राइमरी पाठशाला अनेई ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी की इमारत गिर गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इमारत को शीघ्र बनाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जूनियर हाई स्कूल सिंधौरा का भवन नहीं गिरा है । प्राइमरी पाठशाला सिंधौरा नं0 2 तथा प्राइमरी पाठशाला अनेई के भवन गिर गये हैं।

जी हां ।

भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़, करखिया पुल ब्लाक हरैया के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

16–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में छोटी सरयू पर करखिया में निर्मित पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण में ली गयी भूमि का मुआवजा सभी किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किनका-किनका कितना बकाया है? सभी किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही के पूर्ण न होने के कारण अभी तक सभी कृषकों का मुआवजा बकाया है ।

आपसी समझौते के आधार पर भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने पर प्रतिकर का भुगतान कर दिया जाएगा ।

आजमगढ़ में हरैया ब्लाक से गोसाईं बाजार को जोड़ने हेतु स्वीकृत पुल को पूर्ण कराने की मांग

17–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में स्थित छोटी सरयू पर बाजार गोसाईं में निर्मित पुल के पहुंच मार्ग की स्वीकृति कब दी गयी थी ? इसका निर्माण कार्य अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ? और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसकी स्वीकृति दिनांक 31 मार्च, 1986 को दी गई है ।

भूमि न मिलने के करण कार्य विलम्ब से आरम्भ हुआ ।

कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

पहुंच मार्ग का खड़ंजा स्तर तक निर्माण मार्च 1990 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

विद्यालयों में सदंर्भ केन्द्र बनाने का प्रस्ताव

18–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों में संदर्भ केन्द्र बनाने के लिए कोई नीति सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसके निर्धारण का मानक क्या है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा ऐसे विद्यालयों का सन्दर्भ केन्द्र के लिए चयन किया जाता है जिनके पास उपयुक्त भवन तथा आवासीय सुविधा हो तथा जिनका परीक्षाफल अच्छा रहा हो।

गोण्डा जनपद के कतिपय मार्गों को पक्का कराने की मांग

19–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज मुख्य मार्ग को कासीपुर ग्राम तक करीब तीन कि0 मी0 वर्ष 78 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मिट्टी पाटने का काम कराया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्ग पर कितनी पुलिया बनाई गई और इसको कब पक्का किया गया ? यदि नहीं, तो इस मार्ग पर पुलिया बनाने तथा पक्का करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

ग्राम कासीपुर, तरबगंज तहसील मुख्यालय से तरबगंज मोतीगंज पी0 डब्लू0 डी0 पक्के मार्ग पर ही स्थित है । श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत वर्ष 1978 में ग्राम कासीपुर के पश्चिम से ग्राम बौरिहा तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराया गया था। वर्ष 1980 में खाद्यान्न योजना समाप्त होने से संसाधनों के अभाव में उक्त मार्ग पर न ही पुलिया बनायी जा सकी और न ही मार्ग को पक्का किया जा सका । एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत सा0 नि0 वि0 द्वारा स्वीकृत बौरिहा मार्ग पर 7 पुलिया निर्माण तथा पत्थर सोलिंग स्तर तक का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

20–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के मुख्यालय से ग्राम-करनीपुर तक तीन किलोमीटर मार्ग पर मिट्टी का कार्य खाद्यान्न योजना में सन् 1978 में किया गया था और तब से अब तक इस सड़क पर न तो कोई पुलिया बनी और न ही यह सड़क पक्की की गई ? यदि हां, तो पुलिया का निर्माण तथा सड़क को पक्का कब तक किया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु मानक के अनुसार धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा, को आवंटित है । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, स्थानीय प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता को देख कर अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

सीतापुर जनपद से निकलने वाली राष्ट्रीय मार्ग के लिए निर्माणाधीन बाईपास को पूर्ण कराने की मांग

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर के बीचोबीच से निकलने वाले राष्ट्रीय मार्ग के लिये निर्माणाधीन बाई-पास का निर्माण कब तक पूर्ण होना प्रस्तावित है ? वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना कार्य शेष है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत सीतापुर बाईपास पर मेटलिंग का कार्य परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी स्वीकृत नहीं है। अतः उसके पूर्ण निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित करना अभी सम्भव नहीं है।

सीतापुर बाईपास के संबंध में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भूमि अध्यापित, मिट्टी व पुलिया तथा सरायन नदी पर पुल व उसके पहुंच मार्गों का कार्य स्वीकृत हुआ था जिसके समक्ष भूमि अध्याप्ति, मिट्टी व पुलिया का कार्य पूर्णरूप से तथा सरायन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग का 80% भाग पूरा किया जा चुका है।

22–श्री अमरनाथ यादव–

[पहले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ की प्रत्येक न्याय पंचायतों में जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

23–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अजमतगढ़ विकास खण्ड में कौन-कौन सी न्याय पंचायतें ऐसी हैं जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है ? इन न्याय पंचायतों में जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड आजमतगढ़ में निम्नांकित 14 न्याय पंचायतों में कोई परिषदीय जूनियर हाई स्कूल नहीं है।

1–महम्मदपुर अभिलोनी
2–सराय सागर मालटारी
3–अंजान शहीद
4–खालिसपुर
5–अल्लीपुर
6–लालघाट
7–सुरैना
8–मुहम्मदपुर
9–सुखमदन्त नगर
10–मसीना
11–पायेपुर
12–जमालुद्दीन पट्टी
13–भुवना बुजुर्ग
14–अमुवारी नरायनपुर

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर तथा शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा निर्माण स्थल अनुमोदित होने पर ही विद्यालय खोले जा सकेंगे।

जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड कतिपय ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

24–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के हरैया विकास खण्ड में कौन कौन सी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनमें बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ? इन गांव सभाओं में प्राइमरी स्कूल स्थापित किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया की 54 ग्राम सभाओं में कोई परिषदीय प्राइमरी स्कूल नहीं है । (सूची क्रमागत)

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर तथा जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा स्थान अनुमोदित होने पर ही विद्यालय खोले जा सकेंगे ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 151 पर)

जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज, कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

25–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकास खण्ड में कितनी गांव सभाएं ऐसी हैं जिनमें बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ? इन गांव सभाओं में प्राइमरी स्कूल स्थापित किये जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज की 72 ग्राम सभाओं में बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ।

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर तथा शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा स्थान अनुमोदित होने पर ही विद्यालय खोले जा सकेंगे ।

आजमगढ़ के सभी ग्राम सभाओं में एक-एक बेसिक स्कूल बनाने की मांग

26–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में कौन-कौन सी ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनमें बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है ? इन ग्राम सभावों में प्राइमरी स्कूल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

संलग्न सूची में उल्लिखित ग्राम सभाओं में कोई परिषदीय प्राइमरी स्कूल नहीं है ।

जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर तथा जिला शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा स्थान अनुमोदित होने पर ही विद्यालय खोले जा सकेंगे ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152 पर)

ग्राम मानपुर राह परगना देवा जनपद बाराबंकी को जोड़ने वाले चकरोड को पक्का कराने की मांग

27–श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील नवाबगंज, परगना देवां, जिला बाराबंकी में स्थित ग्राम मानपुर राह को सड़क से जोड़ने वाले चकरोड की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण ग्राम वासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो ग्राम भानपुर राह को सड़क से जोड़ने वाले खड़ंजे को तत्काल ठीक करके उस पर खड़न्जा लगवाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

संबंधित चकरोड विवादित होने के कारण सम्प्रति खड़न्जा लगवाने की व्यवथा करना सम्भव नहीं है ।

स्व0 श्री बुद्धि सागर श्रीवास्तव भू0 पू0 जिला स्काउट संगठन कमिश्नर बहराइच के बकाये धन के भुगतान संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

28–श्री इन्द्र प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का स्व0 श्री बुद्धि सागर श्रीवास्तव भूतपूर्व जिला स्काउट संगठन कमिश्नर बहराइच के बकाया वेतन एवं यात्रा भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी, 174 काजीपुरा, निकट रामसरन मन्दिर गुदड़ी बहराइच के संलग्न प्रार्थना-पत्र सहित पत्र दि0 2-9-89 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी को उनके पति के उक्त बकाया वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक किया जायेगा ? इस विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

श्रीमती कृष्णा कुमारी देवी के पति स्व0 श्री बुद्धिसागर श्रीवास्तव के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में देयकों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा करा ली गई है तथा भुगतान के आदेश पारित कर दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के अभाव में भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मूल्यांकन एवं संकलन के कार्य में लगे माध्यमिक शिक्षकों के बकाये पारिश्रमिक का भुगतान

29—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि मूल्यांकन एवं संकलन के कार्य में लगे शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/बनारस द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में सभी को पारिश्रमिक देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब तक कितनी धनराशि का भुगतान करना शेष है ? शिक्षकों को उक्त देय धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं इस मद में धनाभाव के कारण रु0 94,500.00 की धनराशि का भुगतान करना शेष है । अवशेष का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

जिला वाराणसी में फूलपुर सिधौरा मार्ग को बरवां से लेकर सहलपुर तक सड़क को डामर बनाने की मांग

30—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर सिधौरा मार्ग जिला वाराणसी में बरवां से लेकर सहमलपुर तक सड़क को डामर (लेपन) को न बनाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस दो किलोमीटर की सड़क को सन् 1987 में ही पूर्ण कर दिया जाना था ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और इस बीच के हिस्से को तुरन्त बनाने का आदेश देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जनपद वाराणसी में फूलपुर सिधौरा मार्ग के बरवां से सहमलपुर तक भाग से संबंधित किलोमीटरों पर लेपन कार्य की स्वीकृति वर्ष 1988 तथा 1989 में प्रदान की गई थी । जिला योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीमित अनुदान से समस्त स्वीकृत कार्य एक ही वर्ष में पूरा करना सम्भव नहीं हो सका है ।

जी, नहीं ।

इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । अवशेष कार्य पूर्ण किया जाना जिला योजना के अंतर्गत अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला वाराणसी के कतिपय मार्गों को पूरा कराने की मांग

31—श्री ऊदल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दंउजी से पीतराजपुर वाया हिरामनपुर मार्ग देवराई से बरवांसमार्ग व मंगारी से पिंडरा वाया कथेंउली मार्ग से तथा खालिसपुर से गोढ़ियां मार्ग ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पांच वर्ष पूर्व से बनाया जा रहा है और मार्ग पर न तो पूरी गिट्टी डाली गयी और न तो लेपन का कार्य ही किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उपरोक्त मार्गों का जल्द से जल्द पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

सूचना एकत्र की जा रही है

तत्कालीन कार्य अधीक्षक एवं अन्य अभियन्ताओं सा0 नि0 वि0 बहराइच के विरुद्ध कतिपय शिकायतें

32–श्री मयंकर सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के तत्कालीन कार्य अधीक्षक श्री जे0 एन0 बाजपेयी व अन्य अभियंताओं के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 25-8-88 के संदर्भ में प्रमुख अभियंता द्वारा जांच आख्या शासन को प्रस्तुत की गयी थी ? उसमें प्रमुख अभियंता द्वारा क्या संस्तुति की गयी थी ? उक्त जांच आख्या पर क्या कार्यवाही हुई ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति की गई ।

जांच आख्या पर कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरूणा नदी पर चौकाघाट वाराणसी पर क्रेक पुल को पुनः बनाने की मांग

33–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में वरूणा नदी में चौकाघाट के पुल में दरार पड़ जाने से उस पर वाहनों को अर्सा पांच वर्ष से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसको न बनाकर एक और पुल कचहरी के पास बनाया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि इस पुल से गोरखपुर रोड तथा बलिया गाजीपुर रोड आकर जी0 टी0 रोड में चौकाघाट में मिलती है और वाराणसी नगर को यह पुल जोड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस पुल को जल्द से जल्द बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वाराणसी जनपद में वरूणा नदी पर चौकाघाट पर प्रश्नगत पुल के आर0 सी0 सी0 डैक स्लैब के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लगभग 5 वर्षों से इस पर भारी वाहनों का यातायात प्रतिबन्धित है । कचहरी के पास नये पुल का निर्माण प्रश्नगत वरूणा पुल पर यातायात अधिक होने के कारण कराया जा रहा है ।

जी, हां ।

वरूणा नदी पर प्रश्नगत पुल की रिडैकिंग एवं मरम्मत के कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला विकास अधिकारी कानपुर के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

34–श्री राम स्वरूप वर्मा–

पंचायती राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला विकास अधिकारी कानपुर को पूर्व ब्लाक प्रमुख राम पाल सचान घाटमपुर का एक सप्रमाण शिकायती पत्र 18-1-88 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र में वर्णित मुख्य शिकायतें किसके खिलाफ और क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

श्री रामपाल सचान पूर्व ब्लाक प्रमुख विकास खण्ड घाटमपुर (कानपुर देहात) का शिकायती पत्र दिनांक 18-1-88 जिला विकास कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ है, अतएव उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एस0 के0 पी इण्टर कालेज सीतापुर का अनुदान

35–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज सीतापुर को अनुदान न दिए जाने का कारण मात्र यह है कि कालेज साधिकार नियंत्रण के अधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालेज की विवादित कमेटी भंग होने और वहां साधिकार नियंत्रण होने के फलस्वरूप अनुदान न दिये जाने का क्या औचित्य है ? उक्त संस्था को अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां ।

साधिकार नियंत्रक उन्हीं विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है जिनमें प्रबन्धकीय विवाद अथवा गम्भीर अनियमिततायें होती हैं । ऐसे विद्यालयों को अनुदान न दिया जाना सर्वथा उचित है ।

साधिकार नियंत्रक हटाये जाने के उपरान्त ही इस पर विचार किया जा सकता है ।

शाहजहांपुर के आर्य महिला डिग्री कालेज को अनुदान सूची पर लेने की मांग

36–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य महिला डिग्री कालेज शाहजहांपुर को अनुदान सूची के अंतर्गत न लिए जाने का क्या कारण है और उसे कब तक अनुदान सूची में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत महाविद्यालय को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

अल्मोड़ा जनपद के कतिपय मार्गों को पूरा कराने की मांग

37—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद राम नगर ड्योटियाल सराईखेत, ड्योटाल, स्यालदे देघाट, बरीकण्डा देघाट ड्योटियाल चमखला-जैनल मोटर मार्गों का निर्माण किस वर्ष हुआ है और इनको पक्का (डामर) कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्गों का विभिन्न स्तरों तक निर्माण वर्ष 1971 से 1981 के बीच हुआ है ।

इन मार्गों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(1) रामनगर डोटियाल मोटर मार्ग

रामनगर डोटियाल तक की लम्बाई 72 किमी0 है जिसमें रामनगर से मरचूला तक (36 किमी0) का मार्ग टिहरी मुरादाबाद प्रान्तीय मार्ग का भाग है । मरचूला से डोटियाल तक (शेष 36 किमी0) मार्ग की स्थिति निम्नवत है :—

(1) प्रथम 10 किमी0 पहले से ही लेपित है ।

(2) 10 से आगे 32 किमी0 तक के भाग की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति प्राप्त है तथा किमी0 30 तक डामर किया जा चुका है । शेष 2 कि0 मी0 भी जून 1990 तक डामर कर दिये जाने की सम्भावना है ।

(3) शेष 4 किमी0 में अभी डामर करने की स्वीकृति नहीं है ।

(2) सराई खेत डोटियाल मार्ग

यह कच्चा मार्ग है । इसके बाद कार्य अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।

(3) स्यालदे देघाट मार्ग

यह कच्चा मार्ग है जिसे पक्का करने की स्वीकृति अभी नहीं हुई ।

(4) बरीकन्डा देघाट मोटर मार्ग

इस मार्ग (कुल लम्बाई 30 किमी0 है) के 17.2 किमी0 में डामर किया जा चुका है तथा शेष भाग में डामर करने की स्वीकृति नहीं हुई ।

(5) डोटियाल-चमखला जैनल मोटर मार्ग

यह कच्चा मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई 29.2 किमी0 है और इसे पक्का करने की स्वीकृति अभी नहीं है ।

इन मार्गों को पक्का किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अल्मोड़ा जनपद के कतिपय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

38–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के राजकीय इण्टर कालेज, राजकीय हाई स्कूल, राजकीय कन्या हाई स्कूल और इण्टर कालेजों में किस विषय के अध्यापक कब से नहीं हैं और कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी–

वांछित विवरण संलग्न है । †

यथाशीघ्र व्यवस्था कर दी जायेगी ।

विकास खण्ड हाट जनपद अल्मोड़ा में पृथक विकास खण्ड बनाने की मांग

39–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वारा हाट के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से जालली में पृथक ब्लाक की मांग कई वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो प्रस्तावित ब्लाक कब तक बना दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां ।

अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में विकास खण्डों के सृजन एवं पुनर्गठन पर विचार हेतु एक समिति गठित है । जालली में प्रथक विकास खण्ड की स्थापना के संबंध में समिति की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में उचित निर्णय लिया जायेगा ।

श्री जगदीश नरायन अग्रवाल तत्कालीन प्राचार्य उपाधि स्नाकोत्तर महा विद्यालय पीलीभीत के अवशेष देयों का भुगतान

40–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री जगदीश नरायन अग्रवाल उपाधि स्नात्कोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत प्राचार्य के पद से 8-1-87 को रिटायर्ड हो गये थे किन्तु अभी तक उन्हें पेंशन व अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री अग्रवाल को पेन्शन व अन्य लाभ यथा शीघ्र दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी हां । श्री अग्रवाल दिनांक 30-6-86 से सेवा निवृत्त हुए थे ।

जी हां ।

---

† छापा नहीं गया ।

आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र की कतिपय मार्गों को पूर्ण कराने की मांग

41—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद् द्वारा विभिन्न मदों में कौन-कौन से मार्ग मिट्टी स्तर तक निर्मित हैं ? उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है ? इनका सोलिंग स्तर तक निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जिला परिषद् द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सड़कों का निर्माण मिट्टी स्तर तक कराया गया है । इन मार्गों की लम्बाई इनके सम्मुख अंकित है । धन की उपलब्धता पर सोलिंग का कार्य कराया जा सकेगा ।

क्रम सं0 सड़क का नाम	लम्बाई कि0 मी0
1—इसरहा-भरौली	1.50
2—जमीन हरखोरी	0.80
3—चांदपट्टी-जहीरुदीनपुर	1.50
4—चांदपट्टी-वगई	1.30
5—वेदौली तुलापुर-सिवान	0.50
6—बनहरा-रसूलपुर	0.40
7—खांजोली-बाजार गोसाईं	3.00

2 कि0 मी0 सड़क पर सा0 नि0 वि0 द्वारा सोलिंग का कार्य हो चुका है ।

42—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री चौहान, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा जौनपुर के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

43—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-1-87 जिसके द्वारा श्री चौहान अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे और जिसकी जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक टेक्निकल आडिट सेल ग्राम्य विकास विभाग—24 सी न्यू बेरी रोड, उत्तर प्रदेश को दी गयी थी, की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से जांचकर्ता ने सम्पर्क किया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जी हां, जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

शिकायती पत्र में किसी कार्य विशेष का उल्लेख नहीं था अतः टेकनिकल आडिट सेल द्वारा शिकायतकर्ता से अनुरोध किया गया कि जिस कार्य विशेष की जांच करना चाहते हैं उसे इंगित कर दें । तदनुसार अकबरपुर जौनपुर मुख्य मार्ग से केलुआ बरियारपुर सम्पर्क मार्ग की जांच कार्यस्थल पर दिनांक 17-10-89 को किये जाने की सूचना शिकायत-कर्ता को दी गई थी ।

44–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[दूसरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 28 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती इन्द्रा कुमारी स्थाई सहायक अध्यापिका सी0 टी0 ग्रेड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाबगंज बरेली की पदोन्नति की मांग

45–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती इन्द्रा कुमारी स्थाई सहायक अध्यापिका सी0 टी0 ग्रेड वेतन क्रम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवाबगंज बरेली की पदोन्नति एल0 टी0 ग्रेड में अभी तक न किये जाने का क्या कारण है जबकि इनसे कनिष्ठ सहायक अध्यापिकाओं की पदोन्नति हो चुकी है ? क्या मंत्री जी श्रीमती इन्द्रा कुमारी की नियुक्ति उनकी वरिष्ठता के आधार पर यथाशीघ्र करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

श्रीमती इन्द्रा कुमारी की एल0 टी0 ग्रेड में प्रोन्नति कर दी गई है ।

श्री जी0 के श्रीवास्तव सेवा निवृत्त प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ की पेंशन

46–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जी0 के0 श्रीवास्तव, सेवा निवृत्त प्रवक्ता अंग्रेजी विभाग, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ को सेवा निवृत्त-तिथि 1-2-1984 से अब तक नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है जबकि उक्त कालेज के द्वारा श्री श्रीवास्तव का मूल विकल्प पत्र तथा उनकी अंशदायी भविष्य निधि में से सम्पूर्ण राजकीय अंशदान राजकीय कोषागार में जमा करने का प्रमाण-पत्र भारतीय स्टेट बैंक से लेकर उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को बहुत पहले ही भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो इन्हें पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं, पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद में बोल्डर पत्थरों की नीलामी

47—श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बोल्डर पत्थरों की नीलामी चालू वित्तीय वर्ष में हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को ज्ञात है कि क्षेत्र के 5 हजार मजदूरों को नीलामी न होने से बेरोजगार कर दिया गया है और वे भूखों मर रहे हैं ? यदि हां, तो उनको पुनः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शासन शीघ्र कोई निर्णय लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद असलम खां—

वर्ष 1989-90 में वन क्षेत्रों के अन्तर्गत बहने वाली नदियों के पत्थर, बजरी तथा रेता आदि के चुगान लाटों को, उ0 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के संहत नियमों के अनुसार, निस्तारित किए जाने के आदेश दिनांक 21-12-1989 को निर्गत कर दिए गए हैं ।

उक्त आदेशों के फलस्वरूप प्रश्नगत कार्य से सम्बद्ध मजदूरों को रोजगार के अवसर स्वतः उपलब्ध हो जायेंगे ।

जनपद गोण्डा के नचौरा जहदरया मार्ग को पूरा कराने की मांग

48—श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड गोण्डा द्वारा निर्मित नचौरा जहदरया मार्ग पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

प्रश्नगत मार्ग, जिसकी कुल लम्बाई 7 किमी0 है, के 598 मीटर भाग, जिसमें भूमि उपलब्ध नहीं है, को छोड़कर शेष भाग का कार्य पूर्ण है ।

उक्त 598 मीटर भाग में कार्य पूर्ण किया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद गोण्डा नचौरा जहदरया मार्ग हेतु अध्यापित भूमि का मुआवजा

49—श्री अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नचौरा जहदरया मार्ग जनपद गोण्डा हेतु गरीब किसानों की भूमि अध्यापित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनको भूमि का मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कब्जा में भूमि लेने के समय से अब तक का मुआवजा तथा उस पर ब्याज किसानों को देगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हां, कृषकों से आपसी सहमति से भूमि ली गयी थी ।

प्रतिकर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया और इस विलम्ब की जानकारी करके शीघ्र ही प्रतिकर के भुगतान करने की कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फैजाबाद मण्डल फैजाबाद में अध्यापकों का स्थायीकरण

50—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि फैजाबाद मण्डल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विभिन्न संवर्गों में कितने ऐसे अध्यापक हैं, जिनका अभी तक स्थायीकरण नहीं हो पाया है ? क्या शासन इनके स्थायीकरण पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो इनका स्थायीकरण कब तक हो जायेगा ? इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

287 एल0 टी0 एवं 271 सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों का स्थायीकरण नहीं हो पाया है ।

जी हां ।

स्थायी पद उपलब्ध होने पर ही स्थायीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

राजकीय इण्टर कालेज बहराइच में भौतिक एवं रसायन विज्ञान के प्रवक्ता के पदों का सृजन

51—श्री इन्द्र प्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का राजकीय इण्टर कालेज बहराइच में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के एक-एक और प्रवक्ता के पदों के सृजन के संबंध में दि0 4-6-89 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रवक्ता के उक्त पदों का सृजन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक करदिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

हां ।

बहराइच जनपद के संबंधित जिला योजना के अन्तर्गत इसके लिए कोई परिव्यय निर्धारित न होने के कारण प्रवक्ता के अतिरिक्त पदों के सृजन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालटारी, आजमगढ़ का आडिट

52—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, जनपद आजमगढ़ के लेखों का विशेष आडिट वर्ष 1989 में कराया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

सम्प्रेक्षण में कतिपय अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं । सम्प्रेक्षण आख्या अनुपालन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य को भेजी गयी है ।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त महिला महाविद्यालयों को अनुदान

53—श्री कृष्णा स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने महिला महाविद्यालय हैं जिनको मान्यता तो प्राप्त हो गयी है परन्तु वह अनुदान सूची में नहीं आ पाए हैं ? उनके कब तक अनुदान सूची में आने की आशा है ? क्या गिन्दा देवी महिला महाविद्यालय बदायूं को मान्यता प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसको अब तक अनुदान सूची में न लाने का क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

केवल चार स्थायी संबद्धता प्राप्त महिला महाविद्यालय ऐसे हैं, जो अनुदान सूची पर नहीं आ सके हैं ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्नगत महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्राप्त हो गयी है ।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

बदायूं जनपद के विकास खण्ड उझानी में भवन विहीन प्राइमरी स्कूलों की संख्या

54—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के उझानी विकास खण्ड में कितने प्राइमरी स्कूल हैं और कितने जूनियर हाई स्कूल हैं एवं उनमें से कितने विद्यालयों के पास भवन है और कितनों के पास नहीं है ? जिन विद्यालयों के पास भवन नहीं है क्या उनके भवन बनवाने की योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह विद्यालय भवन कब तक बन जायेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

वांछित विवरण निम्न प्रकार है :—

	सं0 जिनका निजी भवन है।	सं0 जो पंचायत घरो आदि मे चल रहे हैं।	पूर्णतया भवनहीन
जू0 हा0 स्कूल	11	1	–
प्रा0 स्कूल	64	15	10

10 भवनहीन प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु धन आवंटित कर दिया गया है । शेष विद्यालयों के भवनों का निर्माण जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर ही करवाया जा सकेगा ।

बदायूं जनपद में मान्यता और अनुदान प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों की संख्या

55—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद में कितने जूनियर हाई स्कूल स्थायी एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं एवं उनमें से कितने विद्यालयों को शासन अनुदान देता है ? जिन विद्यालयों को मान्यता प्राप्त हो गयी है और अनुदान नहीं मिलता तो उसके क्या कारण हैं और उनको अनुदान कब तक मिलेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

बदायूं जनपद में 41 जूनियर हाई स्कूल स्थायी मान्यता प्राप्त तथा 53 जूनियर हाई स्कूल अस्थाई मान्यता प्राप्त हैं । स्थाई मान्यता प्राप्त 20 जूनियर हाई स्कूलों को शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए सभी विद्यालयों को अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

आजमगढ़ गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

56—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालटारी, जनपद आजमगढ़ की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में किसी विधायक का कोई शिकायती-पत्र मार्च/अप्रैल, 89 में शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्न प्रकार हैं :

1—महाविद्यालय के प्राचार्य श्री कुबेर मिश्र अपने को 2 जुलाई, 1968 से ही हिन्दी प्रवक्ता के रूप में दिखाते हैं, जबकि 31-3-69 तक वे गांधी इण्टर कालेज, मालटारी में प्रधानाचार्य रहे और प्रधानाचार्य के रूप में वेतन लेते रहे । इस तरह वे या तो दो जगह से वेतन लेने के दोषी हैं या वे अगस्त 1971 में प्राचार्य पद के लिए 3 वर्ष का अनुभव पूरा नहीं करते थे ।

2—डा0 देवी प्रसाद सिंह, प्रवक्ता प्राचीन इतिहास की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई तथा गलत छात्र संख्या दिखाकर पद सृजन कराया गया ।

3—बी-एड0 विभाग में प्रवक्ता श्री गिरिजेश कुमार सिंह को सवैतनिक अवकाश पर दिखाकर विद्यालय से बिना कार्य मुक्त किए हुए नियमित छात्र के रूप में एम-एड0 करने की सत्र 84-85 में अनुमति प्रदान करना ।

4–सत्र 1970-79 में यू0 जी0 सी0 द्वारा कैन्टीन हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग संदिग्ध है ।

5–1974-75 में अध्यापक आवास हेतु उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ।

6–छात्र परिषद् शुल्क को क्रीड़ा कोष में जमा कर उसका दुरुपयोग किया जाना तथा क्रीड़ा सामग्री का फर्जी क्रय दिखाना ।

7–बी0एड0 की संबद्धता हेतु फर्जी परिसम्पति दिखाना ।

8–छात्र शुल्क से प्राप्त आय का नियमित रूप से जमा न किया जाना तथा दुरुपयोग किया जाना ।

9–छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत धनराशि का प्राचार्य द्वारा मनमाने ढंग से ऋण देकर दुरुपयोग किया जाना ।

10–महाविद्यालय में मनमाने ढंग से एक मद से दूसरे मद में धनराशि का स्थानान्तरण किया जाना ।

11–वर्ष 1986-87 में अनुदानों के उपयोग की स्थिति संदिग्ध होना ।

12–कालेज में कोई वित्त समिति का न होना ।

13–1987-88 में लगभग 3 माह तथा सत्र 1988-89 में लगभग डेढ़ माह तक कालेज को बन्द रखना ।

शिक्षा निदेशक (उ0 शि0) को जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं । अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

सामाजिक वानिकी प्रभाग व नर्सरी लेबरों के वेतनमान

57–श्री राज किशोर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी प्रभाग में काम करने वाले (वन रक्षकों) व नर्सरी लेबरों को शासनादेश के अनुसार वेतनमान दिया जाता है ? यदि हां, तो उनके वेतनमान क्रमशः क्या हैं और क्या उनकी सेवाओं के संबंध में कोई नियम बनाए गए हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री मोहम्मद असलम खां–

जी हां ।

वन विभाग के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी प्रभागों में काम करने वाले वन प्रसारकर्ता को वन रक्षक के समकक्ष वेतनमान दिया जाता है । जो नर्सरी श्रमिक दैनिक वेतन पर कार्य करते हैं, उन्हें नियमानुसार दैनिक मजदूरी दी जाती है ।

वन प्रसारकर्ता (वन रक्षक) का वेतनमान रु0 825-15-900-द0रो0-20-1200 है । नर्सरी श्रमिकों को दिनांक 1-4-89 से रु0 18/- प्रतिदिन की दर से मजदूरी दी जा रही है ।

वन प्रसारकर्ता/वन रक्षकों के लिए अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1950 तथा अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली द्वितीय संशोधन 1982 बनाई गई है । दैनिक वेतनभोगी के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई गई है । सामयिक रूप से कार्यरत श्रमिकों को वन रक्षकों की नियुक्ति में 65 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्राप्त है यदि वे निर्धारित अर्हता रखते हों ।

राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी वाराणसी में कृषि संकाय की मान्यता

58—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी वाराणसी के कृषि संकाय में गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रथम नियमावली के अनुसार अलग-अलग 11 (ग्यारह) विभाग की मान्यता उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती ।

श्री अकबर हुसैन बाबर सदस्य, विधान सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही

59—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1989 जिसकी प्राप्ति की सूचना अ0शा0 पत्र सं0-25 एम0 एम0 एस0/89-23-सा0 नि0 07-5/59 एस0 ए0/89, द्वारा दी गयी है के परिप्रेक्ष्य में क्या भुगतान के पूर्व गिट्टी मुख्यालय के किसी अधिकारी द्वारा नापी गयी है और आरोपों की जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

पुनः जांच के आदेश दे दिए गए हैं ।

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में विकास शुल्क खत्म करने की मांग

60—श्री उदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में विकास शुल्क के नाम पर प्रत्येक छात्र से प्रतिमाह पैसा वसूल किया जा रहा है जब कि कक्षा 6 तक शिक्षा निःशुल्क है ? क्या सरकार बेसिक शिक्षा परिषद्, वाराणसी की जांच करायेगी कि जब से विकास शुल्क के नाम पर पैसा वसूल किया गया है वह धन कहां है और उसको कैसे खर्च किया जा रहा है ? क्या सरकार इस विकास शुल्क को पूरे प्रदेश में खत्म करने पर विचार करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मूल चन्द्र द्वारा गैस प्लान्ट ऋण के दुरुपयोग विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

61—श्री वीर अभिमन्यु सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शारदानन्द अंचल विधायक का पत्र दिनांक 2-2-88 जो मूल चन्द्र पुत्र श्री पन्ना द्वारा गोबर गैस प्लान्ट हेतु प्राप्त ऋण के दुरुपयोग के संबंध में था उनके यहां प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हां ।

शिकायत पर जांच की गई । श्री मूलचन्द्र पुत्र पन्ना ने संयत्र का निर्माण पूर्ण नहीं कराया था । अतः उन्हें शासन द्वारा गोबर गैस संयत्र के निर्माण पर अनुमन्य अनुदान नहीं दिया गया ।

पौड़ी गढ़वाल के बेसिक शिक्षा परिषद् में मृतक आश्रित को सेवा में रखने की मांग

62—श्री भारत सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल पौड़ी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के विभिन्न पदों पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को शासनादेश के अनुरूप सेवा में न लेने का क्या कारण है ? कब तक मृतकों के आश्रितों को शासनादेश के अनुरूप सेवा में समायोजित किया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जनपद पौड़ी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 4 आश्रितों की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गयी है । शेष के आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अलीगढ़ जनपद के कतिपय ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की मांग

63—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1500 से अधिक जनसंख्या (सन् 1971) के ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? अलीगढ़ जनपद में इस श्रेणी के तीन ग्राम गिनौली किशनपुर, अगराना जरारा व नौरथा ईशेपुर को कब तक पक्के मार्ग से जोड़ दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

1500 से या उससे अधिक आबादी के अधिकांश ग्रामों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ा जा चुका है और अवशेष ग्रामों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जनपद अलीगढ़ में ग्राम अमराना-जरारा पूर्व में ही पक्के मार्ग से जोड़ा जा चुका है। जरारा, ग्राम अमराना-जरारा का एक मजरा है, उसे तथा ग्राम गिनौली किशनपुर एवं ग्राम नौरथा ईशपुर को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव वर्ष 1989-90 की जिला योजना में प्रस्तावित है ।

प्राथमिक पाठशाला बभनगवां क्षेत्र दूबे पुर जायद सुल्तानपुर के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत की मांग

64—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा बभनगवां, विकास क्षेत्र दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर का प्राथमिक पाठशाला भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी मरम्मत हेतु कोई आदेश पारित किया गया है ? यदि नहीं, तो उसे जनहित में कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां ।

जी नहीं ।

भवन मरम्मत योग्य नहीं है । उसका पुर्ननिर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

इस वित्तीय वर्ष के अन्दर निर्माण कर दिये जाने की आशा है ।

फतेहपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में चल रहे जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में रखने की मांग

65—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 वर्ष से चल रहे मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान सूची में न रखे जाने का क्या कारण है ? फतेहपुर उटैना जूनियर हाई स्कूल एवं विश्वनाथपुर जूनियर हाई स्कूल क्रमशः ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव, वाराणसी को अनुदान श्रेणी में रखने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

66—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बरेली डिग्री कालेज में कतिपय विषयों की मान्यता की मांग

67—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली नगर में लड़कों का एक डिग्री कालेज है उसमें एम0 एड0, एम0 ए0 आर्ट्स, म्यूजिक, एम0 ए0 एजूकेशन तथा बी0 ए0 में मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री जी छात्रों के हित में बरेली कालेज में उपरोक्त विषय आरम्भ कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

जी हां, एम0 ए0 आर्ट्स को छोड़कर अन्य विषय नहीं हैं ।

महाविद्यालय से नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है ।

ग्राम सभा आराजी देवारा करखिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का ब्यौरा

68—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के हरैया ब्लाक में स्थित ग्राम सभा आराजी देवारा करखिया को जवाहर रोजगार योजना में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ? इस धनराशि को किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि इस धनराशि को उचित तरीके से व्यय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम सभा आराजी देवारा करखिया विकास खण्ड हरैया में वर्ष 1989-90 में कुल रु0 1,74,015-00 की धनराशि उपलब्ध करायी गई है जिसमें रुपये 77,000-00 सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य/ईंट की आपूर्ति पर व्यय किया गया है । प्रश्नगत कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उक्त धनराशि से कराये गये कार्य की नाप एवं जांच कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं । यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

69—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया ब्लाक में स्थित ग्राम सभा करखिया रुस्तमसराय को जवाहर रोजगार योजना में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी ? इस धनराशि को किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि इस धनराशि को उचित तरीके से व्यय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ग्राम सभा करखिया रुस्तमसराय विकास खण्ड हरैया में वर्ष 1989-90 में कुल रु0 77,340.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है । उसमें से रु0 20,000.00 सम्पर्क मार्ग/मिट्टी कार्य पर व्यय किया गया है । इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की नाप एवं जांच कराने के निर्देश दे दिये गये हैं । यदि कोई अनियमितता पायी गयी तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खण्ड को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का ब्यौरा

70—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में किन-किन गांव सभाओं को जवाहर रोजगार योजना में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? उन्हें अलग-अलग किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

विकास खण्ड अजमतगढ़–आजमगढ़ के अन्तर्गत स्थित 119 ग्राम सभाओं को जवाहर रोजगार योजना में कुल रु0 55-06 लाख आवंटित किया गया है जिसमें अब तक विभिन्न मदों पर कुल रु0 18-005 लाख व्यय किया गया है, जो इस प्रकार है :–

सम्पर्क मार्ग/मिट्टी कार्य	15,03,459.00
खड़ंजा निर्माण	2,90,900.00
नाली निर्माण	5,000.00
हैण्ड पम्प पर	1,200.00
योग	18,00,559.00

ग्राम सभावार विस्तृत विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

पर्वतीय मण्डलों में सार्वजनिक विभाग के अन्तर्गत कतिपय अभियन्ताओं के स्वीकृत पदों की संख्या

71–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मण्डलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं, अधिशासी अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और अवर अभियन्ताओं के कितने-कितने पद शासन से स्वीकृत हैं और इनमें कितने-कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? इनका मण्डलवार विवरण क्या है तथा इन रिक्तियों को भरने की दिशा में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और कब तक इन रिक्तियों पर तैनाती सुनिश्चित कर दी जायेगी रिक्तियों को अभी तक न भरने के कारण क्या हैं और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियंताओं के स्वीकृत व रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत है :—

पदनाम	स्वीकृत पद पद	रिक्त पद
1–अधीक्षण अभियंता (सिविल)	11	4
2–अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक)	2	2
3–अधिशासी अभियंता (सिविल)	55	2
4–अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	7	1
5–सहायक अभियंता (सिविल)	214	62
6–सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	34	11
7–अवर अभियन्ता	1187	340

मण्डलवार विवरण संलग्न है।

विभाग के अभियन्ताओं की ज्येष्ठता विवादित होने के कारण चयन वर्ष 1985-86 के पश्चात अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता के पदों पर चयन/प्रोन्नति नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप विभाग में अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता के अनेक पद पूरे प्रदेश में रिक्त हैं ।

सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 199 अभ्यर्थियों की सहायक अभियन्ता के पद पर शासन द्वारा नई नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिनमें से प्रमुख अभियंता ने दि0 5-1-90 को पर्वतीय क्षेत्र में उपर्युक्तानुसार रिक्त सहायक अभियंता (सिविल) के सभी पदों पर तैनाती कर दी है ।

विभाग में सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के रिक्त पदों पर नियुक्तियों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है । अवर अभियन्ताओं के रिक्त पदों में से नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु विशेष अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है । पूरे प्रदेश में अवर अभियंता (सिविल के 1400 एवं अवर अभियंता (प्रावैधिक) के 170 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन वर्ष 1982-83 में ही लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 153 पर)

वर्ष 1989–90 में सा0 नि0 वि0 को सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध धनराशि का ब्यौरा

72–श्री पंचानन राय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 89-90 में प्रदेश में सड़क निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान था तथा नवम्बर, 1989 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा कितने कि0 मी0 सड़क का निर्माण हुआ ? शेष लक्ष्य कब तक पूरा होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

वित्तीय वर्ष 1989–90 में प्रदेश में सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु (अधिष्ठान व्यय छोड़कर) निम्नलिखित धनराशि का प्राविधान है :—

(1) राज्य सेक्टर	71.78 करोड़
(2) जिला सेक्टर	76.51 करोड़

नवम्बर, 1989 तक राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर में क्रमशः 49.21 करोड़ रुपये तथा 36.97 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है एवं निम्नांकित मदों के सम्मुख अंकित लम्बाई में सड़कों का निर्माण हुआ है :—

(1) मिट्टी का कार्य	616 कि0मी0
(2) पुलियों का कार्य	2835 कि0मी0
(3) खड़ंजे का कार्य	1474 कि0मी0
(4) मध्य सतह का कार्य	1275 कि0मी0
(5) ऊपरी सतह का कार्य	1691 कि0मी0

(6) प्रथम सतह पेन्टिंग 1414 कि0मी0
(7) बी0 एम0/एस0 डी0 सी0 के कार्य 848 कि0मी0
(8) लघु सेतुओं का निर्माण 58 नं0

मार्च, 1990 तक पूर्ण कराने का प्रस्ताव है।

सुल्तानपुर, विकास क्षेत्र कुड़वार में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रधानों को उपलब्ध धनराशि का ब्योरा

73–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना अंतर्गत विकास क्षेत्र–कुड़वार, सुल्तानपुर में कितना धन किन-किन प्रधानों को दिया गया है? जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत दिए जाने वाले धन का उपयोग किन-किन कार्यों में किया जा रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

विकास क्षेत्र कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर में स्थित 83 ग्राम सभाओं को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि एवं उससे कराये जा रहे कार्यों का विवरण विस्तृत है। उसे मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है।

ग्राम सभा बेला पश्चिम, सुल्तानपुर को हरिजन आवास तथा सड़क निर्माण हेतु दी गयी धनराशि, उसका व्यय तथा निर्माण की जांच की मांग

74–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बेला पश्चिम, सुल्तानपुर के अन्तर्गत निर्माण किये गये हरिजन आवास तथा सड़क के निर्माण में कितना रुपया किस मद से व्यय किया गया है ? क्या उक्त सड़क एवं आवासों में प्रयुक्त सामग्री घटिया स्तर की है ? यदि हां, तो सरकार प्रयोग की गयी सामग्री की टेक्निकल जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

ग्राम सभा बेला पश्चिम, सुल्तानपुर में वर्ष 86-87 में 13 एवं 87-88 में 1, इस प्रकार कुल 14 इन्दिरा आवासों के निर्माण में क्रमशः रुपये 85,373.88 एवं रुपये 6,141 व्यय किया गया। वर्ष 88–89 में कुल 18 निर्बल वर्ग आवासों का निर्माण प्रारम्भ कराया गया जिसमें से 13 आवास पूर्ण हो गये हैं। शेष 5 आवास विवादाग्रस्त हो जाने के कारण अपूर्ण हैं। इन आवासों के निर्माण में कुल रु0 1,05,960 की धनराशि व्यय हुई है। वर्ष 89–90 में कुल 10 इन्दिरा आवास निर्माणाधीन हैं।

उक्त गांव में 2 कि0मी0 सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विगत 2 वर्षों से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 3 कि0 मी0 के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया है जिस पर कुल रु0 50,405 व्यय किया गया।

उपर्युक्त आवासों/सड़कों की तकनीकी जांच कराई जा रही है। जांच परिणाम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आगरा जनपद में इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग

75–श्री किशन गोपाल–

क्या शिक्षा मंत्री आगरा में विद्यालयों की कमी को देखते हुए लड़के एवं लड़कियों के लिए एक-एक इण्टरमीडिएट विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे इण्टरमीडिएट विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

76–श्री किशन गोपाल–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 38 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

वी0 आई0 पी0 रोड, आगरा के सौन्दर्यीकरण की योजना

77–श्री किशन गोपाल–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में वी0 आई0 पी0 रोड, जो कि हवाई अड्डे खेरिया से शुरू होता है, के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण ।

नियम 301 की सूचनाएं

[12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 जनवरी, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अंतर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की है, दूसरी सूचना श्री पंचानन राय जी की है, तीसरी सूचना श्री सुन्दर लाल बाराबंकी की है, चौथी सूचना श्री कृष्ण स्वरूप की है और पांचवीं सूचना श्री उदल जी की है, छठी श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की और सातवीं श्री सुरेन्द्र सिंह जी की है । अब मैं श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी सूचना पढ़ दें । (श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सदन में अनुपस्थित रहने पर) ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुए वर्षों बीत गये हैं और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की स्पष्ट संस्तुति की गई है। जनता को कम खर्च पर और शीघ्र न्याय सुलभ हो इसके लिए खंडपीठ की स्थापना किया जाना परमावश्यक है।

परन्तु खेद है कि प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया अब जबकि जनभावनाओं की नई सरकार आई है तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता यह अपेक्षा कर रही है कि सरकार खंडपीठ की घोषणा करके जनभावनाओं का आदर करेगी। जानकारी मिली है कि केन्द्र सरकार ने स्थान के नाम का सुझाव प्रदेश सरकार से मांगा है तथा अब तक प्रदेश सरकार ने संस्तुति नहीं की है।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह पश्चिमी उ0 प्र0 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को अपनी स्थान के नाम की संस्तुति भेजे।]

नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचना से संबंधित सदस्य के अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

जब माननीय सदस्य हैं नहीं तो पढ़ा हुआ कैसे आप मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वह हैं नहीं, उन्होंने दिया है और शलाका में आने पर अब मैंने इसे ग्राह्य कर दिया है।

श्री विजय सिंह राणा–

जब आपने नाम पुकारा तो उनके द्वारा इसे यहीं पढ़ा जाना चाहिए था। नाम न पुकारते तब तो ठीक था, लेकिन आपने पुकारा और वह खड़े नहीं हुए, तो उसको कैसे लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

इतनी तो छूट आपको सदस्य को देनी ही होगी। यदि सूचना आई है और शलाका में ग्राह्य हो गई है और मैंने आपकी सुविधा के लिए कहा पढ़ दें। मैंने उसमें यह व्यवस्था दे दी, मैंने इसे ले लिया तो उसमें आपको क्यों आपत्ति है ? क्या आपत्ति है ?

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री विजय सिंह राणा–

आपत्ति है, आप नाम न पुकारते, तब तो हो सकता था, लेकिन अब जब पुकारा है, तो जिस सदस्य का नाम पुकारा गया है, उनको सदन में उपस्थित रहना चाहिए था। नहीं है तो उनके नाम की कोई सूचना नहीं आनी चाहिए। यही व्यवस्था प्रश्नों के संबंध में भी है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसमें अपनी व्यवस्था दे दी है। अब पंचानन राय जी से कहूंगा कि वह अगली अपनी सूचना पढ़ें।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा सरकार का ध्यान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में अधिकारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर किये जा रहे भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण परीक्षा की प्रमाणिकता नष्ट होती है तथा लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। परीक्षाएं प्रारम्भ होने वाली हैं। केन्द्र निर्धारण में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस व्यवस्था से लाखों परीक्षार्थियों का भविव्य जुड़ा हुआ है तथा इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। इससे छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में चिन्ता व्याप्त है। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूं।

एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज, आजमगढ़ में वर्ष 1989 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षोपरान्त लिखाये जाने की शिकायत पर शिक्षा निदेशक ने दूरभाष पर उप शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिये उप शिक्षा निदेशक ने स्थलीय जांच के उपरान्त लिखा कि "उक्त केन्द्र पर अनियमितता प्रमाणित होती है तथा आरोप सिद्ध होता है" इसके बावजूद केन्द्र व्यवस्थापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस वर्ष पुनः इस विद्यालय को परीक्षा का केन्द्र बना दिया गया है।

प्रदेश के गांधी आश्रम के कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)–

मान्यवर, प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रहे गांधी आश्रम के सेवा कर्मियों के लिए शासन द्वारा आजादी के 42 वर्ष बाद भी आज तक न तो कोई न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित की गयी और न तो कोई सेवा नियमावली ही बनी, जिसकी परिधि के अंतर्गत रह कर गांधी आश्रम में कार्यरत सभी सेवा कर्मी कार्य कर सकें। इसके अभाव में जहां इनका शोषण किया जा रहा है वहीं समस्त सेवा कर्मी मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं यहां तक कि इन्हें श्रम कानून की परिधि से भी बाहर रखा गया है राज्य कर्मचारियों की भांति ही गांधी आश्रम कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा वेतनमान एवं सेवा नियमावली बनायी जाय। जिससे गांधी आश्रम के अन्तर्गत कार्यरत सेवा कर्मियों का शोषण एवं उत्पीड़न न हो।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।

जनपद बदायूं में धान एवं बाजरा की खरीद की समुचित व्यवस्था न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने बाजरा और धान के काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए बाजरा और धान खरीदने की घोषणा की है परन्तु बदायूं जनपद में अभी तक बाजरा और धान खरीदने के लिए क्रय केन्द्र नहीं खोले गए हैं । जिसके कारण कास्तकारों का बाजरा और धान बहुत कम मूल्य पर बाजार में बिक रहा है, किसान परेशान हैं बदायूं के जिला प्रशासन ने भी कई बार शासन को इस आशय के टेलेक्स भेजे हैं कि शासन बदायूं में इस प्रकार के क्रय केन्द्र खोले जायें । बाजरा और धान प्रोत्साहन मूल्य पर खरीदे जायें जिससे कास्तकार लुटने से बच जायें ।

वाराणसी जिलान्तर्गत ब्लाक पिंडरा के विद्युत सब स्टेशन की विद्युत वितरण व्यवस्था ठीक किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री उदल–

मान्यवर, मंगारी बाजार ब्लाक पिंडरा सब विद्युत स्टेशन नेवादा, वाराणसी जो अभी दो माह से चालू किया गया है उसका विद्युत वितरण संतोष जनक नहीं है । मंगारी बाजार में 5 बजे शाम से 10 बजे रात तक विद्युत आपूर्ति काट दी जाती है । मंगारी बाजार के तार शुरू के हैं जो गल गये हैं । इसको आज तक बदला भी नहीं गया । जब से यह स्टेशन चालू किया गया है विद्युत वितरण व्यवधान शुरू से है । इस गड़बड़ी को दूर करने तथा सड़े गले तारों को बदलने के लिए सभी अधिकारियों को लिखा भी गया लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी ।

1–ठीक नहीं किया गया । इस सब विद्युत स्टेशन नेवादा वाराणसी के पूरे क्षेत्र में अनियमित सप्लाई हो रही है और इसके क्षेत्र का निर्धारण भी नहीं किया गया इस-लिए संबंधित मंत्री से मांग करता हूं कि मंगारी बाजार तथा अन्य स्थानों की बिजली सायं 5 बजे से रात 10 बजे की कटौती समाप्त कर रेगुलर बिजली दी जाय ।

2–विद्युत बिलों को सुधारने हेतु नेवादा केन्द्र पर ही शिविर लगाया जाय ।

3–मंगारी बाजार में जर्जर पुराने तारों को तुरन्त बदल दिया जाय ताकि दुर्घटना रोकी जाय ।

4–मंगारी बाजार के अंदर बाजार में लगे ट्रांसफार्मर को बाहर लगाया जाय ।

आपकी आज्ञा से नियम 301 के अंतर्गत इस लोक महत्व के प्रश्न पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील व ब्लाक जलालाबाद में रबी की फसलों को जंगली गायों द्वारा नुकसान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरे जनपद शाहजहांपुर की जो तहसील है . .

श्री अध्यक्ष–

आप देख कर पढ़ दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं अपने सूचना की प्रति लाना भूल गया हूं कृपया इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सूचना पढ़ी हुई मानी जाय ।

(सूचना पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

[मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर की तहसील व ब्लाक जलालाबाद के ग्राम फरीदापुर, बरआ, पेहना, मकटीरा आदि की हजारों एकड़ रबी की फसल को लगभग 300 गायें चर गयीं यह गायें जंगली हैं कुछ लोग छोड़ भी देते हैं । कृषक परेशान दाने-दाने को दुखी हैं । तत्काल यह गायें पकड़ाई जायें और गोशाला को भेजी जायें और जो लोग अपनी गायें रात को छोड़ देते हैं उनके विरुद्ध अति शीघ्र कार्यवाही की जाय तथा जिनकी फसल समाप्त हो गई है उन्हें तत्काल सहायता दी जाये ।]

नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचना से सम्बन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों के लिये हस्तपुस्तिका हमें दी गयी है उसमें नियम 301 के सूचनाओं के बारे में दिया गया है । इसमें कहा गया है कि नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें दो प्रतियों में प्रत्येक उपवेशन के प्रारम्भ होने के एक घंटे पूर्व तक सचिव को दी जा सकेगी । नियम 301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनायें अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् और सामान्य कार्य के पूर्व सदन के संज्ञान में लाई जा सकेगी । इसमें स्पष्ट दिया गया है । हमारी समझ में यह नहीं आया, सूचना संज्ञान में नहीं लायी गयी और आपने कह दिया कि पढ़ी हुयी मान ली गयी । जो सूचना दी जाती है उसको सदन के अंदर पढ़ा जाना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह से) माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं । मैंने आपका नाम लिया था, आपकी सूचना शलाका में आ गयी । एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठा दिया है, उसका उत्तर दे दीजिये ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय सदस्य राजनाथ सोनकर ने एक प्रश्न उठाया है । इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि विगत सत्र में यह परम्परा रही है कि जिन सूचनाओं को माननीय अध्यक्ष द्वारा पढ़ा हुआ मान लिया जाता रहा है उनके जो विषय रहे हों उनको पढ़कर सुना दिया जाता रहा है । तो पढ़ा हुआ माना जाय लेकिन किस विषय में सूचना है यह सदन को बता दिया जाय तो पर्याप्त होगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा उस सम्बन्ध में निवेदन है कि ऐसी सूचनाओं को, सदस्यों के लिये हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार सदन में लाया जाना आवश्यक है । अगर सदस्य सदन में नहीं हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि उन सूचनाओं को स्पीकर स्वयं पढ़कर सुना दें ताकि सदन के संज्ञान में वह आ जायं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मेरा एक निवेदन है । आपके आसन से जो भी निर्देश हो जाते हैं वह शिरोधार्य हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें क्योंकि जब किसी सूचना को आप पढ़ा हुआ मानेंगे तो उसका इन्सफरेंस यह निकलेगा कि जिस समय सूचना पढ़ी हुयी मानी गयी उस समय वह माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे । इसीलिये पूर्व में आपकी पीठ से, आपके आसन से विनिश्चय हुये हैं कि अगर कोई माननीय सदस्य को पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित पाये गये तो उनकी सूचना को निरस्त माना जायगा । मैं चाहूंगा कि पूर्व में जो व्यवस्थायें हुयी हैं उनको देखें, वह भी आपके आसन से जारी की गयीं व्यवस्थायें हैं । ऐसी कोई व्यवस्था आपकी पीठ से न हो जो असंगत लगे और अनुपस्थित रहते हुए कोई माननीय सदस्य उपस्थित माना जाय ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न उठाया था । यहां पर अभी एक माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया था और नाम पुकारे जाने के बाद वह माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे । तब मैंने प्रश्न उठाया था कि आप उनकी सूचना को ग्राह्य नहीं कर सकते हैं । माननीय तिवारी जी ने यही बात कही है । जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया हो अगर वह सदन में उपस्थित नहीं हैं तो उसकी सूचना ग्राह्य नहीं हो सकती है । आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की कृपा करें ।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, 12 तारीख के उपवेशन के दिन जब शून्य काल आया था तो उस समय आपने व्यवस्था दी थी आप कार्यवाही निकलवा लें । आपने कहा था कि माननीय सदस्य जो सूचना हमको भेजते हैं वह सूचना पढ़कर सुनायी जाय । ताकि सदन का ध्यान उन गम्भीर मामलों की तरफ आकर्षित हो सके और श्रीमन् आपने जब व्यवस्था दे दी, तो आपके पढ़वाने से पहले आज भी आपने कहा था कि माननीय अमुक-अमुक सदस्यों की सूचना स्वीकार करता हूं यानि ग्राह्य की गयी और मैं अनुमति देता हूं कि पढ़ें । एक बार 12 तारीख के उपवेशन में और आज सुबह नाम पुकारने के पहले आपने व्यवस्था दे दी कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अमुक-अमुक सदस्य अपनी-अपनी सूचनाएं पढ़ें । अगर कोई सदस्य नहीं है और आपने कह दिया कि पढ़ी हुई मान ली जायं, 12 तारीख को और आज भी यह व्यवस्था आपकी पीठ से हुई है, जब आप ऊपर से नाम पुकार रहे हैं और जो सदस्य उपस्थित होते हैं, उन्हीं के उत्तर आप माननीय मंत्री जी से दिलवाते हैं, जिन माननीय सदस्यों को आप बुलायेंगे उन्ही के प्रश्नों की आप पुकारेंगे तभी वे सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

माननीय सदस्य फैजाबाद माननीय सदस्य फिरोजाबाद ने जो प्रश्न उठाये हैं और जो यहां पर बुनियादी प्रश्न उठाया गया है, श्रीमन् अगर शलाका न होती और सभी प्रश्न लिये जाते, तो उन सभी के नाम लिये जाते, जिनके प्रश्न आपके सम्मुख आये हैं और अगर कोई सदस्य न उपस्थित होता, तो दूसरे सदस्य का नाम लिया जाता, क्योंकि जो अनुपस्थित हैं, उनके प्रश्नों को छोड़कर हमने अगर अगला प्रश्न ले लिया, तो वह कार्यवाही में छप जायगा । लेकिन जहां तक ऐसे मोशन का सवाल है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, मैं समझता हूं कि इसमें आप कृपा करके अपना निर्णय जो उन्होंने व्यवस्था उठाई है, इसके पक्ष में देंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

श्रीमन् मैं इसमें बुनियादी बात उठाना चाहता हूं । यदि एक सदस्य नहीं है और यदि उसका वक्तव्य उसकी अनुपस्थिति में पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा तो संसदीय नियमों की अवहेलना होगी ।

श्री अध्यक्ष–

(माइक खराब)

यह तो आप कह चुके हैं । हमें अब व्यवस्था देने दीजिए ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

श्रीमन् अगर एक सदस्य नहीं है और आप व्यवस्था देते हैं कि उसकी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नकाल में माननीय सदस्य अनुपस्थित है, तो उसका ये प्रश्न भी पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ? अध्यक्ष जी, सदन में अगर कोई सदस्य नहीं है, तब उसके आगे वाला दूसरा प्रश्न ले लिया जाता है । मैं इसी संदर्भ में लोक सभा का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर अगर कोई सदस्य सदन में उपस्थित नहीं है, तो उस सदस्य की प्रश्न या सूचना जो भी हो पढ़ा हुआ नहीं माना जाता है उसके बाद वाली सूचना ले ली जाती है । अतः सदस्य की न मौजूदगी में उसकी कोई भी सूचना सदन में ग्राह्य नहीं समझी जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने, माननीय नेता विरोधी दल ने इस विषय पर जो विचार व्यक्त किये हैं, उसमें इस मूल बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि नियम 301 की सूचना के प्रश्न पर यदि किसी माननीय सदस्य का शलाका में उसका आवेदन स्वीकार किया गया है और यदि वह सदन में उपस्थित न हो, तो उसको अस्वीकार समझा जाय, उसको पढ़ा हुआ न माना जाय । इस सम्बन्ध में इस सदन की इस पीठ पर बैठने वाले पूर्व अनेक हमारे विद्वान अध्यक्षों ने यह परम्परा रखी है कि बहुत से ऐसे प्रतिवेदन या भाषण हैं जैसे राज्यपाल का है यदि सदन सहमत होता है तो उसे पढ़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ मान लिया जाता है समय बचाने के लिये । नियम 301 पर एक व्यवस्था यहां पर परम्परा रही है । चूंकि सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है कभी कभी यहां ज्यादातर इतनी संख्या में प्रतिवेदन आ जाते हैं कि उनको स्वीकार करना, उन सबको समय देना सदन के अन्दर और वह अपने विचार व्यक्त करें, सम्भव नहीं होता है । एक व्यवस्था आपने स्वीकार की कि शलाका के द्वारा 7 सदस्यों की यह सूचना 301 में स्वीकार की जाय । जब 7 सदस्यों की सूचना स्वीकार हुई तो इसके पूर्व के दिन मैंने केवल नाम पढ़ दिया और यह कहा कि इलाका में सात सूचनाएं स्वीकार हुयी हैं प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी । कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे कक्ष में आकर यह इच्छा व्यक्त की कि मान्यवर, जब हमारी सूचना स्वीकार हुई तो इतनी तो अनुमति होनी चाहिए कि उस सूचना को हम सदन के सामने पढ़ दें । मैंने भी यह अनुभव किया कि यह आवश्यक है कि माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं उसको पढ़ दें । इसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया । मैंने माननीय सदस्य का नाम लिया और उनसे यह निवेदन किया कि वह अपनी सूचना पढ़ें । माननीय एक सदस्य उपस्थित नहीं थे और माननीय किसी सदस्य ने कहा कि उन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय और मैंने व्यवस्था दी कि उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय । माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सदन आप सब की सहमति से चलता है जैसा सदन निर्णय करेगा वही प्रक्रिया यहां चलेगी । अगर माननीय सदस्यों की भावना है कि हम उन 7 में से अगर कोई अनुपस्थित हो जाता है तो उसको पढ़ा हुआ न माना जाय तो इसमें पीठ की कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपकी सबकी भावना है यदि आपकी सबकी भावना है तो मैं यह व्यवस्था देता हूं कि 301 में जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होंगे उनकी वह सूचना पढ़ी हुई नहीं मानी जायेगी और इसके आगे यह भी तय होगा कि यदि 7 में से कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित हो तो फिर क्या सूचना नम्बर 8 और नम्बर 9 पर आगे भी लिया जा सकेगा । इसके लिए मैं सभी दलों के माननीय नेताओं को कक्ष में आमंत्रित करूंगा वह जैसी व्यवस्था बना देंगे वैसे सदन चलेगा ।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद शहर में पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व प्रेस संवाददाता श्री जितेन्द्र जैन पर किए गए नियम प्रहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह–

महोदय, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में दिनांक 16-12-89 को पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तथा दैनिक हिन्दुस्तान व दैनिक वीर अर्जुन के संवाददाता जितेन्द्र जैन के उंगलियों के नाखून पिलास से खींच लिए और लाठियों से इतनी पिटाई की कि उन्हें खून की उलटियां हुई इसी तरह कमलेश तायल और अन्य 6 लोगों को इतना मारा पीटा सबको लहूलुहान कर दिया पुलिस ने 16-12-89 की रात को गुलाम भारत की याद दिला दी है । [x x x] ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो लिखा है वही पढ़ें

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना है, वहीं पढ़ें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि एस0 पी0 बिजनौर, एस0 डी0 एम0 व सी0 ओ0 नजीबाबाद तथा अन्य पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर न्यायिक जांच करायी जाय ।

नियम 301 के अन्तर्गत शाब्द लिखित सूचना के अतिरिक्त शब्द बोलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपको नियम 301 के अंतर्गत जो सूचना दी जाती है और सदन में जितने शब्द गिनकर आपको दिये गये हैं, अगर कोई सदस्य उसके अतिरिक्त अपनी ओर से कोई शब्द नियम 301 के अन्तर्गत पढ़ता है तो क्या उसको माना जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

वह नहीं माना जायगा । जो लिखित सूचना है, वहीं मानी जायगी ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत कुल चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक सूचना श्री पंचानन राय की है, दूसरी सूचना श्री मुईद अहमद की है, तीसरी सूचना डा0 दिनेश जौहरी की है तथा चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार की है । इस विषय में मुझे यह कहना है कि नियम 300 के अन्तर्गत . . . (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत संविधान की किसी धारा का उल्लंघन या इस प्रक्रिया नियमावली का कहीं उल्लंघन हो तो धारा 300 के अन्तर्गत निश्चित ही उस सूचना को सुना जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने जो भी सूचनाएं दी हैं, इसमें कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है । न कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है न प्रक्रिया नियमावली का । इसलिये मैं सब सूचनाएं अस्वीकार करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसे अस्वीकार किया है । आप जो कहेंगे, कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

यह सब कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा । मैंने चारों सूचनाएं अस्वीकार कर दी हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष––

आप व्यवस्था का प्रश्न करें, लेकिन अपनी सूचना के बारे में प्रश्न न करें

श्री प्रमोद कुमार–

नहीं करूंगा । मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इस शासन द्वारा यदि किसी पवित्र स्थल का उपयोग. . .

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

मैं इसको अनुमति नहीं देता हूं । आप यह बतावें कि जो सूचना आपने दी है, इसमें संविधान का उल्लंघन या नियमावली की प्रक्रिया का उल्लंघन कौन सा है ? आप किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आप इसकी ग्राह्यता पर कोई बात कह रहे हैं तो कहें, लेकिन इसके बारे में आपको समय नहीं दूंगा । जो सूचना आपने दी है, उसको मैंने पढ़ लिया है । (घोर व्यवधान) . . आप नियमों का उल्लंघन न करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप व्यवस्था तो पूरी सुनें, फिर रिजेक्ट कर दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा कहना है कि इस व्यवस्था के नाम पर नियमों के विरुद्ध कैसे सुन सकता हूं । इसकी अनुमति कैसे दे दूं ? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । अगर यह परम्परा चल गयी तो ऐसी तमाम बातें होंगी जिनका व्यवस्था से कोई मतलब नहीं होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप बता दें कि मैं क्या व्यवस्था उठाना चाह रहा था ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक व्यवस्था सुना दी । आप लोग बैठें ।

नियम 300 में तो वही सूचना आती है, जब कहीं संविधान का उल्लंघन हुआ है या प्रक्रिया नियमावली का उल्लंघन हुआ हो, अगर सूचना इसके अन्तर्गत है तो आपको पूरा अधिकार है उठाने का । अब किसी घटना को लेकर आप इस नियम में उठाना चाहें, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाना चाहें, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । और, अब मैं आगे बढ़ता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही का भाग नहीं है । आप बैठ जायं ।

यह कार्यवाही का भाग नहीं है । मेरी अनुमति के बिना इस समय जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह कार्यवाही का भाग नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय द्वारा दी गयी नियम 103 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 103 के अन्तर्गत एक सूचना श्री पंचानन राय जी की प्राप्त हुई है । आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मान्यवर, अनुरोध है कि यह देख लें कि यहां कितने नये सदस्य हैं और कितने पुराने सदस्य हैं । [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है । यह तो एक प्रकार से आरोप सा है ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं, पुराने माननीय सदस्य ही बार-बार खड़े हो रहे हैं, कभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, कभी औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं कभी कोई दूसरे प्रश्न उठा रहे हैं । उन्हीं का बार-बार नाम लिया जा रहा है । हम लोगों को भी मौका दें, जो नये चुनकर आये हैं ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 103 में एक सूचना प्राप्त हुई है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो इस सरकार की आए-आए की संस्कृत है इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने 103 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना दी जाती है यह सूचना प्रस्ताव के रूप में ही नहीं है । प्रस्ताव पर मतदान होता है । प्रस्ताव के रूप में यह सूचना नहीं है । यह सूचना अस्वीकार की जाती है ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, यह जो 103 के अन्तर्गत सूचना दी है, मान्यवर, मैं नियम पढ़ दे रहा हूं, आप इसे देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या 7 ले रहा हूं । माननीय पंचानन राय जी आप तो पुराने सदस्य हैं, आपको प्रस्ताव बनाकर देना चाहिये ।

रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट में विधान सभा के चार सदस्यों की सदस्यता हेतु निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिए रुड़की विश्वविद्यालय एक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 'यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट में सदस्यता के लिये रुड़की विश्वविद्यालय एक्ट, 1947 की धारा 16 की उपधारा (1) की श्रेणी 3 की मद संख्या (11) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि विधान सभा की समितियों के बारे में प्रक्रिया अपनाई गयी है कि अध्यक्ष को इसका अधिकार दे दिया गया है कि सभी दलों के लोगों से बात

करके सदस्यों का निर्वाचन सुनिश्चित हो जायगा । तो माननीय नेता विरोधी दल यहां मौजूद नहीं हैं, उनके स्थान पर जो हों, उनसे मेरा अनुरोध है कि वह भी इस बारे में अपनी सहमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह प्रस्ताव आप लिखकर दे दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सदस्यों की संख्या को दल के अनुपात के अनुसार रखा जाय, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड हेतु विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने के लिए श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हेतु सदस्यों के भाषण के समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 9 के बारे में एक सूचना देना चाहूंगा कि नेताओं से वार्ता करके ऐसा निर्णय हुआ है कि माननीय दलों के नेतागण, माननीय मंत्रीगण इसमें 10 मिनट तक अपने विचार व्यक्त करें और अन्य माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात कहेंगे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माननीय सदस्यों के लिए 7 मिनट का समय कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । कई माननीय सदस्यों ने, माननीय नेताओं ने विचार व्यक्त किया कि उनकी इच्छा है कि अधिक से अधिक सदस्य बोलें इसलिए अगर समय कम दिया जायगा, तो ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल पायेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह कोई विधेयक नहीं है । पांच मिनट में तमाम सदस्य अपनी बात नहीं कह पायेंगे । इसमें अभी माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात कहेंगे । मेरे कहने का आशय यह है कि 5 मिनट में बहुत से लोग स्टार्ट लेंगे, इसलिए 7 मिनट का समय कर दिया जाय ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, प्रमोद जी, काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और पिछले सदन में भी यही परम्परा रही है । चूंकि तमाम सदस्य नए निर्वाचित होकर आए हैं और सभी सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकें, इसलिए 5 मिनट का समय पर्याप्त है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका मिले, इस बात से मैं सहमत हूं । लेकिन उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि यह इसके लिए प्रस्ताव लाएं और सदन का समय बढ़ा दें । सदन दो दिन और बढ़ जाय । आप 5-6 दिन चर्चा करा लीजिए, अगर आपकी नियत साफ हो ।

श्री अध्यक्ष–

आप भाषा संतुलित रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 5 मिनट में बहुत से सदस्य अपनी बात नहीं कह पायेंगे इसलिए 7 मिनट का समय निर्धारित कर दें, तो उसमें क्या आपत्ति है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह हमारा प्रस्ताव है और अनुरोध भी है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में अधिक से अधिक सदस्यों को समय मिले और अधिक से अधिक सदस्य इसमें हिस्सा लें । पिछले कार्यकाल को आप देखें, तो पायेंगे कि 1-1- घण्टे, 2-2 घण्टे तक चर्चायें हुई हैं ।

मान्यवर, हमने आपसे भी अनुरोध किया है कि किसी भी हालत में 4 घण्टे से कम चर्चा न हो । यदि आप उचित समझते हों तो सदन का कार्यकाल बढ़ा दें और माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद कुमार जी ने जो सुझाव दिया है कि माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि 7 मिनट का समय दिया जाय तो इस संबंध में वह हां कह कर अपनी सहमति दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसके लिए मतदान की कोई आवश्यकता नहीं है । आपको यह अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा था । मैं तो सबकी सहमति से सदन चलाना चाहता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप व्यवस्था दें । वह हम सबको शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, प्रत्येक माननीय सदस्य को 7 मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । धन्यवाद के प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य के भाषण को भी मैंने सुना और उसका समर्थन करने वाले माननीय सदस्य के भाषण को भी मैंने सुना । साथ ही नेता विरोधी दल जिस समय अपना भाषण कर रहे थे, उनके भाषण को भी मैं विस्तार से सुन रहा था । मैं जानता हूं कि वह समाजवाद के प्रकाण्ड पंडित, संसदीय लोकतंत्र के ज्ञाता और अनुभव के धनी हैं । मैं समझता था कि जो रचनात्मक सहयोग देने का उन्होंने वायदा किया था और जो बात उन्होंने यहां पर कही, मैं समझता था कि उनके निश्चित रूप से कुछ सुझाव आयेंगे, जिससे हमारे प्रदेश में नई समाज की संरचना और व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में एक नई दिशा मिलेगी । लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय नेता विरोधी दल के भाषण ने मुझे बहुत निराश किया है । जिस समय वह भाषण कर रहे थे ला जनरल में छपी श्री कन्हैयालाल मिश्र जी के ट्रिब्यूट से संबंधित कुछ पंक्तियां मुझे याद आयी । जिसमें लिखा था "हिज एबेलिटी कुड बी जज्ड बेस्ट ह्वैन दि केस वाज वीक एण्ड कोर्ट वाज हास्टाइल ।" उनकी विद्वता का सही आंकलन तब होता था जब वह किसी कमजोर केस की पैरवी में खड़े होते थे और अदालत भी उनके अनुकूल नहीं होती थी । माननीय नेता विरोधी दल, जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और वह जनता उनके प्रति हास्टाइल है, उनके दल के प्रति हास्टाइल है । उनका केस लचर था। अपनी विद्वता और अपने पांडित्य से उन्होंने उस लचर केस को सदन के सामने रखने में अपनी विद्वता का जिस तरह से इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं ।

श्री बाजपेयी जी ने धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमें विरासत में खाली खजाना मिला । यह बात नेता विरोधी दल को छू गई और उन्होंने रिजर्व बैंक का हवाला दिया और कहा कि हमने कभी ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया । बहुत ही योग्यता के साथ अपने कारनामों पर उन्होंने यहां पर परदा डालने का प्रयास किया । कई विभागों के लिए कई सौ करोड़ रुपए का स्पिल ओवर लिया ? इसका जवाब भी वह बहुत ही मासूमियत से दे गये । उन्होंने कहा कि यह सही है कि हमने अभी 15 सौ करोड़ का स्पिल ओवर लिया था और हम उससे प्रदेश में नई योजनायें लाये थे । आप भी केन्द्र सरकार से कह कर नई योजनायें प्रदेश में लायें । मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी विद्वता का दुरुपयोग किया है ।

†दिनांक 12 जनवरी, 1990 की कार्यवाही से ।

(माइक बीच-बीच में बार-बार खराब होने के कारण व्यवधान)

मेरी चुनौती है कि कांग्रेस की सरकारों ने जो "स्पिल ओवर" लिया है, वह इसलिये नहीं कि केन्द्र से उसका सहारा लेकर प्रदेश के विकास के लिए नयी योजनाओं की सैंक्शन लायें बल्कि उनका रवैया बड़ा भेदभावपूर्ण रहा है। जब हमारे मंत्रीगण दौरों पर जाते थे तो कुछ क्षेत्रों में बिना बजट के खैरात बांटते थे। आप देख लें अमेठी में क्या हुआ है। "स्पिल ओवर" इसलिए लिया गया कि "डाइवर्जन आफ फण्ड्स" हुए थे। एक मद में स्वीकृत रकम को दूसरे मद में खर्च किया गया। प्रदेश के बाकी क्षेत्रों को इन्होंने उपेक्षित किया, कुछ क्षेत्रों को सजाने के लिए।

(माइक खराब होने से व्यवधान)

यहां बैठने वाले सत्ता पक्ष के लोगों की स्थिति कौरवों जैसी थी। उनके क्षेत्रों को नग्न करके धन दूसरे क्षेत्रों में लगाया जा रहा था और वह मौन बने बैठे थे। पिछले दो साल का डिस्ट्रिक्ट सेक्टर प्लान का बजट सारा का सारा डाइवर्ट कर दिया गया था और उस फण्ड को जाम कर दिया गया था सारे विभागों में सर्कुलर निकालकर ताकि जनता को असलियत का पता न चल पाये। नवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो सर्कुलर मैंने यहां उद्धृत किये थे और कहा था कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ बेईमानी की जा रही है। मैं चाहूंगा जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री और नेता, सदन अपना बयान दें तो बतायें कि किस प्रकार "स्पिल ओवर" का सहारा लेकर दूसरे क्षेत्रों का हक मारकर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को सजाया गया है और विकास योजनाओं को रोका गया है। इससे क्षेत्रीय विषमता की खाई बढ़ी है। इसी तरह से पी0 एल0 ए0 का धन जाम करने का काम किया गया। बजट में प्रोवीजन हुआ कि सारा धन पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो रहा है, केवल एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूं, जिनको नेता, विरोधी दल ने उठाया था। अगर खाली खाना-पूरी ही करनी हो तो बात अलग है। मैं किसी भी बात को "रिपीट" नहीं कर रहा हूं।

पी0 एल0 ए0 में पैसा जमा होता है, उसको "फ्रीज" करके "डाइवर्ट" कर लेते थे दूसरे कामों के लिए। इसी तरह से माता प्रसाद पाण्डेय जी ने विगत सत्र में पी0 एल0 ए0 को "फ्रीज" करने का मामला बार-बार उठाया लेकिन कांग्रेस की निरंकुश सरकार ने कुछ नहीं किया। यह सिलसिला पिछले 40 सालों से चला आ रहा है।

(माइक खराब होने के कारण व्यवधान)

"स्पिल ओवर" सिस्टम का कैसा दुरुपयोग किया है "डाइवर्जन आफ फण्ड्स" के जरिये यह आप देखें। एक मद के फण्ड को दूसरे मद में कैसे इस्तेमाल किया है, तब पता चलेगा कि सरकार के सामने कितनी चुनौतियां छोड़ी हैं विगत सरकार ने। जनता

दल की सरकार के, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के कुछ पब्लिक कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है लेकिन इसके लिए उसे सदन को विश्वास में लेना और प्रदेश की 14 करोड़ जनता को विश्वास में लेना होगा क्योंकि संसाधनों के लिए उन्हीं के दरवाजे खटखटाने होंगे । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि खजाना खाली है ।

(व्यवधान)

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, चौधरी शंकर सिंह पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मुझे पांच मिनट का समय और दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो निर्णय लिया था, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, आप ही उस निर्णय का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे सदस्यों से कैसे आशा की जा सकती है ? 10 मिनट आप बोल चुके हैं, आप एक मिनट का समय और ले लीजियेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

दो-तीन मिनट का समय और दे दें । तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि वित्तीय अनुशासन को बेरहमी से तोड़ने के काम में कीर्तिमान स्थापित किया कांग्रेस की सरकार ने 40 वर्षों में । प्रति वर्ष इस प्रदेश में पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय औसत से नीचे गिरी है । अगर इस संबंध में प्रदेशों की सूची बना कर देखा जाय तो उत्तर प्रदेश का स्थान ऊपर से नहीं बल्कि सबसे नीचे से मेरिट में आयेगा । यही जमा और ऋण के औसत का हाल है । हम पूछते हैं कि इसका कारण क्या है जो हम लोगों पर इस तरह की परेशानियां आ और जा रही हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

मा0 तिवारी जी, अब आपका समय समाप्त हो गया

*श्री जय शंकर पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया । मान्यवर, मा0 अशोक बाजपेयी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में जो बातें कही हैं उसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि राज्यपाल का अभिभाषण इस बात का परिचायक है कि मौजूदा जनतादल की सरकार जो है वह आर्थिक और सामाजिक जो मूल्य हैं उनमें आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाना चाहती है और इस संबंध में राजनीतिक कठोर इच्छा शक्ति रखती है ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मा0 नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि किस तरह का संस्कार, किस तरह के परिवर्तन की आप बात करते हैं ? मान्यवर, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जनता दल की सरकार ग्रामीणों की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहती है । जनता दल की सरकार चाहती है कि जो लोग गांवों में रहते हैं जिनके पास इस कड़ाके की सर्दी में रजाई नहीं है उनको ओढ़ने के लिए रजाई देने का संस्कार खेतों में पानी देने का संस्कार, गांव के बच्चों को शिक्षा देने का संस्कार, उनके बच्चों को दवा-दारू देने का संस्कार, जो गरीबों और ऊंचों के मध्य दूरी का संस्कार है, उसे मौजूदा सरकार दूर करना चाहती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इन सारी चीजों के ऊपर बहस होती है, मा0 नेता विरोधी दल नीतियों की बात करते हैं, मैं आपकी आज्ञा से उनसे कहना चाहता हूं कि विकास की जो नीतियां हैं, आखिर उन नीतियों पर चल कर देश और प्रदेश में आज जो परिवर्तन आया है, हमारी कोशिश है कि हम विकास के सहज साधन, सहज परिपाटी जो होती है, गरीबी और अमीरी की जो परिणति है, यह 42 साल का कोढ़ जनतादल की मौजूदा सरकार जिसको कि आये हुए अभी केवल 42 दिन ही हुए हैं इतने अल्प समय में कैसे दूर कर पायेगी ?

जनता दल की मौजूदा सरकार ने आते ही आते किसानों की भलाई के लिए गन्ने के दाम बढ़ा दिये हैं, यह परिवर्तन का संस्कार ही है । प्रदेश के मजलूम लोगों को दवा-दारु की जो व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उनके लिये स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं तथा इसके साथ ही साथ अस्पतालों में उनके लिए खाने की भी व्यवस्था कर दी गयी है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यह चीजें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं हैं माननीय नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया था कि आज बुनियादी सवाल पर बहस नहीं होती है । मैं आपके माध्यम से उनसे बड़े अदब के साथ जानना चाहता हूं कि आखिर बुनियादी सवाल क्या है ? किन बुनियादी सवालों पर 1952 से लेकर आज तक काम किया गया है और किन बुनियादी सवालों पर आज तक बहस की गयी है । मान्यवर, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं वहां पर सिंचाई का कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, लोग परेशान हैं और खाने के लिए मोहताज हैं, लेकिन 1952 से लेकर आज तक वहां पर सिंचाई के लिए इनकी सरकार ने क्या किया है ? वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यह किसकी व्यवस्था है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं ।

श्री जय शंकर पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे गुस्सा है । मैं क्षमा चाहता हूं । 42 सालों से जो व्यवस्था चल रही है, उसके चलते रहते हमारे क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जय शंकर पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूंगा कि आप मुझे 2 मिनट का समय दे दें

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जय शंकर पाण्डेय–

मैं 42 सालों की व्यवस्था की बात कहना चाहता हूं, जिनको हमारी सरकार दूर करने जा रही है । मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठें ।

(व्यवधान)

श्री जय शंकर पाण्डेय–

मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने श्री भोला नाथ को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

*श्री भोला नाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यबाद के प्रस्ताव पर चर्चा करने का मौका दिया । मान्यवर, बाढ़ के मौके पर सांप और नेवला एक जगह बैठते हैं, मजबूरी में एक साथ बैठते हैं, उसी प्रकार से जनता दल की सरकार है वह किस प्रकार से मजबूत बन सकती है और कब सांप और नेवला में लड़ाई हो जाए इसकी शंका जनता के बीच बनी हुई है । मान्यवर, मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि डा0 रुबिया के लिए उसके अपहरणकर्ताओं को छोड़ दिया गया और इस काम के लिए पूरे संविधान को केन्द्र की सरकार ने ताक पर रख दिया और उसी जनता दल की सरकार यहां पर बैठी हुई है ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री भोला नाथ–

मान्यवर, टोका टोकी में हमारा जो समय नष्ट हो उसको मेरे समय में न जोड़ें ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मैं पाण्डे जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एरोप्लेन का अपहरण किया था, तो यह उसकी क्या चर्चा करते हैं ?

[1 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । माननीय पाण्डेय जी, आप विषय पर ही बोलें ।

श्री भोलानाथ–

हमारी कांग्रेस सरकार के बुनियादी सिद्धान्त रहे हैं । हमने सर्व धर्म और सद्भाव को लेकर काम किया है । बसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धान्त को लेकर कांग्रेस चल रही है । जो वातावरण कांग्रेस सरकार ने बनाया था. . . (व्यवधान) इस सरकार के कार्यों का एक ताजा उदाहरण मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी है । जिस सतवन्त सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की थी उसको सही घोषित कर दिया . .

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

पान्डेय जी, आप उस बात का जिक्र कर रहे हैं जिसका मैं समझता हूं कि इस सदन से कोई संबंध नहीं है । कृपया आप विषय पर ही बोलें । आप दिल्ली में जाकर भले ही इस कांड पर बोलें लेकिन इस माननीय सदन का इससे संबंध नहीं है ।

एक सदस्य–

एक व्यवस्था का सवाल है . . .

(व्यवधान)

श्री भोला नाथ–

मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं । यहां कानपुर के अन्दर सतवन्त सिंह के नाम से गुरुद्वारा बना रहे हैं । इसके बारे में इस सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डेय जी, आप विषय पर बोलें ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं भोला पाण्डेय से जानना चाहता हूं कि [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशवाहा जी, आप बगैर मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें । इस माननीय सदन का इससे कोई संबंध नहीं है । इसलिए पाण्डेय जी, आप विषय पर ही बोलें ।

श्री भोला नाथ–

इस सरकार के आते ही बिजली की दर बढ़ा दी गई है । किसानों की दुहाई देने वाली यह सरकार जनता के हक हकूक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है, यह उद्देश्य विहीन सरकार हो गई है । आज जगह-जगह पर आरक्षण विरोधी आन्दोलन चल रहे हैं । विद्यार्थियों के ऊपर दमनचक्र चलाया जा रहा है। इस सरकार के आने के बाद ही बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है । नेता सदन ने यह कहा था कि हम कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री भोला नाथ–

मान्यवर, सारी चीजें आपके सामने हैं । इलाहाबाद के एक मंत्री हुआ करते थे । वहां पर एक ब्लाक प्रमुख की हत्या करने की कोशिश की गई । आज पूरे राज्य के अन्दर यही स्थिति है । सारे अधिकारियों को स्थानान्तरित इधर से उधर कर दिया । कोई व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई । केवल विद्यार्थियों के ऊपर ही नहीं नीचे के तबके के लोगों के ऊपर भी यह सरकार दमनात्मक कार्यवाही कर रही है ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भोला नाथ–

बीच में जो टोका-टोकी हुई थी, उसका समय आप मुझे दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

उसका समय मैंने आपको दे दिया है । अब आप बैठ जायं ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मेरी बात का स्पष्टीकरण आप कृपया दिला दें ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । वास्तव में कल्याणकारी सरकार ने जिन योजनाओं को जनता के हित के लिए रखा है उसके लिए हम सभी आभारी हूं । हमारे विद्वान प्रतिपक्ष के नेता जिनका सम्मान हम सभी करते हैं, माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी कि अभिभाषण में "जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन का संस्कार जगाना है" तो इसका क्या मतलब है, संस्कार जगाने का क्या मतलब है ? तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन संस्कारों का हनन पिछली सरकार ने 42 सालों में किया है, जिन लोगों में भ्रष्टाचार की भावना पनपी है, सरकार में जो भ्रष्टाचार पनपा है वह समाप्त हो और हर व्यक्ति संस्कारित बने । यह इस कल्याणकारी सरकार की योजना है जो निश्चित ही प्रशंसनीय है ।

मैं बुन्देलखण्ड से आया हूं बुन्देलखण्ड की धरती ने महारानी लक्ष्मीबाई जिसकी वीरता की कीर्ति सारे विश्व में स्थापित है पैदा किया है और इस धरती ने छत्रसाल और आल्हा ऊदल जैसे वीर पैदा किये हैं और जिनकी यह कर्मभूमि रही है उस क्षेत्र की ओर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखण्ड के अंदर पेयजल की आज भीषण समस्या है इस क्षेत्र को 42 सालों में पिछली सरकार ने पीने का पानी मुहैय्या नहीं कराया । वहां के लोग आज भी प्यासे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति रखें ।

रवीन्द्र शुक्ल–

पीने के पानी की वहां भीषण समस्या है मैं आपके सामने 1981 के आंकड़ों के अनुसार कहना चाहता हूं कि 1/3 पानी सप्लाई हो रहा है । हमारे जो प्रतिपक्ष में साथी बैठे हैं उन्होंने 42 सालों में कोई एक पानी मुहैय्या नहीं कराया लेकिन आज यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों में एक भी डिग्री कालेज और माध्यमिक विद्यालय झांसी को नहीं दिया गया । वहां 15 हजार विद्यार्थी एक

कालेज में पढ़ रहे हैं जिसमें केवल 3 हजार छात्रों के बैठने की व्यवस्था है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर तिवारी जी बैठे-बैठे क्या कर रहे थे क्यों वहां एक और डिग्री कालेज नहीं खोला गया क्यों नहीं वहां माध्यमिक विद्यालय खोले गए ? मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां डिग्री कालेज खोला जाय।

झांसी के अंदर सैकड़ों लोगों की मौत दुर्घटना में हो जाती है वहां पर एक भी रिंग रोड नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी में रिंग रोड बनाई जाय ।

वहां बीमार उद्योग 80 प्रतिशत हैं उनके हित में कुछ किया जावे । केन्द्रीय सरकार की योजना थी कि उद्योगों में सब्सिडी दी जायेगी लेकिन उसे सरकार ने खतम कर दिया है । इस स्थान पर उत्तर प्रदेश की लोक प्रिय सरकार अपनी ओर से सब्सिडी दे या केन्द्र से दिलाये । मैं चाहता हूं कि इसका भी अभिभाषण में जिक्र किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में जो विकास निगम काम कर रहा है जिसमें लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है वह घाटे में चल रहा है उससे कोई लाभ नहीं है । इसलिए बुन्देलखण्ड आयोग की स्थापना की जाय और यह नियम समाप्त किया जाय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की तरफ ध्यान दें तो वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है उसे मैं बताना चाहता हूं । इस सरकार की विजय श्री ओये-ओये नाईट से स्टेडियम में शुरू हुई और हाय-हाय से समाप्त हुई। मान्यवर, सरकार एक बहुमत पार्टी की जरूर बनती है लेकिन सरकार का जब गठन हो जाता है उसकी नैतिकता, मान-मर्यादा से प्रदेश और देश जुड़ा रहता है । वर्तमान सरकार ने अपनी विजयश्री को स्टेडियम में मनाकर जिसका रूप उत्सव "ओय-ओय" न होकर "हाय-हाय" में परिवर्तित होकर देखने का मिला जिससे इस सरकार ने प्रदेश की मान-मर्यादा पर कुठाराघात किया है सरकार का भी भविष्य इसी तरह है ।

मान्यवर, आज सरकार कहती है कि कथनी और करनी में फर्क नही है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की बात आप छोड़ दें और देखें कि एक स्टेटमेंट मुख्य मंत्री जी का आया था कि पब्लिक स्कूलों और कान्वेंट में पढ़े हुये लोग आयेंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में नौकरी नहीं दी जायेगी । सरकार की नौकरी की बात अलग है किन्तु सरकार के गठन में जो पहले मंत्रियों को नौकरी दी उसमें मुख्य मंत्री ने अपने बयान का ध्यान नहीं रखा और चीप पापुलेरिटी के लिये अखबारों में बयान दिया था क्योंकि उन्होंने अपने बयान का पालन अपने मंत्रि मंडल के गठन में नहीं किया । मुझे जानकारी है कि मंत्रि मंडल में उन्होंने पब्लिक स्कूल और कन्वेन्ट में पढ़े हुए दो माननीय मंत्रियों को नौकरी दी है । तो यह क्या कथनी और करनी में अन्तर नहीं है ?

दूसरी बात मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के वोट बटोरने के लिये, जैसा इसके पहले नेता विरोधी दल ने कहा था कि जनता दल का तो कोई घोषणा पत्र ही नहीं है, बल्कि वह तो नेशनल फ्रंट का है जो लोक सभा चुनाव 1989 का है जिसे अपना बता रहे हैं, जो मुद्दा बनाया गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गयी थी, अभिभाषण का आप अवलोकन करें तो उसमें कहीं भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं कही गयी जिसमें पिछड़े वर्ग के हितों की बातों का उल्लेख हो ।

मान्यवर, इसी प्रकार अपराध और अपराधियों पर नियत्रण बहुत जरूरी है लेकिन अभिभाषण में अपराधों पर और अपराधियों पर कैसे नियंत्रण रखेंगे इसका जिक्र नहीं है ? शायद यह इसलिए नहीं किया गया होगा कि पार्टी की मजबूती पर कहीं असर न पड़ जाये चूंकि जिनकी बदौलत यह सरकार चुनकर आयी है उन पर कहीं कुठाराघात न हो जाये, इसलिये अभिभाषण में इनके संबंध में कोई बात नहीं रखी गयी है ।

मान्यवर, 10 हजार रुपये तक के कर्जे की माफी की घोषणा की गयी थी लेकिन अभिभाषण में केवल इतना कहा गया है कि उन्हें राहत दी जायेगी और उनके कर्जे माफी की बात नही की गयी । इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी के बारे में अधिक तो नहीं कह सकता चूंकि विषय लम्बा है और समय बहुत कम है इसलिये एक दो बातें और कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, बिजली दरों के बारे में कहना चाहता हूं कि 15 रुपये प्रति हार्स पावर को बढ़ाकर 45 रुपये एक से डेढ़ सौ हार्स पावर तक के लिए कर दिया गया है। (व्यवधान) बिजली की दरों में 65 पैसे से 95 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी कर दी गयी है जिससे चक्की घानी तेल के कोल्हू पर, आटा चक्की में आटा पिसाने पर 25 पैसे प्रति किलो के स्थान पर 95 पैसे प्रति किलो पिसाई देना पड़ रहा है ।

मान्यवर, आज हमारे गोण्डा जनपद में मुख्य मंत्री जी पूर्वाग्रह न रखकर जैसा नेता विरोधी दल ने जो पूर्व में मुख्य मंत्री थे ने गोण्डा जनपद में एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज जिला मुख्यालय पर और वजीरगंज में एक राजकीय बालिका इण्टर विद्यालय खोलने की घोषणा की थी, उनके सम्बन्ध में वर्तमान नई सरकार के मंत्री जी कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए दोनों कालेज खोलने की कृपा करेंगे ?

*जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पिहानी के माननीय सदस्य विधान सभा श्री अशोक बाजपेई जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन नीतियों को प्रस्थापित किया है, जिन कार्यक्रमों की घोषणा की है और जिन क्रान्तिकारी कदमों के उठाने की बात कही है, उन सबका इस सदन को पूरा समर्थन करना चाहिए । नई सरकार जन आकाक्षाओं की प्रतीक है, नई सरकार भाषण को समाप्ति कर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाए जाने की प्रतीक है । नई सरकार क्रान्तिकारी कोख से उपजी हुई सरकार है । आज इस सरकार से कोहरा छंट चुका है और यह सरकार जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के सूर्य के रूप में, प्रस्फुटित हो रही है । यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोकतन्त्र को पुरःस्थापित करेगी, न्याय को स्थापित करेगी, मजबूत करेगी और उसे पुष्पित और पल्लवित करेगी । इस सरकार ने निश्चय किया है कि जो योजनाएं लोक कल्याणकारी होंगी, उनको लागू करने के बारे में हम पूरे और मजबूत कदम उठायेंगे । माननीय राज्यपाल ने इस ओर इशारा भी किया है । नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार की बात कही है। पिछले चार सालों तक भ्रष्टाचार इस देश में क्यों होता रहा । बोफोर्स जैसे सारे काण्डों का हमारी सरकार ने गम्भीरता से लिया है और हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे के लिए लम्बा संघर्ष किया है ।इसलिए यदि राज्यपाल महोदय के भाषण में भ्रष्टाचार की समाप्ति के बारे में सूचना है और सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के बारे में घोषणा है, तो इस पर किसी की क्या आपत्ति हो सकती है । इस पर आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो सकता है । इस देश में बहुत दिनों तक भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था रही है । तो उसका मतलब यह नहीं है कि इनको हमें समाप्त नहीं करना है और अपनी योजनाओं में इन्हें शामिल नहीं करना है । हम लोगों ने पहली बार माननीय प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री तक को परिधि में रखना है, जिसमें लोक आयुक्त उनकी भी जांच कर सकेंगे उनके विरुद्ध भी जांच बैठाई जा सकेगी । हम लोगों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो फैसला किया है, उसके लिए आप सबको सरकार को तहेदिल से बधाई देनी चाहिए ।

हमारे चुनाव घोषणा-पत्र के मुद्दे पर यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई और कहा गया कि आपका जो चुनाव घोषणा पत्र है, वह तो राष्ट्रीय मोर्चे का घोषणापत्र है । आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय मोर्चा में जनता दल ही सबसे बड़ा घटक है, और उस मोर्चे में कौन लोग शामिल हैं । इसमें वही लोग शामिल हैं, जिनका लोक तन्त्र में विश्वास है, जिनका समाजवाद में विश्वास है । और जिन लोगों का समतामूलक समाज में विश्वास है। वही उसमें शामिल हैं और उन्हीं लोगों को मिलाकर यह चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया है । तो वह सबका है । इसमें आपत्ति किसको हो सकती है ? आज केन्द्र में जो सरकार है और प्रदेशों में जो सरकार बनी है, उन सबका समर्थन इसे प्राप्त है । जो विपक्ष में बैठे हैं मैं उन पुराने मंत्रियों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पुराने लोग हमारे बुजुर्ग रहे हैं और हमारा यह काम नहीं है कि हम बुजुर्गों की आलोचना करें । लेकिन जो नीतियां आपने बनाईं, उसके चलते इस देश में और इस प्रदेश में क्षेत्रीय भावना उभड़ना शुरू हुई । आज उसी का परिणाम है कि क्षेत्रीय पार्टियां इस देश में उभड़ीं और राष्ट्रीय पार्टियां बनीं और हारीं । आज हम लोग मिल बैठकर, जिनमें सैद्धांतिक मतभेद नहीं है उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है । वह राष्ट्रीय मोर्चा में आए हैं तो उनका समर्थन तो लेना ही होगा । कांग्रेस पार्टी ऐसा करती रही है । 1971 में अन्य पार्टियों का समर्थन लिया । लगातार लेती रही है । इस चुनाव में तमिलनाडु में एक पार्टी का समर्थन किया । राष्ट्रीय मोर्चा ने जो कार्यक्रम बनाया है वह ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना हो । गांव से जुड़े कार्यक्रम हैं, जमीन से जुड़े कार्यक्रम हैं । हमने जिन नीतियों की घोषणा की है उनको पूरा करने को हम तैयार हैं । 10 हजार के कर्जे को कैसे माफ करेंगे इसके लिए नेता विरोधी दल चिन्तित है।

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट शेष है आप भाषण दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

वसूली क्यों स्थगित नहीं हुई ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें । मंत्री जी को अपना भाषण देने दें ।

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय नेता विरोधी दल इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं । आपकी प्रति व्यक्ति आय क्यों घटती रही है ? . . . (व्यवधान)

इनकम लगातार घट रही है । पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में हमारी इनकम बढ़ रही है । यू0 पी0 में 1486 है । हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति जो आय है । वह भी राष्ट्रीय आय के मुकाबले में ह्रास की ओर है । वर्ष 1987-88 में आपके कार्यकाल में ह्रास की ओर रही है । इसकी वजह से उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है । मैं अपने पुराने मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा—

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी से कोई सदस्य जानकारी करना चाहते हैं ?

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मैं मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो डाक्टर के पद खाली हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए आपने क्या काम किए हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री बाबूलाल–

मान्यवर, ऐसी कोई नियमावली में नियम नहीं है कि सीधा मंत्री जी से सवाल किया जाए । यह आपके माध्यम से पूछ सकते हैं कोई बात सीधी नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री मुख्तार अनीस–

इन्होंने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका जवाब दे दूं । आपने पहाड़ की समस्या उठाई है तो इसमें मैं पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा करने जा रहा हूं । यह नई सरकार है पुरानी सरकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट में अपनी बात कहें

श्री प्रमोद कुमार–

क्रम टूट जाता है ।

श्री मुख्तार अनीस–

क्रम नहीं टूटता, दिल टूटता है आपके व्यवहार से । माननीय तिवारी जी ने कहा है समाचार पत्रों में छप रहा है उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी है, किसी ने बताया नहीं है, उनको समाचार-पत्र द्वारा जानकारी मिली है कि हमारी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है । अपने अभिभाषण में उन्होंने यह बात कही है । इस पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक भी प्रमाण दे दीजिये । यह लोग इसीलिए उधर बैठे हैं क्योंकि इन्होंने चुनावों के दौरान जिस तरह की हरकतें की हैं, सरकारी साधनों का जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जिस तरह से अन्याय और अत्याचार किया गया है उसकी मिसाल नहीं है । माननीय असलम साहब बैठे हुए हैं उनके बेटे की हत्या की गई । इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, उसके आरोप में कांग्रेसी लोग आज जेल में बंद हैं । इसी तरह से संजय सिंह जी को नृशंगतापूर्वक गोली का शिकार बनाने की कोशिश की गयी, आज वह जीवित हैं ईश्वर और जनता की कृपा से । किन लोगों के इशारे पर यह काम किया गया यह आपको मालूम है ? इसीलिए जनता ने आपको ठुकरा दिया है । हम किसी के प्रति दुर्भावना से काम नहीं करेंगे । हमारी सरकार राजनीतिक तरीके से और लोकतंत्र के आधार पर चलेगी । राजनीति का आधार सत्य है और सत्य का आधार तर्क है । तो सत्य और तर्क की बुनियाद पर हम लोग अपनी सरकार चलायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैं 1–2 बातों की ओर और इशारा करना चाहता हूं । मान्यवर, इशारा यह करना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति व्यय योजना के ऊपर दो तरह से होता है, एक वह है जो योजना बनाने के बाद आता है वह योजना व्यय होता है और एक आयोजनेत्तर व्यय, नान प्लान एक्सपेंडीचर होता है । पिछली सरकार ने इस प्रदेश में जो योजना व्यय था वह नहीं किया और उस पैसे को दूसरी जगह पर लगाया, नान प्लान एक्सपेंडीचर में लगाया । उसका परिणाम यह हुआ कि मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि नान प्लान व्यय है वह 88-89 में 4726.9 एवं उसके बाद 6648.8 करोड़ रुपये हो गया । इससे स्पष्ट होता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आयोजनेतर खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है और ढाई गुना वृद्धि हो गयी है । तो यह वृद्धि पिछली सरकार के कारण हुयी है और उसी के कारण प्रदेश में यह कंगाली आयी है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें , आप वैसे ही काफी समय ले चुके हैं ।

श्री मुख्तार अनीस–

तो तमाम कारण हैं जिसके कारण हमारा प्रदेश पिछड़ता चला गया है । आज हम लोग जिस स्थान पर आये हैं, हम लोग सही तरीके से योजना को चलायेंगे, इस प्रदेश को चलायेंगे और हमेशा की तरह जनता सरकार विकास की गति दूनी बढ़ायेगी । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को हम लोगों ने ध्यान से सुना। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत सूक्ष्मता से उसका मूल्यांकन करते हुए इस सदन को तमाम तथ्यों से अवगत कराया जिसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में संकेत किया था । मान्यवर, बड़े खेद की बात है, आज अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे थे उसके पहले भी तमाम लोग उस पक्ष से बोले, भारतीय जनता के हमारे शुक्ला जी कह रहे थे, हमारे नेता नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में कि उन्हें ज्ञान नहीं है । मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और जनता दल के लोगों से यह जानना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को उठाकर, जिस प्रश्न को उठाकर वह इस हैसियत में आये हैं, उन्होंने सरकार बनाई है, राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मामले को उठाया था, आजम खां साहब जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सह संयोजक थे और राम जन्म भूमि के रखवाले उनके बगल बैठकर, एक साथ बैठ कर भागीदारी कर रहे हैं और अपनी बात स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं , प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप बतायें कि अयोध्या में क्या होगा ? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस वादे को लेकर यहां पर आये हैं, क्या यह वादा पूरा होगा ? राम जन्म भूमि रहेगी या बाबरी मस्जिद ?

डाक्टर सरजीत सिंह डंग–

सदन में गलत बयानी हो रही है, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता–

यह राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरह का कोई मामला सदन में न उठाया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसमें सदस्य का हक तो है ही कि वह सरकार से जान सकती है कि सरकार का क्या रुख है ?

(घोर व्यवधान)

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

भारत मां को डायन कहने वाला [xxx] को शायद मालूम नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में भारत मां को परिभाषित किया है । आम जनता को भारत मां का दर्जा दिया है । उसी जनता के मतों को पाकर आज [xxx] इस सदन में यह सम्मानित कुर्सी पाये हैं । उन्होंने भारत मां को डायन कहकर अपमानित किया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं , जो अपने आप को कल्याणकारी कहती है, इस प्रश्न पर उसका रुख क्या होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के हर ऐसे कार्यों का समर्थन होगा ? मान्यवर, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में एक संशोधन किया था । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वह क्षेत्र नेपाल की सरहद से जुड़ा हुआ है, पहाड़ों पर ज्योंही बरसात होती है,

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है । करोड़ों के धन-जन का नुकसान हो जाता है और आज तक उस क्षेत्र में सिंचाई विभाग के द्वारा बाढ़ रोकने हेतु एक पैसे का कार्य नहीं किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी प्रगति का कार्य नहीं हुआ सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं, उन्हें नहीं बनवाया जा रहा है । बिजली विभाग द्वारा जिन गावों को विद्युतीकरण किया गया है, उन गावों में आज तक बिजली नहीं पहुंची । मेरे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । वहां पर एक डिग्री कालेज खोला जाय । बनवगिया मजदूरों को समस्त नागरिक की सुविधायें उपलब्ध करायी जायं । धन्यवाद ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

अधिष्ठाता जी मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं, सबसे पहले मैं तो चाहता था कि नेता विरोधी दल रहते ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, लोकतंत्र की सभ्यता है कि सम्मान के साथ सुनना और सम्मान के साथ कहना । मान्यवर, इन लोगों के हल्ले के कारण मेरा समय न चला जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आप भाषण जारी रखें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

मान्यवर, नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं जिन्होंने कभी जब मैं समाजवादी युवक सभा का सदस्य था तो उन्होंने मायक मोहकता के साथ नेतृत्व किया था । मैंने उनका भाषण, नेता विरोधी दल का सुना जहां ओजपूर्ण था वहीं सारहीन था । वाणी में ओज जरूर था लेकिन सार निस्सार की कमी थी । अधिष्ठाता महोदय, आज मैं इस सदन के मार्फत कहना चाहता हूं कि कुछ सवाल उठाये गये हैं ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता जी, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं और इस सदन के मार्फत कहना चाहता हूं कि यहां कुछ सवाल उठाये गये हैं एक सवाल तो यह उठाया गया सर्वधर्म सद्भाव । सर्वधर्म सद्भाव की बात कहने वाले लोगों से यह जानना चाहता हूं, यह पूंछना चाहता हूं, क्या मैं प्रदेश और देश से जान सकता हूं कि जो लोग सर्वधर्म सद्भाव और धर्म निरपेक्षता की बात का डंका पीटते हैं उन्होंने मिजोरम का चुनाव जब कांग्रेस लड़ रही थी तो उसने चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि कांग्रेस अगर मिजोरम का चुनाव जीत जायेगी तो वहां बाइबिल के मतानुसार राज्य चलायेंगे।यह कैसे सर्वधर्म सद्भाव के कैसे

धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत आता है, कैसे धर्मनिरपेक्षता का सबूत है, किस संविधान की धारा के अन्तर्गत है ? कहा जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन की शंका है (व्यवधान) उधर बैठे लोग अगर सुनना चाहेंगे तो एक-एक को सुनाऊंगा । अपनी हरकतों के ऊपर शर्मिन्दा होइये । अपनी हरकतों को सुने देखकर जलने की आदत को छोड़ दीजिए। अधिष्ठाता जी, अब मैं नियोजन के उस ढांचे की ओर ले जाना चाहता हूं जिस नियोजन के ढांचे के चलते आज उत्तर प्रदेश जहालत दरिद्रता और गरीबी के कगार पर खड़ा है । यह नियोजन और योजना का ढांचा क्या है जिसके चलते उत्तर प्रदेश गरीबी और जहालत में चला जा रहा है। यह नेता विरोधीदल का राज्य 40 साल तक का रहा है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप देखेंगे कि पहली योजना से सातवीं योजना तक हरियाणा पर प्रति व्यक्ति खर्च हुआ योजना व्यय 4,362 रुपया, पंजाब पर खर्च हुआ है 4,489 रुपये, महाराष्ट्र पर खर्च हुआ है 3,379 रुपये, गुजरात पर खर्च हुआ है, 3,579 और सिक्किम पर खर्च हुआ 5,750 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश में, जो इस उत्तर प्रदेश का डंका पीटते हैं और अपने राज्य की दुहाई देते हैं वही पहली योजना से लेकर सातवीं योजना में खर्च हुआ है 1,951 रुपये क्या इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो सकती है ? क्या इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पीठ में छूरा भोंकने का काम और कोई हो सकता है ? अधिष्ठाता महोदय, केवल नियोजन का यह ढांचा नहीं है, इसके चलते जहां गैर बराबरी, विषमता बढ़ी, क्षेत्रीय विषमता बढ़ी, गरीबी बढ़ी, वहीं जो ग्रामीण अंचल हैं, वहां जनसंख्या का भार भी ज्यादा बढ़ा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

अधिष्ठाता मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूं । एक हजार वर्ष का देश रोगी है और पिछले चालीस वर्ष में कोढ़ी हो गया है और जबसे [xxx] प्रधान मंत्री बनके देश में आए पीप निकलनी शुरू हो गयी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

और भी सहयोगी हैं, हाथ बटायेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, अब आप व्यक्तिगत आय के आंकड़े देखें । 70 के मूल्यानुसार वर्ष 1986-87 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है । पंजाब में 4719, हरियाणा में 3925, महाराष्ट्र मे 3793, दिल्ली में 6075 और उत्तर प्रदेश में महज 2146 रुपये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

अधिष्ठाता जी, मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूं । मान्यवर, बैंकों द्वारा जो कर्ज प्रदेशों को दिया गया है, आबादी के हिसाब से देखें । दिल्ली की आबादी इस देश की 1/112 वां हिस्सा है, उसको 1.2 परसेंट कर्ज दिया गया, पंजाब की आबादी देश की आबादी का 1/40 वां हिस्सा है उस पर 8 परसेंट खर्च हुआ, हरियाणा की आबादी 1/53 वां हिस्सा है, उस पर 3.9 परसेंट खर्च हुआ, महाराष्ट्र की आबादी 1/11 वां हिस्सा है, उस पर 10.3 परसेंट खर्च हुआ, केरल की आबादी 1/19वां हिस्सा है, उस पर 9.6 परसेंट खर्च हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी देश की आबादी का कुल 1/6 वां हिस्सा है, उसको केवल 11 परसेंट बैंकों द्वारा कर्ज के रूप में दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

अगर राष्ट्रीय आय आज जहां देश की 7 परसेंट है, दिल्ली की 9 परसेंट है वहीं उत्तर प्रदेश की 5 परसेंट है । आठवीं योजना में अगर प्रदेश का विकास करना है तो आठवीं योजना में 30 हजार करोड़ निवेश करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया समाप्त करें ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, जो प्रधान मंत्री की उद्घोषणा है, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए है और व्यवस्था परिवर्तन होगा और व्यवस्था परिवर्तन जन कल्याण के लिए होगा, तभी उत्तर प्रदेश की गरीबी मिट सकेगी । इन शब्दों के साथ, धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत है, उस प्रस्ताव पर प्राप्त संशोधन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करना चाहता हूं । इस सरकार के अल्पकाल में अविश्वास का एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है । सरकार जो कहती है और जो करती है, उसमें भारी अन्तर है । ये जब चुनाव लड़ रहे थे तो तमाम पोस्टर छपे दोनों हाथ ऊंचे उठाए हुए, कि सबको रोजगार देंगे । यहां पर बेरोजगारी भत्ते का सवाल आया तो इसी सदन में सरकार मुकर गयी । मैं एक-एक क्षेत्र ले रहा हूं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने चुने जाने के बाद जो बातें कहीं उनमें शिक्षा से संबंधित दो बातें कहीं । पहली बात हल्की कही जो मुख्य मंत्री के लिए शोभा नहीं देती है कि छात्र अपने विद्यालय पर परीक्षा देंगे । शिक्षा मंत्री ने दूसरे दिन कहा और जो तमाम अखबारों में छपा भी, लेकिन अगले दिन मुकर गये । अगले दिन वह उससे मुकर गये । उसके बाद

कहा गया कि दोहरी शिक्षा प्रणाली खत्म करेंगे, अमीर और गरीब के लिए एक तरह की शिक्षा होगी और आज सदन में शिक्षा मंत्री जी यह बात कहने में साफ-साफ मुकर गये, मुख्यमंत्री जी भी बैठते हुए थे । प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने तीसरी घोषणा की कि राज्य के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पद तुरन्त भर दिये जायेंगे, दूसरी ओर मुख्य मंत्री जी का फरमान है कि सरकारी विभागों में, निगमों में और अर्द्ध शासकीय कार्यालयों में कोई नियुक्ति न की जाय : यह कहते कुछ हैं और अमल में कुछ और लाते हैं ।

अब बिजली की बात पर आता हूं । इन्होंने कहा कि गांवों में 14 घंटे बिजली देंगे । हमारे पास तमाम अखबारों की कतरनें हैं, उन्हें मैं यहां बताना चाहता हूं । यह एक यह है कि बनारस की बाबत है, बाजार में विद्युत आपूर्ति ठप्प यह धानापुर बनारस का है । ओबरा में जहां बिजली बनती है यहां की बाबत है पूरे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पंगु बनी । यह बिजली की दुर्व्यवस्था की जिम्मेदारी किस पर है । एक समाचार की कतरन है, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण कार्य ठप्प । विद्युत आपूर्ति में भारी अनियमितता, यह बलिया का है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

यह अपने समय की सरकार का अखबार पढ़ रहे हैं ?

श्री पंचानन राय–

यह आपकी सरकार के वक्त का है ।

जब से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके बाद का है । दिल्ली की एक कतरन है लिखा है दिल्ली में पांच घन्टे बिजली गुल । फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से लोग परेशान । आज पूरे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं जा रही है । दूसरे कहा कि मंहगाई घटायेंगे ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चन्द्रशेखर सिंह जी आप तो पुराने सदस्य हैं, बिना अनुमति के न बोलें ।

श्री पंचानन राय –

यह है कि प्रधान मंत्री के द्वारा मूल्य नियंत्रण की बात कहते ही कीमतें बढ़ी, यह गाजीपुर की बात है । चीनी मयस्सर नहीं होती (बलिया) नयी सरकार के आते ही मिट्टी का तेल और चीनी गायब (सैदपुर) आगे एक है कि नयी सरकार के बनते ही चीनी गायब ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

यह पुरान अखबार से बता रहे हैं ।

श्री पंचानन राय–

चीनी जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही है । बाजार में चीजों के दामों में भारी वृद्धि (बलिया) इस तरह से नई सरकार के बनते ही मंहगाई हर तरफ बढ़ रही है । एक समाचार है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में कंकड़ दिए जा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने मान्यवर महंगाई को घटाया है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

पुराने अखबार पढ़ रहे हैं ।

श्री पंचानन राय–

आगे एक बात आई कि कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे । पहले ही हुआ बाबतपुर में जैसे ही मुख्य मंत्री जी का हवाई जहाज पहुंचा, दुर्घटना होते-होते बची । हवाई जहाज आते ही लोग हवाई जहाज के नीचे तक चले गए । एक समाचार है, मुख्य मंत्री के काफिले में कई कारें ध्वस्त । यह सब अखबार हैं पूरे प्रदेश के । सरकार की विश्वसनीयता पर गम्भीर संकट है । मान्यवर, इस प्रदेश में आरक्षण आन्दोलन के नाम पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया, छात्रों पर । इनके माननीय देवी लाल जी ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा, चन्द्रशेखर जी ने कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए । मुख्य मंत्री जी ने कहीं कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होगा और कहीं कहा कि सख्ती से कुचल दिया जायेगा । इन सब बातों से आरक्षण विरोधियों को प्रेरित किया गया और कहीं आरक्षण समर्थकों को । जगह-जगह निहत्थे लड़कों पर बर्बर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया । यह इनकी अन्तर्द्वंदता का प्रमाण है । मान्यवर, यह सरकार अन्तर्द्वंदों से ग्रसित है और यह बात बिल्कुल साफ है क्योंकि जब एक मंत्री जवाब देने के लिए खड़ा होता है, तो मंत्री के अनेक दावेदार भी खड़े हो जाते हैं, यह दर्शाने के लिए कि मंत्री अयोग्य है । यह सरकार कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, इसके बारे में अखबारों की राय मैं आपको बताना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

राय साहब, आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठें ।

श्री पंचानन राय–

चूंकि अखबार जनतंत्र की सच्ची बात कहते हैं, इसलिए मैं उनकी राय सदन में रख रहा हूं, इसमें लिखा है कि यह सरकार अन्तर्द्वन्दों से ग्रसित है, इसमें तालमेल नहीं है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग किया है कि श्री आजम खां को बर्खास्त किया जाय, लेकिन उन्हीं के सहारे इन्हें सरकार चलाना है । यह जनता दल की सरकार जबसे आई है, हर क्षेत्र में गिरावट आई है । चोरियों-डकैतियों की बाढ़ आ गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो चुका है, आप अपनी बात खत्म करें, मैं दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं ।

श्री पंचानन राय–

ठीक है मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे गए संशोधन का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात कहने जा रहा हूं । अभी-अभी पूर्व वक्ता माननीय राय साहब ने कहा कि इन लोगों में कोई आपसी तालमेल नहीं है । मान्यवर, तालमेल इनमें कितना है, इसका नजारा है कि इनके कांग्रेस दल के अन्दर नेता की राय कुछ और है और अध्यक्ष की राय कुछ और है और इसी कारण आज तक उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए इन लोगों में कोई एक राय नहीं हो सकी । इन लोगों ने अपने कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से आज इनका संगठन विध्वंस हो गया और इनको यहां से जाकर वहां बैठना पड़ा । मान्यवर, इनके कारनामे ऐसे अच्छे रहे हैं, जिसके कारण हर ओर गरीबी बढ़ी है । जब इनकी सरकार थी, उस समय शिक्षकों का आन्दोलन हो रहा था, दूसरी तरफ बेरोजगारी नौजवानों की फौज इनके खिलाफ नारे लगा रही थी, तीसरी तरफ अंशकालीन शिक्षक तिवारी जी से कह रहे थे कि हमसे बंधुवा मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है और चौथी तरफ बेरोजगार इंजीनियर अपना आन्दोलन कर रहे थे, इस प्रकार हर ओर से इनके खिलाफ बगावत का झण्डा लोगों ने खड़ा किया और यह है कि अपने संगठन का नगाड़ा पीट रहे हैं । मान्यवर, इनकी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में अर्थ-व्यवस्था का तहस-नहस करने का काम किया और केन्द्र सरकार में [xxx] ने और यहां [xxx] की सरकार ने हर तरफ कमीशनखोरी किया और कमीशनखोरी करके राज खजाने को लूट-लूट कर और लुटा-लुटाकर जनता की गाढ़ी कमाई को बरबाद करने का काम किया । गुणवत्ता के मामले में आप इनकी सरकार के कारनामों को देख लें, निर्माण के नाम इनकी सरकार के मंत्रियों ने कमीशन खाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि गुणवत्ता के आधार पर कहीं काम नहीं हुआ । इसीलिए आप देखें कि हरिजन आवास जो बने, वह आज बुरी तरह गिर रहे हैं, उनमें कहीं सीमेंट नहीं है, इन्होंने बालू पर भींट खड़ा करने का काम किया और आज इनकी सरकार इसका नतीजा भुगत रही है कि यह आज विपक्ष में जाकर बैठे हैं । यह आरक्षण की बात करते हैं, इनके ही प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री नारायन दत्त तिवारी ने कहा कि हम हरिजन लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे । लेकिन जब हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया तो इन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर आरक्षण विरोधी आन्दोलन को हवा देने का काम किया । आज कर रहे हैं आरक्षण के नाम पर । आरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है । हमारी सरकार ने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बक्शा नहीं जायेगा । 2-2 व 3-3 साल तक भ्रष्ट अधिकारियों को ये सेवा विस्तार देते गए और उधर बैठे हुए लोगों ने सरकार का सारा खजाना लुटवा दिया । उसी का नतीजा यह हुआ कि इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा । आज ये जनता के बीच में जाने लायक नहीं रह गए हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में यह मजबूत सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए संकल्प लिया है। श्री मुलायम सिंह जी ने बड़ी सख्ती से प्रशासन को चलाने का काम किया है जिससे विपक्ष आज भयभीत हो गया है, भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। हमारी सरकार ने अपराधी को हटाने का भी कृत संकल्प लिया है। हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हर इन्सान को चाहे वह कमजोर हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, दलित हो, अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो, सभी को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। पुलिस के सामने में जाने से शरीफ आदमी भयभीत न हो। कांग्रेस के जमाने में भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी कटती थी। माफिया सरगनाओं की चलती थी और उन्हीं के साथ पुलिस भी चलती थी। इनके मुख्य मंत्री जी के साथ उनकी फोटो होती थी और इनके काफिले में उनका आना-जाना होता था। हमारी सरकार पुलिस को यह अधिकार देने जा रही है कि किसी भी राजनैतिक दबाव में पुलिस काम नहीं करेगी। अपराध को जड़ से नष्ट करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सवाल है, वह एक पालिसी स्टेटमेंट होता है। मैं समझता हूं कि वह एक सूत्र है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जिसे यह सरकार करना चाहती है। इस सरकार को अभी थोड़े दिन ही हुए हैं और इस सरकार से यह आशा करना कि एक महीने या डेढ़ महीने में सभी कार्यों को पूरा कर देगी, मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल ने भी कहा है कि इस सरकार को कम से कम तीन महीने का समय दिया जायेगा, तब हम सड़क पर उतरेंगे। मैं भी ऐसा ही समझता हूं। सरकार को समय की आवश्यकता है उसकी जांच परख के लिए। इसमें 3-4 महीने अवश्य लग जायेंगे। बहुत से लोग इधर से कह रहे हैं कि बी0 जे0 पी0 की राय भी पक्की हो गयी है. इसलिए मैं माननीय नेता विरोधी दल व श्री राजीव गांधी को बताना चाहता हूं कि मस्जिद बनाने के लिए उसके चारों तरफ कांग्रेस सरकार ने, नारायण दत्त की सरकार ने पक्की दिवाल बना दी और दूसरी तरफ मंदिर का शिलान्यास करने के लिए उन्होंने दूसरी योजना बना दी। श्री राजीव गांधी ने व कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शिलान्यास भी कर दिया गया है, जिससे हिन्दू व मुसलमान दोनों खुश हैं। जिसका पता इनको चल गया है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) बीच में आप लोगों को टोकना नहीं चाहिए। मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी के वक्त से हूं, 25 साल मुझे हो गए हैं। मान्यवर, मेरा एक मिनट बरबाद हो गया है, इसलिए इसकी तरफ आप ध्यान दें। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में सरकार से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले बहुत दिनों से प्रदेश के सामने अटके पड़े हैं। हमारे प्रदेश में पहाड़ों पर बहुत से टीचर और बहुत से डाक्टर चाहे एलोपैथिक हों चाहे होम्योपैथिक हों चाहे आयुर्वेदिक हों, उनको सर-

कार ने दैनिक वेतन पर रखा है और उनको रेगुलर नहीं किया है । उनको एक दिन बैठाया जाता है, उनका मालिक हो रहा है फार्मासिस्ट । यह बड़ी शर्म की बात है । वहां बहुत से कालेज बंद हैं अध्यापकों के बिना, मुझे आशा है कि वहां पर अंशकालिक अध्यापकों के विषय में आप सोचेंगे ।

महिला डाक्टरों की बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं, जो अंशकालिक हैं । अध्यापकों की हजारों नियुक्तियां अंशकालिक हैं ।

जहां तक टेहरी बांध का सवाल है । हमारी पार्टी चाहती है कि उसका निर्माण न रोका जाय और जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं चाहे वह वीरेन्द्र सकलानी हों, जो कि एक एडवोकेट हैं और जिन्होंने 10.50 लाख रु0 का मुआवजा ले लिया है या विद्या सागर नौटियाल हों, मैं उनकी भी आलोचना करता हूं । प्रदेश के विकास में जो बांध बन रहा है, उसे सरकार को देखना चाहिये और भारत सरकार से सहायता लेनी चाहिये ।

हमारे प्रदेश में हजारों-हजार बी0 टी0 सी0 अध्यापक सन् 1974 से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं, बेकार हैं, हजारों इन्जीनियर बेकार हैं । 5-6 महीने पूर्व मैं आया था, विधान सभा के सामने, चारबाग स्टेशन के सामने वे आम आदमियों के जूतों पर पालिश कर रहे थे । मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन्जीनियर हैं जूता पालिश इसलिये कर रहे हैं कि नारायण दत्त तिवारी की सरकार उनको सर्विस दे दे । और शरम खांये । मैंने कहा कि सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, सरकार को स्वयं ही कभी-कभी जूतों की जरूरत पड़ जाती है ।

(हंसी)

हम अलग पहाड़ राज्य की मांग कर रहे हैं । उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है । जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सभी अलग पहाड़ों के 9 जिलों को मिलाकर पहाड़ी उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना करने की मांग कर रही हैं । सरकार को इसे मान लेना चाहिये ।

बिजली बोर्ड, जो पहले से ही सफेद हाथी है, अरबों रुपया खा गया, उसका पुनर्गठन होना चाहिये और सुधार होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ सोचे ।

हाल ही में सूचना मिली है कि ओबरा में कोल हैन्डलिंग प्लान्ट से 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता खरीद करके कमीशनखोरी की गयी है । मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस खरीद की जांच करे ।

जहां भी दोहरी वेतन नीति है, उसे समाप्त करना चाहिये और सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तरह का काम करने वालों को एक तरह का वेतन देना चाहिये ।

राम गंगा, शारदा सहायक नहर और गण्डक नहर (कमांड एरिया) बिना किसानों से पूछे पक्की गूलों का निर्माण करा दिया है, 80 करोड़ रु0 की वसूली किसानों से हो रही है । सरकार को विचार करके इसको स्थगित करना चाहिये ।

अंत में कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो घोषणायें की हैं, जो महामहिम राज्यपाल का स्टेटमेंट है, वह प्रदेश में जनतंत्र की स्थापना करेगा, गरीबी को मिटायेगा और लोगों की जानमाल की हिफाजत और सुरक्षा करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव धन्यवाद का आया है, उसका समर्थन करता हूं और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और समर्थन करता हूं और उसको समय भी देता हूं कि कम से कम 6 महीने में सरकार सभी समस्याओं को सुलझाये और उनके निराकरण का प्रयत्न करेगी और अन्त में आपको धन्यवाद भी देता हूं ।

सत्ता पक्ष तथा विरोध पक्ष की स्थिति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, अब तक यह व्यवस्था रही है एक व्यक्ति सत्ता पक्ष का बोलता था और एक व्यक्ति विपक्ष का बोलता था ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले इस सदन में यह निश्चय किया जाय कि सत्ता पक्ष के लोग कौन-कौन हैं और विपक्ष के कौन-कौन लोग हैं । भा0 ज0 पा0 और कम्यु0 पा0 विपक्ष में हैं, उनके साथ विपक्ष वाला ही आचरण किया जाय । पहले से यह व्यवस्था रही है कि एक व्यक्ति सत्ता पक्ष का बोलता है और फिर एक व्यक्ति विपक्ष का बोलता है । जो व्यक्ति समर्थन करता है वह विपक्ष में कैसे हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

मैं देख लूंगा कि कौन-कौन से दल सत्ता पक्ष में शामिल हो गये हैं ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, उनका समर्थन करना ही इस बात का द्योतक है कि वे जनता दल में हैं ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा । इस सदन का प्रत्येक सदस्य यह अधिकार रखता है कि चाहे वह सहयोग करे या विरोध करे । अब वह किसका सहयोग करता है यह मा0 सदस्य के विवेक की बात है । मा0 नौटियाल जी ने इतनी हल्की बात कह कर मा0 सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है । मेरा आरोप है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य सदन में मा0 सदस्य के बारे में इस तरह का प्रश्न उठा सकता है ?

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री अशोक कुमार चन्देल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

मान्यवर, यह कौन सा नियम है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप मुझे नियम बतला रहे हैं और आप किस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं ? मैंने आपको नहीं बुलाया है । कृपया आप स्थान ग्रहण करें । मैंने पहले ही कहा है कि माननीय नौटियाल जी ने जो प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के कौन-कौन सदस्य हैं या दूसरे अन्य कौन से दल के सदस्य जनता दल के सदस्य माने जायं, इस संबंध में मैंने कहा है कि एक परम्परा रही है, वह परम्परा मैं देख लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मैंने आपकी व्यवस्था चाही है ।

(व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अशोक कुमार चंदेल–

मान्यवर, नेता विरोधी दल, नारायण दत्त तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार निरन्तर पिछड़ती जा रही है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि----

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य ने नारायण दत्त तिवारी का नाम लिया है, वह नये हैं । जब नेता विरोधी दल का नाम लिया जाता है तो माननीय अवश्य लगा दिया जाता है । इसमें हम सब की गरिमा है ।

श्री अशोक कुमार चंदेल–

माननीय तिवारी जी ने दोषारोपण किया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने ऋषि राम शर्मा को कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त किया । उन्होंने चिलेटिड जिंक की खरीद की, उसकी बाजारू कीमत 100 रुपये थी और उसको 200 रुपये प्रति कुन्तल की दर खरीदा गया, उसकी बिक्री आज तक नहीं हुई है और पड़ी हुई है, तो उसका उत्तरदायित्व तो आप पर ही है । आप छात्रों की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि डी0 ए0 वी0 कालेज का छात्रावास बन्द किया गया और उन पर गोलियां और लाठियां चलायी गयीं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और मेरा विश्वास है कि उनके इस प्रयास से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा ।

(डा0 शिवानन्द नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरी पार्टी के लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री निरवेन्द्र कुमार–

हम जो निर्दलीय हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए । उनको मौका नहीं मिल रहा है । क्या व्यवस्था है ? जब तक हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता, हम लोग बोलने नहीं दें गे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

हमारी 40 की संख्या है । हम लोगों का इन लोगों के समय के बीच का समय दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

आप पहले निर्णय दें । विचार करके निर्णय दें हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए । . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कह रहे हैं कि आपको निर्दलीय सदस्यों को मौका नहीं दिया गया । आप भूल जाते हैं कि अभी इसी तरफ के माननीय चन्देल जी बोल रहे थे । वे निर्दलीय सदस्य ही हैं । फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिला । इसलिए आप कृपया स्थान ग्रहण करें । दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए ।

*डा0 शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो खेद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने विषय पर और विषय से बाहर रहकर अपनी बातें रखी हैं । . . . (शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने सार-गर्भित भाषण में उन तर्कों का, उन समस्याओं का और उन बातों का उल्लेख किया है जिनसे स्पष्ट झलकता है कि इस ओर से भी सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो नियम जो कानून और जो व्यवस्था आप करना चाहते हैं, इस पक्ष का पूरा समर्थन रहेगा। यही प्रजातंत्र की एक सबसे बड़ी बलिष्ठ और सबल भावना रहती है। शासन में रहने वालों के लिए भी कठिनाइयां होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि एक माह में शासन में बैठकर सरकार कमाल कर दे। हमको यह कहने की कोई गुंजाइश न रहे कि एक ही दिन में सब ठीक हो जाय। प्रश्न यह है कि एक महीने के भीतर जो कुछ भी इन्होंने अपनी अनुशंसाओं में, अपने दिये गये वायदों में जो कुछ कहा है कम से कम उसी पर बने रहें। कुछ कहने से पहले उस पक्ष से आपको अपना आत्मावलोकन कर लेना चाहिए कि जो कुछ आप कहे हैं उसको पूरी तरह से करने के लिए आप सक्षम हैं, उसके लिए प्रयत्नशील हैं उसके लिए चेष्टा कर रहे हैं। अभी माननीय उन्दल जी कह रहे थे पर्वतीय अंचल के बारे में। पर्वतीय अंचल के अंशकालिक अध्यापकों के बारे में इस सरकार ने कहा था कि हम नियुक्तियां दे देंगे। इसके बारे में सरकार ने निर्णय भी लिया था। इन अंशकालिक अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु इलाहाबाद बुलाया गया था। पहाड़ों से ये लोग सैकड़ों हजारों रुपया खर्च करके इलाहाबाद गये। जैसे ही वे वहां गये वैसे ही उनका साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया। पहाड़ के विद्यालयों में 90 प्रतिशत अध्यापक नहीं हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां 100 होने चाहिए वहां पर 10 अध्यापक ही हैं। उनकी नियुक्ति के लिए कहा गया था कि अध्यापकों को समान वेतन देकर उनकी नियुक्तियां कर देंगे। आज पर्वतीय अंचल में कोई अध्यापक नहीं है और न नियुक्तियां की जा रही हैं। इसलिए यह सरकार जो कुछ कहती है उसे वह पूरा करे। यही स्थिति अंशकालिक डाक्टरों की है। उनके लिए कहा गया कि उनको भी तुरन्त नियुक्ति दे देंगे। लेकिन शासन में बैठते ही एक माह के अन्दर जो लोग थे भी उनको भी निकाल दिया। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार काम करे। आप बराबर यह कहते चले जा रहे हैं कि आपने यह किया, वह किया। सरकार ऐसी न होती तो जनादेश न मिलता। जो जनादेश आपको मिला है उसे आप कीजिए तब हम आपको शाबासी देंगे। अगर इस तरह का उल्टा काम आप करेंगे तो हमारा अधिकार है कि शासन करने वाली ऐसी सरकार को सचेष्ट करें।

पर्वतीय अंचल में कृषि को छोड़ दीजिए, बागवानी तक का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की अर्थव्यवस्था का यही एक मात्र साधन है। पर्वतीय अंचल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। इन तमाम बातों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सरकार जो बैठी हुई है वह कथनी और करनी में अन्तर करती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आत्मावलोकन करें, स्वयं सोचें कि आपने क्या कहा था।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधीदल और माननीय पंचानन राय जी ने जिन-जिन बातों का इस सरकार की नीतियों के संबंध में कहा है उनका विश्लेषण करना मैं उचित नहीं समझता हूं । लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सरकार को जो जनादेश मिला है उनको सरकार को पूरा करना चाहिए । जो 10 हजार तक के कृषि कर्जे समाप्त करने और अंशकालिक अध्यापकों को पूर्णकालिक करने की जो बात सरकार ने की जिसके आधार पर सत्ता में आई उन्हें पूरा करना चाहिए । जो समता के आधार पर वेतन देने की बात कही है उसे पूरा करना चाहिए । अगर यह सरकार अपने किये हुए वायदों को निभायेगी तो सभी का सहयोग मिलेगा और विपक्ष का भी यही कर्तव्य है कि केवल टीका टिप्पणी न करें । स्वस्थ विचार रखे ताकि ठीक से कार्य चले जिसे हम पूरा कर रहे हैं ।

*श्री गुलाब सिंह (मिर्जापुर)–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं 10 जनवरी, को जो महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, विगत चुनाव में जनता ने जो परिवर्तन और वास्तविक लोकतंत्र के पक्ष में मत दिया है जिसके फलस्वरूप इस नयी सरकार का प्रादुर्भाव हुआ है उन जनआकांक्षाओं के अनुरूप नयी सरकार ने प्रयत्न किया है और एक निश्चित धारणा और प्रेरणा का वातावरण तैयार हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से नागरिकों की इससे सुरक्षा होगी और पिछली सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी वह समाप्त होगा जो इस सरकार के लिए एक क्रान्तिकारी कदम होगा ।

मान्यवर, मेरा निर्वाचन क्षेत्र दो जनपदों से जुड़ा हुआ है । जनपद सोनभद्र जिसका मुख्यालय अभी तय नहीं हो पाया है पिछले चुनावों के माहौल में सरकार ने अस्थायी तौर से राबर्टगंज तय किया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं और मेरी व्यक्तिगत राय के साथ-साथ उस जनपद के समस्त ब्लाक प्रमुख और सभी विधायकों और पंचायतों के सदस्यों का भी मत है कि राबर्टगंज के आस पास 5 कि0 मी0 के अंदर मुख्यालय निश्चित किया जाय। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोनभद्र का राष्ट्रीय आय में विशेष योगदान रहा है वहां नयी तहसील का सृजन भी बहुत आवश्यक है ।

शिक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जहां प्रदेश की साक्षरता 26.8 प्रतिशत है वहां मेरे इस क्षेत्र की साक्षरता 17.20 प्रतिशत है। अतः निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भौरवान में एक कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की जाय। इसी तरह प्राइमरी पाठशालाओं की भी स्थापना की जाय और जिन गांव सभाओं में प्राइमरी पाठशालायें नहीं हैं वहां प्राइमरी पाठशालायें खोली जायं । इसके साथ ही मैं मिर्जापुर जनपद में अपने क्षेत्र की पेयजल समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जहां आज भी पानी खारा है उसको दूर करने की जो आवश्यकता हो उसकी मुख्य मंत्री जी विशेष ध्यान देकर व्यवस्था करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी भावनायें व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर अभिभाषण के समर्थन में हमारे विद्वान साथी श्री अशोक बाजपेयी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा मुझे उनकी बातों को सुनकर दुख हुआ कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो शासन की नीतियों और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का परिचायक होता है जिसकी इस अभिभाषण में चर्चा की गयी है कि इस देश की जो 1987-88 में प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत 3284 रुपये था जबकि उत्तर प्रदेश का 2488 रुपये था जिसको बढ़ाने की व्यवस्था इस अभिभाषण में नहीं की गयी है।

मान्यवर, एक तरफ जहां अभिभाषण में जनसंख्या बढ़ोत्तरी पर चिन्ता व्यक्त की गयी है और कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 37.4 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 45.3 है लेकिन जनसंख्या बढ़ोत्तरी पर कैसे नियंत्रण किया जायेगा इसका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

मान्यवर, मैं पूर्वांचल के जनपद गोरखपुर से चुनकर आया हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेरे गोरखपुर जनपद के विकास पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गयी है जबकि वह पिछड़ा जिला है। हमारा विधान सभा क्षेत्र उद्योग शून्य है किन्तु उसके विकास के संबंध में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गयी है जो चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि यह सरकार कथनी और करनी का पालन नहीं कर रही है। हमारा जनपद गोरखपुर राप्ती तथा घाघरा से घिरा है और इसलिए वहां के 150 गांव प्रति-वर्ष बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। दर्जनों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो जाती है लेकिन बाढ़ से कैसे सुरक्षा की जायेगी और कैसे लोगों को बचाया जायेगा इसका अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए मुझे इसकी चिन्ता है।

मान्यवर, सरकार एक तरफ तो लोगों को रोजगार के संवैधानिक अधिकारों को देने की बात करती है लेकिन जो लोग अंशकालिक रोजगार प्राप्त किये हैं उनकी छटनी की जा रही है। इस प्रकार इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार नवयुवकों को वोट और अधिकार देने की बात करती है वहीं आन्दोलन करने का भी अधिकार है लेकिन हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक छात्र, निरविकार त्रिपाठी, जो आन्दोलन कर रहा था, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि आन्दोलनकारी को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आन्दोलन करने का अधिकार है और आन्दोलन करने पर गोली और लाठियों से उसकी भावना को दबाया नहीं जा सकता है लेकिन ऐसा किया गया और त्रिपाठी छात्र की पुलिस द्वारा हत्या की गयी है । यह कहां से अपराध है । इस तरह की बातें अन्य जनपदों में भी हुई हैं । ऐसे मामलों में मृतक के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाती है और अन्य स्थानों पर दी भी गई है, पर इस मामले में गोरखपुर में इस मृतक छात्र के परिवारजन को आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई है और न उसके दोषी अधिकारी को दण्डित किया गया है ।

(व्यवधान)

डा0 शमी (शमीम) अहमद खां–

मान्यवर, अध्यक्ष जी और मान्यवर हमारे तमाम विधायक, मैं गवर्नर के एड्रेस का समर्थन करते हुए अपनी सरकार से गुजारिश करता हूं कि अपोजीशन के जानिब से बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं, जिसमें हमारी जनता सरकार को फौरन गौर करना चाहिए । हम जनता दल के इस बहुमत में आने की वजह भी यही है । कांग्रेस ने बहुत सी गलत नीतियां अपनाई थीं और आज भी मैं समझता हूं कि हमारे अपोजीसन के जानिब से फेमली प्लानिंग के सिलसिले में जो बात आ रही है यह भी उसी का एक हिस्सा है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान सिर्फ अपनी आबादी के बल पर, मैन पावर के वजह से ही तरक्की कर सकता है । यदि आपने गलत तरीके से और जोर जबरदस्ती से इसका नियंत्रण किया तो आपका भी हम सन् 1977 जैसा हो सकता है । जनता दल के गवर्नर के भाषण में जो कमी रह गई है हमारी नजरों में, उसको आप शीघ्र पूरा करें। मैं आपके माध्यम से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि उनके जरिये मुसलमानों से, अक्लियत के साथ जो वायदे समय-समय पर होते रहे हैं, उसको वह जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाये। जैसे एन्टी राईट फोर्स का वायदा किया गया था जनता दल द्वारा, तो मैं समझता हूं कि उसे करने का अब समय आ गया है । मैं समझता हूं कि जबतक पुलिस, पी0 ए0 सी0 और सी0 आर0 पी0, जो बलवे, फशादात और दंगे रोकने का काम करते हैं, में इस प्रकार का संगठन नहीं खड़ा किया जायेगा, तब तक ऐसे फसादात नहीं रुक सकते हैं। यदि इनका ढांचा इस तरह का कर दिया जाए तो ऐसे फसादात न हों। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता दल की सरकार आने के बाद यू0 पी0 में खासकर हिन्दु मुसलमान और सिख इसाई में अच्छे ताल्लुकात पैदा हुए हैं और यहां पर फसादात नहीं हुए, जैसे कि कांग्रेस सरकार के जमाने में हुए थे । हम इसके लिए अपने मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उर्दू जो हमारी मादरी जबान है, उसकी अनदेखी करना उचित नहीं है । इसको माकूल जगह देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं । मैं इसके लिए आपके माध्यम से अपने सदन से गुजारिश करूंगा कि वह कम से कम मादरी जबान में यहां हलफ लेने की इजाजत दें । मैं चाहता हूं कि ये और अन्य वायदे पूरे हों । जनता दल ने जो मैनीफस्टो जारी किया है, उसके काम पूरे हों और मैं तो सदन के अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि यहां पर हिन्दू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए । मन्दिर भी रहना चाहिए और मस्जिद भी रहना चाहिए । इस तरह की

भावना नहीं होनी चाहिए कि फिरकेवाराना फसादादात हों । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री अकबर अली–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना विचार प्रकट करता हूं और समर्थन करता हूं जहां एक ओर समता, समानता देने के लिए सरकार कटिबद्ध है वहीं मैं समझता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लोग, हरिजन लोग जो देहातों में रहते हैं, जिनके लिए करोड़ों रुपया आवास के लिए, उनके रहन-सहन का दर्जा बढ़ाने के लिए, हुकूमत व्यय करती है, लेकिन उनके लिए देय धनराशि बीच के दलालों में चली जाती है या सरकारी अधिकारी खा जाते हैं, तो इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करके इंसाफ के तौर पर न्याय दिलाया जाए । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू टीचर्स जो अभी तक पिछली हुकूमत ने नियुक्त नहीं किए हैं उनको नियुक्त कराया जाय । उत्तर प्रदेश में हरिजनों के प्राइमरी तथा हरिजन स्कूल ऐसे हैं जहां अब तक उर्दू टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है । उनकी नियुक्ति कराई जाए । हमारी सरकार ने, जनता दल की सरकार ने यह वायदा किया है कि बगैर किसी भेद-भाव के सभी धर्मों को मान्यता दी जायेगी। तो इसमें न्याय दिलाया जाए । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के लिए पी0 ए0 सी0 और पुलिस में खास व्यवस्था की जाय । मान्यवर, जहां अनुसूचित जाति के लोग हों वहां से शराब के ठेकों को हटाया जाना चाहिए आबकारी से आय बढ़ाने की जो आपकी नीति है इसके तहत अगर और ठेके खोले जाएं उनकी स्थापना अनुसूचित जाति के लोगों के क्षेत्र में न की जाए । अगर इन लोगों में फैली बुराईयों को आप दूर करना चाहते हैं तो इन ठेकों को दूर करने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को शस्त्र दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए । पिछली सरकार ने जो नियमों के तहत लोगों को शस्त्रों के लाइसेंस दिए हैं वह आला और शक्तिशाली लोगों को दिए हैं उन्हीं के पास शस्त्र हैं, तो मेरा निवेदन है कि निर्बल वर्ग के लोगों के लिए साइसेन्स जारी किए जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

(व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । महिलाओं को आपको चांस देना चाहिए मैं अकेली बहुत देर से खड़ी हो रही हूं और आप समय नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री निरवेन्द्र कुमार–

मान्यवर जो मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में ऐसा जिला है जिसको उत्तर प्रदेश की विधान सभा भी इस जिले को उत्तर प्रदेश के नक्शे से सबसे अलग मानती रही थी । ऐसा लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नक्शे में लखीमपुर खीरी को जोड़ा ही नहीं गया था । जबकि इस जनपद में थारू

क्षेत्र है जहां बीसियों हजार लोग जनजाति के रहते हैं, वहां बहुत से गरीब हरिजन रहते हैं जिनकी जीविका की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीबी की रेखा से नीचे वह रहते हैं और गरीबी में अपनी जिन्दगी भोग रहे हैं। मान्यवर, दुधवा नेशनल पार्क का चुपचाप तरीके से गजट कर दिया गया, इस पार्क से निधासन विधान सभा क्षेत्र के किसान व भूमिहीन खेतिहर मजदूर त्रस्त हैं। वहां के जंगली जानवर आकर किसानों की सारी फसलें खा व नष्ट कर जाते हैं जिससे किसान बरबाद हो गये हैं। वन विभाग ने वहां ऐसी हालत पैदा कर दी है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनके जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाती है और जब लकड़ी नहीं मिलती तो लाश को पताइयों में जलाकर संस्कार करना पड़ता है जिससे लाश पूरी तरह से जल नहीं पाती है। वहां सूखी जलौनी लकड़ी बहुत है लेकिन लोगों को वन विभाग के कारण पूर्व वर्षों की भांति नहीं मिल पाती है। वन विभाग वाले जंगल में घास फूस जला देते हैं जो कि पूर्व में साझीदारों को गांव को मिला करता था जिसे वन अधिकारी जला दिया करते हैं। जिससे तमाम लकड़ी जल जाती है और दुधवा नेशनल पार्क के जंगली जानवरों के बच्चे, हजारों की संख्या में, आग लगाने से मर जाया करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पार्क के किनारे सेहुल नदी है जो बाढ़ के पानी के बहाव का काम करती थी वह जलौनी लकड़ी से पट चुकी है। जिसके कारण बाढ़ का पानी बह नहीं पाता है और उससे किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं और पार्क के सीमावर्ती किसान एक-एक पैसे के लिए एक-एक रोटी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। इसके साथ ही साथ चकबन्दी वालों ने गरीब भूमिहीन, हरिजनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, चकबन्दी वालों ने सीलिंग एक्ट का मजाक बनाकर रख दिया है। ए0 डी0 एम0 और कमिश्नर के द्वारा यहां सीलिंग की जमीनें बेची जाती रही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

मान्यवर, वन विभाग ने जिन जमीनों पर अपनी पौध 2, 3 बार लगायी वह सारी पौध बाढ़ के पानी में नष्ट हो गयी जिससे वन विभाग का लाखों रुपया बरबाद हो गया और तमाम रकबे में एक पेड़ भी नहीं चल पाया। वह जमीन बड़े-बड़े लोगों ने अधिकांश जोत रखी है। दो-दो हजार एकड़ वाला ने जो वन विभाग की जमीनें थीं उसको लोगों ने दबा रखा है और हजारों हरिजन, मुसलमान, थारू जातियों के लोगों के पास जमीन नहीं है। इन लोगों के पास आज से 42 साल पहले भी जमीनें नहीं थीं, वह भूमिहीन थे और आज भी वह भूमिहीन हैं और गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और उनको मेहनत मजदूरी करके अपनी बसर करनी पड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

मान्यवर, अभी पूरी बात नहीं हो पायी है।

*श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, इस सदन में मैं पांचवीं बार चुनकर आया हूं। जहां तक मुझे याद है यह पहला अभिभाषण है जिसमें उर्दू भाषा का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आज का बर्निंग टापिक है। यही सही है कि महीना, बीस दिन की अवधि में सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन नीतियों का वर्णन होता है। इस अभिभाषण में इसका जिक्र भी नहीं किया गया है, इसका मुझको दुःख है, उर्दू जब कि आज का बर्निंग टापिक है, यह परम्परा रही है, पिछली सरकार से जो काम किया है, अगर आप उसको चालू रखना चाहते हैं, तो कहिये ठीक है और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो इससे इन्कार कर दीजिये कि हम नहीं करना चाहते हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने उर्दू को कुछ सुविधायें दी थीं। आज के जनता दल के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको काला कानून कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाय। इस अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा है कि हमारी वर्तमान सरकार की नीति क्या होगी। मान्यवर, मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी को, वह मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे साथ में मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगा। मैं उनकी जबान पर तो विश्वास करता हूं, उत्तर प्रदेश का एक मुख्य मंत्री कोई बात कहे, तो मैं मजबूर हूं कि उसकी जबान का विश्वास करूंगा और वैसे मेरे वह सहयोगी रहे हैं, सच बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि किन्हीं कारणोंवश कुछ बिरादरी के लोगों के साथ कुछ भेदभाव का सलूक हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बदले की भावना से काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर श्री भोपाल सिंह विद्युत के चेयरमैन थे और वह अजीत सिंह की बिरादरी के लोग होते हैं, उनको तुरन्त हटा दिया गया।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, एक और बात इसी के संदर्भ में कहना चाहता हूं। आज तक जितने मंत्रि मण्डल बने हैं मेरी मौजूदगी में, उसमें किसी जाट बिरादरी के आदमी को न लिया गया हो, लेकिन यह पहला अवसर है कि इसमें एक भी जाट बिरादरी का सदस्य मंत्रि-मण्डल में नहीं लिया गया है। इस विषय में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह--

यह सदन लोकतंत्र के अनुकूल चलेगा या जाति तंत्र के ? कृपया अधिष्ठाता जी यह व्यवस्था दें कि जाति का मंत्री बने या न बने ? यह लोकतंत्र के अनुकूल है कि नहीं ?

(घोर व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह जाति के आधार पर कह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जाति के आधार पर नहीं बल्कि वह प्रशासनिक आधार पर विद्युत बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किये गये हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री काजी मो0 मोहिउद्दीन–

मान्यवर, मैंने अर्ज किया कि सवाल नीतियों का है । किसान यूनियन के नेता श्री महेन्द्र सिंह टिकैत से आपने कुछ वादा किया था । . . . .तो मान्यवर, इस सरकार ने ध्यान दिया और श्री नारायण दत्त तिवारी ने बहैसियत मुख्य मंत्री जो उनसे वायदा किया था उनको पूरा करेगी सरकार या नहीं और जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करेगी या नहीं । मैं अर्ज करूंगा कि हरिजनों के साथ मेरे क्षेत्र में अत्याचार हो रहा है वह कहते हैं कि जो सीलिंग में जमीन हमको मिली है (व्यवधान) भाग जाओ यह तो कांग्रेस ने दी थी । मान्यवर, यह मैं अर्ज करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक मिल की अति आवश्यकता है । आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से माननीय शतरुद्र जी से और गन्ना मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि लक्सर विधान सभा में एक गन्ना मिल लगाने की कृपा करें अति कृपा होगी ।

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद गोरखपुर के कौड़ी राम, जो कि मेरा क्षेत्र है की ओर आकर्षित करना चाहती हूं मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है और वह रामगढ़ ताल के पानी से है और आमी तथा राप्ती के पानी से है । आमी और राप्ती के पानी से सैकड़ों गांव ऐसे हैं जोकि बरसात में चारों तरफ पानी से घिर जाते हैं और हजारों एकड़ फसल का नुकसान होता है, बीमारी की भी आशंका रहती है और जल जमाव से जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं कि मैंने 10 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव को एक दरख्वास्त दी थी और उनका ध्यान वहां की समस्याओं की ओर आकर्षित किया था लेकिन मान्यवर, बड़े दुःख की बात है कि मेरी दरख्वास्त जिसमें वहां की जनता की समस्याएं और सुझाव दिये हुए थे जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया तो उन्होंने कहा कि इसे रखिये, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं, यहां दे रही हैं, पढ़ने का समय नहीं है, मैं देखूंगा । लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वहां की जनता का यह सुझाव है कि गोरा नाला का मुहाना मलौनी बांध के 28 वें कि0 मी0 पर कई से सेमरोना बरही बन्धा तक लगभग एक कि0 मी0 बांध बनवा दिया जाय तो यह परेशानी दूर हो जाय । मान्यवर, यह बहुत बड़ी समस्या है । मैं चाहूंगा कि आप इस सदन के माध्यम से आज सरकार से संतोषजनक आश्वासन जरूर दिलवा दें जहां लाखों एकड़ फसल डूब जाती है वहां की जनता नाव के सहारे से निकलती है। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो लाखों रुपये की सहायता दी जाती है नाव की मजदूरी दी जाती है अगर एक कि0 मी0 का बन्धा बना दिया जाय तो यह सारी समस्या सुलझ जायेगी । रामगढ़ ताल की परियोजना करोड़ों रुपये की लागत से बनी है और वह भी इस जल जमाव से प्रभावित होती है इसलिए बांध से इसको भी फायदा पहुंचेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे यहां राप्ती से ज्यादा बाढ़ आती है और सैकड़ों गांव घिरे रहते हैं। मान्यवर, जहां से कोई रास्ता निकलने का नहीं है, मैं चाहूंगी कि वहां पर सड़के बनवाई जाय और यहां पर लड़कियों के लिए कोई पढ़ने का कालेज नहीं

[3 बजकर 20 मिनट]

है। जहां 30-40 किलोमीटर पर लड़कियों को स्कूल जाना पड़ता है, मैं चाहूंगी कि वहां पर कन्या इन्टर कालेज खुलवाया जाय। जहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए भवन नहीं है और बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं, मैं चाहूंगी कि वह पर भवन बनवाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं चाहूंगी कि जहां सम्पर्क मार्ग नहीं हैं, जहां बाढ़ और कछार का एरिया है, वहां पर सम्पर्क मार्ग की सुविधा पहुंचाई जाय। जहां पेयजल नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर अधिक से अधिक पेयजल लगवाया जाय। मान्यवर, जहां किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं है, मैं चाहती हूं कि वहां पर राजकीय नलकूप लगवाएं जायं जिससे कि किसानों को पानी की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करती हूं।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वर्तमान सरकार की कार्यशैली की अभिव्यक्ति है। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, परन्तु कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे प्रदेश की जनता के हैं, जिन पर मैं वर्तमान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझता हूं। विश्व प्रसिद्ध आगरा हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा पर्यटन केन्द्र है। आगरा हिन्दुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देता है, लेकिन पिछले एक दशक से आगरा में आने वाले पर्यटक पीने के पानी की कमी के कारण शाम को दिल्ली चले जाते हैं और आगरा की पर्यटक होटल व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। पीने के पानी के नाम पर उत्तर प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने कहा था बाबा भीमराव अम्बेदकर के नाम पर एक बैराज बनवाया जायगा। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये यह दुराग्रह किया था। उसके बाद घोषणा की गयी कि 2-9 और 15 अक्टूबर को आगरा में बैराज का निर्माण किया जायगा, परन्तु वह केवल चुनाव घोषणा-पत्र ही रहा। पिछले दस साल से आगरा के लोगों को दिल्ली से आने वाले दूषित जल को ही सफाई करके पीना पड़ रहा है। अब वर्तमान सरकार के मंत्री ने इसी 31 तारीख को पानी के शुद्धिकरण के लिये 25 लाख रुपये का अनुदान दिया है, परन्तु आगरा का पानी इतना दूषित है कि वहां के मेडिकल कालेज की रिपोर्ट के अनुसार लोग पीलिया रोग से रोगी होते जा रहे हैं। क्योंकि यह संस्थान केवल पानी को सुधारने की क्षमता रखता है। इसी तरह से तमाम और भी योजनाएं हैं। चम्बल लिफ्ट परियोजना आयी लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सस्ते न्याय की बात होती

है पिछली सरकार ने जसवन्त सिंह विष्ट आयोग बैठाया । उसने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच की स्थापना होनी चाहिये । मैं मांग करता हूं कि आगरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना की जाय । आज शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है । (व्यवधान) (माइक पर सुनाई नहीं दिया) पर्यटन के लिये आगरा प्रसिद्ध है । वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं । वहीं पर पर्यटन के नाम पर पर्यटक 2 लाख आते हैं । वहां भ्रष्टाचार है, लूट है । वहां पर आगरा में जो कुटीर उद्योग हैं, उस पर सेल्स टेक्स लगता है वहीं बनारस में जो इस तरह के कुटीर उद्योग हैं, उस पर सेल्स टेक्स नहीं लगता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बनारस की तरह से ही आगरा में कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए उद्योग हैं, उनसे जो सेल्स टेक्स लिया जाता है, उसको भी समाप्त किया जाय । वहां के पूर्व कृषि मंत्री ने जो भ्रष्टाचार कर रखा था, उसकी जांच का आश्वासन नहीं दिया गया । 2 रु0 3 रु0 क्विंटल कोल्ड स्टोरेजों में दाम बढ़वाकर और इस एवज में लाखों रुपये घूस लेकर उन्होंने चीजों के दाम बढ़वाये । मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन भ्रष्टाचारी लोगों के लिये तुरन्त कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके भाषण का समय समाप्त हो गया । अब आप बैठें ।

श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोपीनाथ वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पूरी चर्चा के दौरान विपक्ष में बैठे जो हमारे माननीय सदस्य हैं, हमने देखा कि उन्हीं पुरानी बातों को दोहराकर अपनी बात को समाप्त कर देते हैं कोई ऐसी जानकारी नहीं देना चाहते हैं सभी सरकार की जिससे कि इनकी कठिनाइयां दूर की जा सकें । ऐसे मुद्दों को ढूंढने का काम करते हैं जिसको कि इन्होंने स्वयं तोड़ने का काम किया । आरक्षण के मुद्दे पर यह पिछली सरकार जो विपक्ष में बैठे हैं इनके अनुयायी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इसी सदन में कहा था कि आरक्षण को हम लागू करेंगे मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे सदन में और सदन के बाहर कोई शोर शराबा नहीं हुआ । कोई आन्दोलन सत्याग्रह खड़ा नहीं हुआ । जब जनता दल के आपके मौजूदा मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने इस बात का एलान किया और घोषणा किया कि हम आरक्षण व्यवस्था को जारी रखेंगे मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, तो इन्हीं लोगों के इशारे पर पूरे प्रदेश में आरक्षण का विरोध हो रहा है और एक दूसरी स्थिति में सरकार को ले जाना चाहते हैं । मेरी अपनी निश्चित राय है कि जब तक इस समाज में सामाजिक असमानता रहेगी तब तक आरक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का रहना जरूरी है और इनको विरोध भी नहीं करना चाहिए । जब समाज में सामाजिक असमानता खत्म हो जायेगी तब आरक्षण की व्यवस्था स्वयं खत्म हो जायेगी उसके आपके विरोध करने की जरूरत नहीं है । इसी पिछली सरकार की बात कहता हूं, यह बुनकर की, छोटे किसानों की और गांवों की बात कहते हैं, इनके अपने ही चेयरमैन विद्युत परिषद् भोपाल सिंह जी थे, उन्होंने पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि जो बुनकर हैं लघु और कुटीर उद्योग हैं उनके सामने विद्युत का ऐसा संकट खड़ा हो गया था कि उनका आन्दोलन खड़ा हो गया । यह लोग पिछली सरकार की कथनी और करनी का हमारी सरकार पर इलजाम लगा रहे हैं । जो आपने काम किया है उसकी सफाई करने में कठिनाई तो होगी ही समय लगेगा ही । आपने विद्युत दर बढ़ाने का काम किया, कोई परेशानी नहीं है, हमारी सरकार विचार कर रही है ।

जहां सवाल उठता है किसान के बारे में मान्यवर, खाद के यूरिया के रेट 123 रु0 40 पै0 इनकी सरकार ने करा दिये, अब हमारी सरकार आयी तो उन्होंने बार-बार कहना शुरू कर दिया कि सरकार के आने पर खाद यूरिया के दाम बढ़ा दिये गये । मैं पूछना चाहता हूं कि जो चीज आपने कर दी, उसको ठीक करने में सरकार को समय लगेगा तो ऐसी बहस नहीं करनी चाहिए । शिक्षा जगत की बात कही गयी कि स्टूडेन्ट में बेकारी बढ़ रही है शिक्षकों की बेकारी बढ़ रही है । इसी सदन में माननीय तिवारी जी ने ऐलान किया था कि 2 हजार माध्यमिक विद्यालयों को असहायता प्राप्त, अनुदान सूची में लाया जायेगा और असहायता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों को जो 4 हजार की संख्या में थे अनुदान सूची में लाया जायेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद एक भी विद्यालय को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया । करीब 10 हजार ऐसे विद्यालय हैं, जिनके शिक्षक आज भूखों मरने की स्थिति में हैं, उस पर भी यह सरकार विचार कर रही है । मान्यवर, इस सरकार की मंशा है कि जो बेरोजगार नौजवान, अध्यापक हैं, उन सभी लोगों की स्थिति को सुधारा जाय । यह कर्जा माफी की बात करते हैं । इस सरकार की तरफ से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया कि 10 हजार का कर्जा माफ करेंगे, 100 रुपया प्रति व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन देंगे, मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग निश्चित रूप से विश्वास मानकर चलें कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा, जो हमारे मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे, उसका अक्षरश: पालन होगा और आने वाले समय में आप लोग ही इस सरकार को बधाई देंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं ।

*श्री राजधारी–

मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को जहां तक हमने समझा और पढ़ा है, उसके अनुसार जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है, मैं इस आशा के साथ उसका समर्थन करता हूं कि जिस प्रदेश की जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ एक परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश और देश में फहराई है, उस परिवर्तन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आशा के अनुरूप यह सरकार एक नई व्यवस्था देगी । मान्यवर, अभिभाषण में इस लोकतांत्रिक सरकार की कुछ नीतियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे लगता है कि चाहे महंगाई को रोकने का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या चिकित्सा का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में यह सरकार कुछ करना चाहती है । मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि का लागत मूल्य इस सरकार ने कम करने की बात कही है, लेकिन मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जहां आपने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है और किसानों को लाभ देने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर इसका लागत मूल्य भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर सरकार को विशेष निगाह ले जानी होगी ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कहना चाहूंगा, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी हालत आज बड़ी खराब है और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई का काम कायदे से चले, इसके लिए कोई प्रभावकारी कदम उठाया जाना चाहिए । इसी प्रकार जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जैसा कि एक सदस्य ने भी कहा कि आज 5 वर्षों से अनुदान सूची में नहीं लिये गये हैं, जिससे हमारे प्रदेश की हजारों संस्थायें, जिसमें हमारे भाई पढ़ाने का काम करते हैं, आज अनुदान न मिलने के कारण उनके आगे तमाम समस्या हैं और जिससे शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है । मैं महंगाई के बारे में सरकार के प्रयत्नों की तारीफ करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक लोहिया जी की दाम बांधो नीति की तरफ सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठायेगी, तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है । मान्यवर, मैं जिस चुनाव क्षेत्र से जीतकर आता हूं, वह सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के अन्दर आता है । वहां पूरे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, विशेषकर वहां कठौड़ाताल, मुरियारीताल अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र है, जिसको समाप्त करने के लिए कोई उपाय करने का अनुरोध करता हूं ।

मान्यवर, सिकन्दरपुर ऐसा क्षेत्र है, जहां वर्ष 1975 से तहसील बनाने का मामला विचाराधीन है । मैं मांग करता हूं कि क्षेत्र की जनता के हित को देखते हुए सिकन्दरपुर को तहसील बनाया जाय और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में मनियर और सिकन्दरा दो नोटीफाइड एरिया हैं, उनकी स्थिति को सुधारा जाय । इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन इस आशा के साथ करता हूं कि यह नई सरकार जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी, जिसमें जनता पार्टी का उसे पूरा सहयोग रहेगा ।

श्री सुरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा था। उसकी एक-एक लाइन व एक-एक अंश इस वर्तमान लोकप्रिय सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है । जिस इलाके से मैं चुनकर आता हूं वह बिल्कुल बिहार के बार्डर का इलाका है । मैं नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था । वह पूर्वांचल की समस्याओं के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और अफसोस हो रहा था कि पूर्वांचल की समस्याओं के बारे में हम लगातार आन्दोलन करते रहे, प्रदर्शन करते

रहे, जेल गये, फिर भी इतनी लड़ाई के बावजूद वहां विकास की किरण पहुंची ही नहीं। यदि कोई किरण पहुंची भी तो वह गोरखपुर के रामगढ़ ताल तक सीमित रही। उसी में वह डूब गयी और उसी में उलट गई, उससे आगे देवरिया तक वह नहीं पहुंची।

कांग्रेस के राज्य में सलेमपुर तहसील में कागज का एक कारखाना मंजूर हुआ था, उसके शिलान्यास की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन इनके लोगों ने उस कारखाने को वहां से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया। सलेमपुर में स्कूटर का कारखाना लगने जा रहा था, उसकी मंजूरी भी हो गयी थी, कांग्रेस के मुखिया उस समय ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए थे कि सलेमपुर के उस स्कूटर कारखाने को सुल्तानपुर में लगवा दिया गया। सलेमपुर तहसील में भटनी कोच फैक्ट्री लगने जा रही थी, उसका शिलान्यास श्री अब्दुल गनी खां चौधरी जी को करना था, उस समय इनके मुखिया श्री राजीव गांधी जी पंजाब गये हुए थे, पंजाब समझौते के दौरान उन्होंने इस कोच फैक्ट्री को उन आतंकवादियों को दान में दे दिया। इस प्रकार इन्होंने पूर्वांचल की समस्याओं का हल निकाला। पूर्वांचल की हालत यह है कि चारों तरफ नदियां हैं—राप्ती नदी, घाघरा, गण्डक नदी है, सरयू नदी आदि अनेक नदियां हैं, आज भी इन नदियों के किनारे कांग्रेसी राज्य में जबरदस्त कटाव होता रहा है कि सैकड़ों गांव हर साल नदी में बह जाते हैं। लगातार संघर्ष करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने कटाव को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने महिलाओं के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर जो अपना स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित किया है, उसका मैं निश्चित रूप से स्वागत और अभिनन्दन करता हूं। वर्तमान सरकार के मुखिया ने इस संबंध में जो काम किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पूर्वांचल की समस्याओं को उद्धृत करने का काम किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इतिहास में दो ही लोगों का नाम आता है जब सम्पूर्ण दुनिया सोती थी तो वे जागते थे। उन हस्तियों के नाम हैं मोहम्मद साहब और उमर साहब, तीसरा नाम है हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री का। जब पूरे के पूरे कांग्रेसी मौज मस्ती में डूबे हुए थे तो वह गरीबों को कम्बल बांटने का काम कर रहे थे।

श्री धर्म पाल (बहराइच)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार के एक माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह सोये नहीं हैं, वह ध्यान मग्न हैं। श्री यादव जी भाषण समाप्त करें।

श्री धर्म पाल (बहराइच)—

वह इतने इतने ध्यान मग्न हो गये हैं कि लगता है कि वह ब्रह्मलीन हो गये हैं। मान्यवर, इसके पूर्व तीन सदस्य सत्ता पक्ष के बोल चुके हैं, विपक्ष की ओर से किसी को अवसर नहीं दिया गया। नियम यही रहा है कि एक सत्तारूढ़ दल का होगा और एक विपक्ष का होगा।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप केवल कांग्रेस दल को ही विपक्ष समझते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे दल को अगर अवसर दे दिया जाय तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि आपके एक-एक सदस्य को 4-4 बार बोलना होगा। आप जिनको जनता दल का समझ रहे हैं, वह निर्दलीय सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ देर पहले इसी सदन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने एक घोषणा-पत्र से चुनाव लड़ा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ देर पहले क्या कहा था, इस मुद्दे पर बहस करने का यह कोई समय नहीं है। आप बैठें।

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर होने पर)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

माननीय सदस्य जिस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं पहले दिमाग बना लें। जो मुद्दा वह उठा रहे हैं, हम उस पर भी बहस करने के लिये तैयार हैं। जनता ने जब

(सत्ता पक्ष की कुर्सियों की ओर इंगित करते हुए)

इनको यहां भेजा ही नहीं है तो इनको बोलने का अवसर कहां मिल पायगा।

(मेजों की थपथपाहट)

निर्दलीय बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के लिये जानना चाहती हूं कि व्यवस्था आपकी पीठ से आयेगी या मंत्रि परिषद् के सदस्यगण व्यवस्था देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीया प्रेमवती तिवारी जी, आपने उचित प्रश्न किया है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा है, वह व्यवस्था नहीं बन सकती, व्यवस्था वही होगी जो इस पीठ से आयेगी।

(घोर व्यवधान)

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

(अध्यक्ष पीठ की ओर इशारा करते हुए) आप जब भी कोई बात कहते हैं तो (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए) उधर से उत्तर आ जाता है । इससे व्यवधान हो जाता है

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी अभी इस सदन में यह कहा है कि इन सदस्य को निर्वाचित करके जनता ने भेजा ही नहीं है तो बोलेंगे क्या । मैं जानना चाहता हूं क्या कोई बिना निर्वाचित व्यक्ति इस सदन में आकर बैठ सकता है या बोल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने दल के लिये कहा था, उनका इशारा दल के पक्ष/विपक्ष में होने की ओर था, किसी माननीय सदस्य की तरफ नहीं था ।

(घोर व्यवधान)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)–

मा0 सदस्य को जानकारी दे दूं कि बिना निर्वाचित हुए भी इस सदन में बोला जा सकता है, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बिना निर्वाचित हुए भी इस सदन में बोल सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे तो माननीय मंत्रीगण भी बोल सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

बोल सकते हैं लेकिन इस सीट पर बैठकर नहीं बोल सकते हैं । उनके लिये सुरक्षित स्थान अलग है ।

(घोर व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, धन्यवाद !

माननीय सदस्यगण । यह देश जब आजाद हुआ तो इस देश को महात्मा गांधी, राम जैसा राज्य देने के लिये कहते थे । आप इसके प्रेरक हैं ऐसा वचनबद्ध महात्मा गांधी इस मुल्क के सामने थे ।

(घोर व्यवधान)

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

[x x x]

नोट–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकल दिया गया ।

श्री गंजी प्रसाद–

उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से आप लोगों को –

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

इन मा0 सदस्य ने सदन में खड़े होकर कहा है कि यहां पर [xxx] बैठे हुए हैं। यह केवल एक दल का अपमान नहीं है बल्कि सारे सदन का अपमान है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं व्यवस्था देता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्य ने कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा और वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

मान्यवर, क्या यह सदस्य उसी पार्टी से संबंधित हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

यदि आपको कोई आपत्ति है तो उसे आप लिख कर दे दीजिये और फिर उस पर नियमानुसार व्यवस्था दे दी जायेगी।

*श्री गंजी प्रसाद–

मैं कह रहा था कि आज जिस विषय पर यहां विचार हो रहा है कि इस देश में कैसी सरकार होनी चाहिये तो महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश में राम राज्य चाहिये। आप सब लोग राम राज्य के देश के रहने वाले हो और छोटी-छोटी बातों पर बहस और मुबाहिसा करते हो। मुझे बहुत दुख है फिर भी मा0 अधिष्ठाता जी ने मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसलिए मैं उसका सदुपयोग करता हूं कि राम राज्य कैसा हो, इसके लिये मैं तुलसी दास जी की चार चौपाई कह कर आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। शायद वह राज्य जो है जनता दल की सरकार, जनता दल का मंत्रिमंडल और आप सब लोग इस सरकार को चलाने में उसके सुनने के बाद मदद करें। यह महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत वर्ष में राम राज्य होगा, चौधरी चरण सिंह का कहना था कि भारत देश गांधी जी के सपनों का देश होगा। मैं उसी गांधी जी के सपनों के बारे में चार चौपाई कहे देता हूं कि वह राज्य ऐसा होगा कि :—

नाहि दरिद्र, न दुखी और न धन हीना,
नाहिं कोई अबुद्ध और न लक्षणहीना।
सब सुन्दर, सब स्वस्थ शरीरा,

देखो आप हंसोगे तो मुझे गुस्सा आयेगा। मैं आपसे विचार करने के लिए कहता हूं कि आप भी इस पर विचार करो। विचार करने के बाद आप उस निष्कर्ष पर पहुंचिये कि दुनिया में कोई ऐसा राज्य नहीं था जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसलिये मेरी बात को सुनने के बाद जो हम कह रहे हैं कि उस समय न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र था और न कोई दीन था, न कोई रोगी था, सब स्वस्थ और सुन्दर थे, राम राज्य में किसी को कोई पीड़ा नहीं थी। सबके दवा-दारू का भी प्रबन्ध था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप विराजें ।

श्री गंजी प्रसाद–

मान्यवर, मेरा समय इसलिए लम्बा हो गया कि इसमें बहुत से समय का दुरुपयोग हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने वह सब जोड़ कर कहा है कि अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गंजी प्रसाद–

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे और समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गंजी प्रसाद–

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके शासन में जनता की बातों पर विचार नहीं किया गया । मैं निवेदन करूंगा कि. . .

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, अगर किसी को साड़ी का शौक चर्राया हो, तो वह साड़ी पहन ले, क्योंकि मेरे कान में आवाज आयी है कि साड़ी का फायदा हो गया । सरकार ने उत्तर प्रदेश का गुरुतर भार अपने ऊपर लिया है, उसको जनादेश मिला है कि वह उधर बैठे । मैं यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि विपक्ष की ओर से बैठकर उनके हर अच्छे काम में सहयोग दिया जायेगा, लेकिन मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ा और यह देखने का प्रयास किया, कहीं पर कुछ ऐसी चीज निकल आये, जिसे मैं सदन में आपके माननीय सदस्यों को, वर्तमान सरकार को और उसके माध्यम से आज प्रदेश की जनता को कह सकूं कि इस सरकार ने जो कुछ दिया है, अच्छा दिया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा तो बोल लेने दें । इससे अच्छा है कि बोलने ही न दें । मान्यवर, जरा सच्चाई तो सुन लें । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले पन्ने पर आप देखें कि श्रद्धांजलियों के बाद अपने आप में तारीफ की गयी है । कुछ सदस्यों ने कहा कि कुछ दिन काम करने दें, काम करने में पता चल जाता है कि कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन पहले ही अपनी प्रशंसा कर ली अच्छा है, आप अच्छा काम करते, लेकिन पहले ही तारीफ करने की क्या जरूरत थी । वही बात है कि सुने या न सुने हम तो सुनायेंगे । मान्यवर, मैं पृष्ठ सं0 2 के आठवें बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहती हूं, जिसमें कहा गया है कि निर्धन, निराश्रय व्यक्तियों को विशेष सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद विधवाओं, विकलांगों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है । अभी तक 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पेंशन दिए जाने की व्यवस्था थी । तो मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि दो विभाग हैं । समाज कल्याण विभाग से विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन दी जाती है । अगर कोई महिला 30 वर्ष की है और वह विधवा हो जाती है और उसके बच्चे हैं तो नियमानुसार उसको पेंशन मिलती है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सुन लें, इनकी अज्ञानता ज्ञान में बदल जायेगी । समाज कल्याण विभाग जो है वह इन लोगों की सेवा करता है । मान्यवर, 65 वर्ष की जो उम्र है.... (व्यवधान) मैं विधायक हूं और जानबूझकर सही बात को आपको सुनाना चाहती हूं । मान्यवर, दूसरी तरफ 65 वर्ष की उम्र है । मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि यह भारत सरकार का कानून है और श्रम मंत्रालय से संबंधित है जिसको इस सम्मानित सदन में न तो संशोधन करने का अधिकार है और न उस पर वाद-विवाद करने का अधिकार है । आपने दोनों को एक में मिला दिया ।

मान्यवर, एक तकलीफदेह बात और है । अभिभाषण के पृष्ठ 11 में दिया है "1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक विशिष्ट समुदाय के विरुद्ध अत्याचार किया गया था" । मैं पूछना चाहती हूं कि कौन सा ऐसा समुदाय था जिसके ऊपर अत्याचार किया गया । एक चीज और बता दूं—श्रीमती इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधान मंत्री थीं । उनके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी कहकर आपने सम्मान करना भी नहीं सीखा । चुप हो जाना ही ज्यादा अच्छा है । ज्यादा कहेंगे तो दुखदायी होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यगण, जब माननीया तिवारी जी अपना भाषण कर रही थीं तो कुछ सदस्य आपस में बात कर रहे थे । आप थोड़ा सा नियमों का पालन करें और नियमावली के अनुसार जब कोई माननीय सदस्य भाषण कर रहा हो तो उसके और इस पीठ के बीच से न जायं । बीच में न बोलें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीया तिवारी जी बोल रही थीं । उन्होंने पेंशन वाले मामले में ज्यादा टाइम ले लिया । यह राजस्व मंत्री जी से सम्बन्धित मामला है । वे उनके कमरे में चली जायं । उनकी सारी समस्यायें हल हो जायेंगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मैंने निवेदन किया कि वह भारत सरकार का श्रम मंत्रालय का कानून है और वहां समाज कल्याण मंत्रालय से संबंधित है । आपने दोनों को एक में मिला दिया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वह तो उनके बीच की बात है । आप क्यों चौधरी साहब बीच में बोलते हैं ?

(व्यवधान)

*श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जन कल्याणकारी घोषणाओं को सदन में रखा है । उनसे स्पष्ट होता है कि हमारी जनप्रिय सरकार प्रदेश के हित के लिए कटिबद्ध है । मान्यवर, पिछली जन विरोधी सरकार जिसने हरिजनों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जाति के लोगों और देहात में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए न कभी कुछ सोचा और न कभी विचार ही किया । उनके लिए कोई योजनाएं नहीं रखीं । उसी से ऊबकर जनता ने उनको सत्ता से नीचे कर दिया । मान्यवर, हमारी सरकार उन हरिजनों के लिए जिनका आरक्षण 40 साल की कांग्रेस सरकार में पूरा नहीं हुआ, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं किया गया, निर्बल वर्ग के लोगों के लिए जो भूमि आवंटित की गई, हरिजनों के लिए आवंटित की गयी उनको अभी तक कब्जा नहीं दिया गया, इन सारे कल्याणकारी कार्यों को पूरा करेगी । मान्यवर, यहीं पर मैं यह भी कहना उचित समझता हूं कि हमारे जनपद में जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, आज तक कोई उद्योग नहीं लगा है । यह भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे जनपद में प्रदेश के अन्दर जितनी सड़कें हैं औसतन उसकी आधी सड़कें हमारे यहां हैं और जनपद की भी आधी सड़कें हमारे विधूना निर्वाचन क्षेत्र में हैं । मैं चाहूंगा कि हमारी जनप्रिय सरकार समानता के आधार पर पूरे प्रदेश का विकास करेगी । मान्यवर, बहुत से अस्पताल इस क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर कोई डाक्टर नहीं है । वहां के क्षेत्र के लोग कानपुर अपने मरीजों को ले जाते हैं जो कि करीब-करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है । रास्ते में बहुत से मरीज दम तोड़ देते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि अतिशीघ्र डाक्टर नियुक्त किए जायं यह केवल हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आवश्यक रूप से सभी अस्पतालों में नियुक्त किए जायं । और अगर कोई डाक्टर वहां जाने के लिए तैयार नहीं है तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाय । अधिकतर डाक्टर ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहां प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छी चले ।

पिछली सरकार ने जनसंख्या को कम करने के नाम पर फर्जी नसबन्दी की है । हम चाहेंगे कि उन सारी फर्जी नसबंदियों की जांच की जाय और उसके नाम पर जो प्रधानों ने हजारों रुपए लिए हैं और डाक्टरों तथा प्रेरकों ने लाखों रुपए लिए हैं उनकी जांच हो और जिन अस्पतालों में फर्जी नसबन्दी की गयी है उन सभी लोगों को दण्डित किया जाय ।

शिक्षा के क्षेत्र में पिछली सरकार ने गत 5 सालों में किसी भी हाईस्कूल या इण्टर कालेज को अनुदान की सूची में नहीं लिया । इतना ही नहीं जनरल साइंस को हर हाईस्कूल में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया लेकिन जनरल साइंस के लिए अध्यापक आज तक नहीं भेजा गया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, कृपया बैठें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री धनीराम वर्मा–

तो अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सभी हाई स्कूलों को अनुदान की सूची में लाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री धर्मपाल–

मान्यवर, यह किस दल के हैं?

श्री अधिष्ठाता–

यह निर्दलीय हैं रामपुर से आए हैं (व्यवधान) अगर प्रगतिशील विधायक दल लिखकर आयेगा तो हम प्रगतिशील कहेंगे अभी तक हमारे पास निर्दलीय के नाम से हैं ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के कार्यकलापों का प्रतिबिम्ब होता है जिससे आभास होता है कि सरकार आने वाले वर्ष में किस तरह से प्रगति का कार्य करेगी और कैसा नेतृत्व जनता को प्रदान करेगी?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर ले जाना चाहता हूं । आज प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है । सदन में सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या ने हमारी रीढ़ तोड़ दी है । यह क्यों बढ़ रही है, इसके कारण हैं, किसी विद्वान ने कहा है कि जो मनुष्य इस दुनिया में आता है उसके पास खाने को एक मुंह और काम करने को दो हाथ होते हैं । लेकिन हुआ यह कि खाने का मुंह लेकर आया किन्तु उसके हाथों को काम नहीं दिया गया । इसलिए इस सरकार का पहला काम यह होना चाहिए कि जो आदमी इस दुनियां में आया है उसको काम का अधिकार प्रदान किया जाए । यदि यह काम का अधिकार दे सकें तभी हम समझेंगे कि देश प्रदेश की प्रगति सम्भव है ।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद में मा0 नेता विरोधी दल ने कुछ मुद्दे सदन में उठाए थे, उनमें एक मुद्दा कर्ज माफी का उठाया और टीका टिप्पणी की थी और कहा था कि प्रदेश की सरकार किस तरह किसानों के 10 हजार के कर्जे माफ करेगी ? मान्यवर, आपको मालूम होगा कि जो मा0 नेता विरोधी दल इस सदन में बैठकर कहते हैं कि किस तरफ माफ करेंगे लेकिन उन्हीं की पार्टी की जो दूसरे राज्यों में सरकारें हैं वह प्रधान मंत्री से मांग कर रही हैं कि अपने प्रदेश में 10 हजार का कर्ज माफ करना चाहते हैं, यह बात अखबारों में सभी लोगों ने पढ़ा होगा । सवाल यह है कि यहां पर सदन में उनकी पार्टी का कहना कुछ है और दूसरे प्रदेशों में कुछ है ।

मान्यवर, वह लोग जो आज इस सवाल को उठाते हैं कि मुख्य मंत्री जी किसी क्षेत्र में यह योजना क्यों लागू कर रहे हैं, उस जिले को इतना रुपया क्यों दिया जा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और मा0 नेता विरोधी दल उस समय मुख्य मंत्री थे तो सभी को मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्र में सारे प्रदेश का पैसा ले जाकर लगा दिया, क्या किसी ने पूछा कि वहां क्यों खर्च कर रहे हैं करोड़ों और अरबों रुपए, जो सारे बजट से काटकर पर्वतीय क्षेत्र में दे दिया गया। तो क्षेत्रीय असमानता उन्होंने पैदा किया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा सदन इस बात को तय करे कि प्रदेश में किस तरह और किस रूप में पैसे का बंटवारा हो?

मान्यवर, मैं अब अपने जनपद रामपुर, जहां से चुनकर आया हूं, कहना चाहता हूं कि 1971 की सेन्सस के मुताबिक रामपुर में शिक्षा का जो प्रतिशत था मात्र 12 प्रतिशत साक्षरता का था, शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा समाज का कोढ़ है। इसलिए यदि आप प्रदेश की प्रगति चाहते हैं तो सबसे पहले क्षेत्र और प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दें। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कम से कम एक-एक डिग्री कालेज क्षेत्र की दोनों तहसीलों में स्थापना की जाए और बेसिक शिक्षा के लिए जो आवश्यक है वह करें। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बोलने का सुअवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, जो धन्यवाद का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है और उस पर नेता विरोधी दल के श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जो खेद का प्रस्ताव रखा है.... । उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने अभिभाषण बड़े गौर से पढ़ा और उसे पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि वह बहुत जल्दबाजी में लिखा गया है और बिना सोचे समझे वह लिखा गया है। क्योंकि जैसी कि हमारी सरकार की नीति रही, उन्होंने यह कहा है कि हम निर्धन वर्ग के लोगों को, विधवाओं को, विकलांगों को और वृद्ध लोगों के लिए पेंशन हम 60 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए मासिक करने जा रहे हैं, किन्तु मान्यवर, उन्होंने यह नहीं देखा कि आखिर यह धन आयेगा कहां से। मालूम पड़ता है कि कोई आंकड़े उनके पास नहीं थे और मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 35 लाख ऐसे लोग हैं, जिनको यह पेंशन 100 रुपए के हिसाब से मिल सकती है और यदि इस पर हुए साल भर के खर्च को देखा जाए तो 1020 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा, जबकि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप अपने प्रदेश की साल भर की आमदनी को देखें तो बड़ी मुश्किल से वह 2800 करोड़ रुपया है और खर्च 3200 करोड़ रुपए का है। यह खर्च अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही है, उनकी तनख्वाह, उनके दफ्तरों और उनके टा0 ए0, डी0 ए0 का है। तो जबकि हमारी सरकार वैसे ही घाटे में चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रही है, ऐसी हालत में यह 1600 करोड़ रुपया वह अतिरिक्त कहां से लाएंगे । इस लिए मैं कहता हूं कि उन्होंने बिना सोचे-समझे एकदम से पेंशन कर दी है ।

इतना ही नहीं इसके साथ-साथ खेतिहर मजदूरों, छोटे-छोटे काश्तकारों और बुनकरों के लिए भी यह कहना शुरू कर दिया है कि उनके लिए भी आर्थिक सहायता देंगे, जो कर्ज से दबे हुए हैं, उनके कर्ज हम 10 हजार रुपए तक के प्रत्येक व्यक्ति का माफ करेंगे । जबकि हमारा प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो यह रुपया कहां से आयेगा । मेरा अपना बैंकों का अनुभव है, बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक मण्डल में रहने के नाते कि अगर हम किसी का ब्याज भी माफ करना चाहते हैं तो हमें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया उसे माफ नहीं करने देता है । इस 1600 करोड़ रुपए की हमारी सरकार कहां से प्लानिंग करेगी? तो मैं समझता हूं कि यह जो किया गया है बिना सोचे समझकर और जल्दबाजी में किया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी विकास की कोई योजना हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की गई है । तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल गुड्स के कारखाने अच्छे ढंग से बन सकते हैं, सो उसके कारखाने वहां स्थापित किए जाने चाहिए । वहां पर सिंचाई हो नहीं सकती है । कोई भी सरकार खेती के लिए सिंचाई का प्राविधान वहां नहीं कर सकती है । तो मेरा निवेदन है कि बागवानी के लिए वहां व्यवस्था की जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए, जिस तरह से हिमांचल प्रदेश में दी जाती है । उस प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा बड़ी अच्छी है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष यानी सत्ता दल के लोगों के द्वारा यह बात उठाई गई कि इस 42 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया । इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ तथ्य देना चाहता हूं । स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो यहां पर प्रति व्यक्ति औसत आयु केवल 27 साल हिन्दुस्तानियों की थी और अब वह 58 साल हो गई है । इसका कारण रहा है । इसका कारण यह है कि अच्छी दवाओं से बीमारियों पर कन्ट्रोल किया है मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

*श्री अशोक पाण्डेय–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर यह समय देकर आपने बहुत ही अनुकम्पा की है । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जहां तक मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा व समझा है उसमें सरकार की मंशा साफ इंगित की गई है कि लोकप्रिय सरकार इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास किस तरह करेगी? इसी परिप्रेक्ष्य में, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जनपद में अमेठी क्षेत्र से लगा चांदा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से मैं चुनकर आया हूं । मेरे क्षेत्र के बगल में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने पूरे देश का पैसा लगाकर उसको संवारा और सजाया था वहीं चांदा निर्वाचन क्षेत्र में देश की आजादी के इतने दिनों बाद भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां विकास की किरण भी नहीं पहुंची है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चांदा निर्वाचन क्षेत्र में कमनगढ़, देवाड़, भोये आदि ऐसे बहुत से गांव हैं जहां के निवासी पेयजल की सुविधा के अभाव में गोमती नदी का पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पीते हैं उनके पास न तो हैण्डपम्प हैं, न ही कुएं हैं वह पिछली सरकार की उपलब्धि रही है । सदन में बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस सरकार के प्रगति के संबंध में कही है । मैं सदन का ध्यान उस प्रगति की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर गांव में शराब की दुकानें नहीं थीं वहां प्रगति के नाम पर गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवा दी हैं । शराब की दुकान के जगह पर "मधुशाला" लिख कर शराब की बिक्री बढ़ायी गयी । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं । सुल्तानपुर जनपद में 19 विकास खण्ड थे । अमेठी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत बाद में तीन विकास खण्ड और एक गौरीगंज तहसील बढ़ायी गयी । अमेठी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत 54 ग्राम-सभाओं के औसत से विकास खण्ड बनाया गया है । जबकि सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड में ग्राम सभाओं का औसत 100 से ऊपर का आता है । हमारे हिस्से के धन का आवंटन दूसरी जगहों पर किया जा रहा है ।

मैं इस लोकप्रिय सरकार से यह मांग करता हूं कि यह आर्थिक असमानता दूर की जाय एवं सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में नए विकास खण्ड बढ़ाए जाएं । दूसरी बात मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त किया जाए । क्योंकि ग्रामीण अंचल के आज विद्यालयों में या तो शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक हैं तो भवन नहीं हैं । अस्पताल हैं लेकिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं । वहां पर डाक्टरों की व्यवस्था की जाय । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और सरकार को उसकी कथनी और करनी के प्रति बधाई देना चाहता हूं । हमारे नौजवान मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने इरादे को परिलक्षित किया है । मैं लोकप्रिय सरकार को बधाई देना चाहता हूं ।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय अशोक बाजपेयी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश सरकार का ध्यान शाहजहांपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । शाहजहांपुर जनपद भारतवर्ष के उन जनपदों में से है जो कुरबानी और बलिदान के क्षेत्र में सदैव आगे रहे हैं और स्वतंत्रता के संग्राम में यहां के 3 महान सपूतों, अमर शहीदों पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला ऐसे 3-3 महान सपूतों ने आजादी की लड़ाई में फांसी के फन्दे को चूमा । भारत की आजादी के बाद सीमाओं की रक्षा करते हुए शाहजहांपुर के 2 महान सपूत शहीद हुए । परमचक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह जो पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए और कैप्टन कन्हैया लाल शुक्ल 1962 में चाइना वार में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए । लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जब-जब कुरबानी का मौका होता है तब-तब शाहजहांपुर आगे आता है और जब सुविधाओं के बंटवारे की बात होती है तो हम हमेशा पीछे ढकेले गए हैं । पिछले 40 सालों से हमारी यही हालत है । माननीय नेता विरोधी दल ने ढाई घंटे भाषण दिया और अपने मुख्य मंत्रित्व काल की प्रगति बताई । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो जनपद हमेशा कुरबानी के क्षेत्र में आगे रहा है उस शाहजहांपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए उन्होंने क्या किया । 1976 से लेकर आज तक कई बार वह मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन शाहजहांपुर को उन्होंने कुछ नहीं दिया । एक टूटा-फूटा खाद का कारखाना देने की बात 1982 से चली आ रही है । हर चुनाव के मौके पर कहा जाता है कि वहां पर खाद का कारखाना लगाया जायगा । लेकिन 8-9 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस कारखाने के लिए जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकी है । वहां पर कालीन उद्योग के लिए 15 सालों से मांग की जाती रही है । मिर्जापुर, भदोही से जितना कालीन एक्सपोर्ट होता है उसका निर्माण शाहजहांपुर की धरती पर होता है । शाहजहांपुर के कारीगर उसको बनाते हैं । 20 हजार लेबर, कारीगर, कालीन को तैयार करने में लगे हुए हैं लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन देने के लिए कांग्रेस सरकार ने कभी कुछ नहीं किया । प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, महानगर में हम रोशनी में रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शाहजहांपुर जनपद में बिजली की व्यवस्था उचित नहीं है । फतेहपुर में विद्युत सप्लाई की स्थिति अच्छी होगी लेकिन शाहजहांपुर में विद्युत सप्लाई की स्थिति बहुत खराब है । वहां 3-4 दिनों तक लगातार हम लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है । इसके जिम्मेदार वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर बलराम बरुआ हैं जिन्होंने पूरे शाहजहांपुर को अंधेरे में रखा हुआ है । मैं मांग करता हूं कि आगे आने वाले समय में जब इंजीनियर्स का स्थानान्तरण हो तो उनको विशेष रूप से वहां से हटाया जाय और ऐसी जगह भेजा जाय जहां उनकी जरूरत हो लेकिन शाहजहांपुर से उनको हटाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 5 साल से एक मांग की जाती रही है । 16 दिसम्बर, 1985 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शस्त्रों के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगा दिया । आज नीति है कि जिस व्यक्ति के डकैती पड़ेगी या कत्ल होगा केवल उसी को शस्त्र लाइसेंस दिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से कि लाइसेंस देने की नीति में पुनर्विचार करना चाहिए । आज आतंकवाद और उग्रवाद का युग है, आदमी को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (हरिद्वार)–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं हरिद्वार के ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो खादर का क्षेत्र कहलाता है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है । पिछले 42 वर्षों से वहां का अधिकांश गांव ऐसा नहीं है जो खड़ंजों या सड़कों से जुड़ा हुआ हो । वहां की मूलभूत समस्यायें, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं । वहां का अगर विकास करना है तो उस क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान देना होगा । एक वर्ष पहले हरिद्वार जिले का जन्म हुआ है । सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों को मिलाकर यह जिला बनाया गया है । इसमें एक कमी रह गयी है कि इसको गढ़वाल

मण्डल से नहीं जोड़ा गया है । इसके अलावा ऋषिकेश मुनि की रेती तथा लक्ष्मण झूला को इस जिले में जोड़ना चाहिए था जिसको नहीं जोड़ा गया है । इस क्षेत्र को पूर्ण रूप देने के लिए इसको जोड़ दिया जाय । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां पर सभी विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति तुरन्त की जाय । विभाग के अधिकारी वहां पर अभी नहीं हैं, एक वर्ष हो गया है फिर भी विकास के कार्य वहां नहीं हो पा रहे हैं । लोगों को सहारनपुर तक जाना पड़ता है जिससे उनको कठिनाई होती है और लोगों के काम नहीं हो पाते हैं ।

मान्यवर, गंगा के किनारे भोगपुर और बालावाली लगभग 16 किलोमीटर दूर हैं, जिसमें लगभग 35-40 गांव किनारे पर बसे हुए हैं । हर दूसरे-तीसरे साल गंगा में बाढ़ का पानी आकर कटान होता है । स्थिति ऐसी आ गयी है कि कहीं-कहीं अब 500-600 मीटर की गंगा रह गयी है । पहले भी इन गांवों को एक जगह से दूसरे स्थान पर बाढ़ के कारण पीछे को हटाया जाता रहा है । इनका जनजीवन सुरक्षित हो सके और इनको फिर न हटाया जाय । इस स्थान पर किनारे को बांधना बहुत आवश्यक है । दूसरे बालावाली, लक्सर के बीच गंगा पर एक सिंगिल लाइन का रेलवे पुल है, जिसके स्थान पर डबल लाइन का नया पुल बनाया जा रहा है । रेलवे विभाग पुराने पुल को तोड़ेगी, इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए इस पुराने पुल को प्रदेश अधिग्रहीत कर लें, जिस पर सड़क से यातायात के लिए पुल बनाया जा सकता है । इस पुल के बन जाने से पंजाब से सहारनपुर, लक्सर, बिजनौर, मुरादाबाद होते हुए सीधा रास्ता बनता है और लगभग 200 किलोमीटर की दूरी कम होती है । खादर के इस पिछड़े क्षेत्र के बीच से होकर सड़क मिलेगी । इसलिए इस क्षेत्र का स्वयं विकास होगा और बहुत उपयोगी नेशनल हाई वे बन सकता है । मैं अन्त में पुनः महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं तथा इस सरकार और अपने नेता श्री मुलायम सिंह जी की सक्षम और दृढ़ता पर विश्वास करता हूं ।

*श्री धर्मपाल (बहराइच)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर बोलने का अवसर दिया । काफी उठक-बैठक के बाद लगता है आपकी कृपादृष्टि मुझ पर हो ही गयी । मान्यवर, 1947 तक साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने वाली शक्ति 1967 में गाय की पूंछ पकड़ कर और 1989 में गलत गठिबंधन करके देश और प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है । आज जब जलते हुए भारत को ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी कि जलते हुए प्रदेश को राहत मिल सके ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ के बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि पी0 ए0 सी0 को प्रदेश के अन्दर से भंग कर देना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में शान्ति-व्यवस्था बनाए रखने वाली पी0 ए0 सी0 को भंग करने की मांग करना क्या दुबारा देश और प्रदेश के बंटवारे की साजिश करना नहीं है ? चाहे वह चीन का युद्ध रहा हो, चाहे वह पाकिस्तान के

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ युद्ध रहा हो । 1984 में साम्प्रदायिक दंगों की आड़ में निरीह लोगों की हत्याएं होती रही हैं ।

(व्यवधान)

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह सरकार सक्षम नहीं है, इसलिए (व्यवधान) . . पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष स्वतंत्र घोषित कर दें, तो शायद बढ़ते हुए अपराधों की रोक-थाम हो सकती है । जिस प्रकार से न्यायालय को निष्पक्ष और स्वतंत्र घोषित किया गया है, उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन को भी निष्पक्ष और स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए ।

(व्यवधान)

इसके लिए सरकार ने नहीं बताया कि दहेज कानून के अन्दर सजायें कितनी बढ़ाई जायेंगी । यह एक पुस्तिका तो कही जा सकती है, अभिभाषण तो नहीं । यह शर्म की बात होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि बेरोजगार नवजवानों की रोजी-रोटी के लिए सरकार ने क्या विचार किया है । श्रीमन् आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में महिलाओं के कल्याण की कोई बात नहीं कही गयी है । साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए इस अभिभाषण में कोई भी बात नहीं कही गयी है । मान्यवर, यह अभिभाषण शेखचिल्ली के स्वप्नों के समान है । मान्यवर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । आशा करता हूं कि यही कृपा बजट भाषण में भी मेरे ऊपर रहेगी । उसमें हम अपने विचार विस्तार से व्यक्त करेंगे ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

माननीय सदस्य ने अपनी महिलाओं के कल्याण के संबंध में बात कही । मान्यवर, ये तो महिला विरोधी हैं, क्योंकि अगर ये और इनकी कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी न होती तो श्रीमती सुखदा जी इधर न आतीं ।

(व्यवधान)

*श्री अचल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं अभी अपने सम्मानित सदस्य जो हमसे पहले बोल रहे थे, उनसे आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि अच्छा होता कि जो लच्छेदार भाषण उन्होंने अदा के साथ किया, वह अगर किसी फिल्म में एक्टर के रूप में अपनी अदा दिखाते तो शायद जनता को सुनने में ज्यादा चाव आती । दूसरे उन्होंने एक महीना पहले बनने वाली जो लोकप्रिय सरकार है, जिसको जनता ने अपना जनसमर्थन देकर इधर भेजा है उससे पूछ रहे हैं कि राधा या किसी हत्याकाण्ड, दहेज हत्याकाण्ड या महंगाई या स्कूलों की समस्या है । अच्छा होता कि अपने विरोधी दल के नेता ने जो भाषण दिया, उनसे यह स्पष्टीकरण मांगते कि एक महीना पहले आपकी सरकार थी, तो महंगाई जो चरम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सीमा पर पहुंच गयी, जो आपको देने है । स्कूल और शिक्षा पर उस दिन नेता विरोधी दल का भाषण होने पर हमारी सरकार ने दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की जो बात कही उस पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की आवश्यकता है, मैं मानता हूं लेकिन इस तरफ आने पर, मुझे पिछली बार भी इस सदन की सेवा का अवसर मिला था ।

मैं अपने जनपद का उल्लेख करना चाहता हूं, पिछली सरकार ने शिक्षा पर कितना ध्यान दिया कि पूरे फतेहपुर जनपद में केवल दो प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी । केवल दो प्राइमरी विद्यालय । एक तरफ तो पब्लिक स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और प्राइमरी स्कूल खुल नहीं रहे हैं । आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में केवल 28 फीसदी लोग शिक्षित हैं । मैं इस मौके पर जनपद फतेहपुर की ओर से मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि 40 साल से जो मांग चली आ रही थी फतेहपुर जनपद में कन्या विद्यालय की, मुख्य मंत्री जी की लोकप्रिय सरकार ने, जो कि धरती पुत्र हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि फतेहपुर में कन्या विद्यालय होगा । जिस जिले से आज हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है मैं उस जिले की बात कर रहा हूं । दीक्षित जी भी पिछली सरकार में थे महाविद्यालय की बात दूर पिछले पांच साल में केवल 2 प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी । उस तरफ से नेता विरोधी दल ने किसानों के प्रति बड़ा अच्छा रुख अपनाया है ताकि ऐसा लगे कि मा0 नेता विरोधी दल किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी रखते हों, लेकिन एक माह पहले हम मांग करते थे कि गन्ने के भाव बढ़ाओ, इन्होंने नहीं बढ़ाए, लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमारे गन्ना मंत्री ने 41 रुपये और 38 रुपये क्विंटल गन्ने के भाव निर्धारित किये और किसानों को बढ़ाकर दाम दिये । यह इसका सबूत है कि किसानों के लिए हम कितना कर रहे हैं ।

यही नहीं हमारी सरकार ने अस्पतालों में जनरल वार्ड में जो रोगी हैं, उनके लिये मुफ्त भोजन की व्यवस्था की है । जनरल वार्ड में वही जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती । यह एक लोकप्रिय कदम है । यही नहीं हमारी सरकार ने अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क दो रुपये से घटाकर एक रुपया कर दिया है । प्रवेश शुल्क पांच रुपये से घटाकर एक रुपया कर दिया है । यह इस लोकप्रिय सरकार के कार्यकलाप हैं । मैं उधर के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अच्छे काम की तारीफ करना सीखें । 10 हजार तक के ऋण माफ करने या राहत देने की जो योजना सरकार ने बनायी है, वह एक सराहनीय कार्य है । लेकिन मा0 नेता विरोधी दल ने एक भी सराहना नहीं की । कम से कम सराहना करनी चाहिये । एक चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे जिले की लाखों एकड़ जमीन आज भी असिंचित और ऊसर है । उसको सुधारने के लिये किसी भी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया । इस सरकार ने जो भूमि सेना का गठन किया है, उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

श्री रियाज अहमद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय श्री अशोक बाजपेयी जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । लेकिन मुझे खेद है

अफसोस है कि जो अभिभाषण यहां पढ़ा गया उसमें निम्न बिन्दुओं को पूरे तरीके से नजर अन्दाज कर दिया गया । उसके लिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने गांधी लोहिया जयप्रकाश के सपनों को साकार करने के लिये जनता दल की सरकार को सत्ता में बिठाया । और मुझे खुशी है इस बात की कि आज जो नेता सदन हैं वे राम मनोहर लोहिया के अनुयायी हैं इसलिये मैं उनसे यह उम्मीद करता हूं कि जो दोहरी शिक्षा नीति प्रदेश के अन्दर चल रही है उसे समाप्त करने के लिये जरूर ध्यान दिया जायेगा ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकास कार्यों से भी ज्यादा जरूरी बिन्दु है उत्तर प्रदेश के अंदर साम्प्रदायिक आग जिस कदर भड़क गयी है जिस कदर साम्प्रदायिक आग है आज अल्पसंख्यक लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है किस कदर से सुरक्षा की भावना खतरे में पड़ गयी है मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । यह कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि जहां 1984 के अन्दर जो लोग दंगे में इनवाल्व थे उन पर जांच बिठाने का काम अभिभाषण में किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । लेकिन हाशिमपुरा मलियाना मेरठ के अन्दर जो ज्ञानप्रकाश की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने का जो जिक्र नहीं है अभिभाषण में उससे अल्पसंख्यकों में डर पैदा हो गया है । इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाता हूं । अल्पसंख्यकों सिक्खों ईसाइयों-अल्पसंख्यक समुदाय में पिछली सरकार द्वारा भयंकर तरीके से असुरक्षा का शिकार कर दिया गया ।

आज सबसे ज्यादा जरूरी बात जो इस सरकार के सामने है वह यह है कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के विश्वास को दोबारा वापस लाया जाय । तीसरे कृषि उत्पाद और अद्योगिक उत्पाद की कीमतों में एक रिश्ता कायम करने की बात जो आपके माध्यम से रखी है उसके बारे में नेता सदन जानते ही हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रियों/अधिकारियों के कक्षों आदि की साज सज्जा भोजन और उनके अभिनन्दनों पर जिस तरीके से फिजूलखर्ची होती है उसकी बाबत अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी है । इसके अलावा पिछली सरकार के अन्दर अधिकारियों द्वारा सरकारी कारों को निजी कार्यों हेतु जिस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, उन कारों का उनके बीबी बच्चों रिश्तेदारों नातेदारों के लिये जो दुरुपयोग किया जाता है, आज जनता दल की सरकार ने उसको, उस दुरुपयोग को रुकवाने के लिये अपने अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था की जाय कि सरकारी कारों का इस्तेमाल अधिकारीगण सरकारी कार्यों के लिये ही करें उनका घरेलू इस्तेमाल बन्द किया जाय ।

मान्यवर, मेरा जनपद पीलीभीत अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जनपद है । अंग्रेजी शासन के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में पीलीभीत के अंदर सिर्फ 3 इन्टर कालेज थे जब अंग्रेजी शासन हुआ करता था । आज कितने अफसोस की बात है कि पिछली सरकार 42 सालों तक, सिर्फ तीन साल के पीरियड को छोड़कर जनता को बेवकूफ बनाती रही । मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी शासन के दौर से मेरे शहर में तीन इन्टर कालेज चला करते थे । मान्यवर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जनपद में मेरे पिताजी जब पढ़ने जाया करते थे, तब 3 इण्टर कालेज थे

और जब मैं पढ़ता था, तब भी 3 इन्टर कालेज थे और मैं सोचता हूं कि अगर मेरे बच्चे पढ़ने जाते, तो भी 3 इन्टर कालेज ही होते । इस प्रकार जनपद पीलीभीत के अंदर शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है, वहां पर डिग्री कालेज का बस नाम भर है, जहां केवल हिन्दी और अर्थशास्त्र के अलावा कोई विषय नहीं पढ़ाया जाता है, साइन्स का तो नामोनिशान ही नहीं है, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत की शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाय ।

मान्यवर, अपने जनपद की चिकित्सा सुविधा के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूं । मेरी निश्चित जानकारी है कि पिछली कांग्रेस की सरकार के दौर में कम से कम 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जो केवल कागजों पर चल रहे थे और उन पर डाक्टरों को कहीं दूसरी जगह एडजस्ट करके उनकी तनख्वाह, दवाओं आदि का पैसा सारे का सारा आज भी निकाला जा रहा है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जनपद पीलीभीत की चिकित्सा सुविधा बहुत जर्जर स्थिति में है अत: उसको ठीक किया जाय । इसके अलावा मान्यवर, मेरे जनपद पीलीभीत के अन्दर सड़कों की दशा बहुत शोचनीय है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मेरे जनपद पीलीभीत के अन्दर सिंचाई की व्यवस्था और खासतौर से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे । मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये एक बार पुन: जनता दल के श्री अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं और मान्यवर बहुत दुखी हूं । यहां के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा होता यदि हम चुनाव नहीं लड़ते । यहां के दृश्य को देखकर मैं अत्यन्त दुखी हूं क्योंकि जनता दल जीता है और कांग्रेस वाले हारे हैं और दोनों एक दूसरे की निन्दा करने में सदन का सारा समय यहां बरबाद करते हैं जबकि आज चारों तरफ लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, थानेदार मुन्शी पटवारी सभी भ्रष्ट हैं जिनके अत्याचारों से जनता आज कराह रही है । दूसरी तरफ सेल्स टैक्स के अधिकारी मंडी समिति के लोग हैं, जिनके बारे में जनता दल को भी पता है कांग्रेस को भी पता है और स्वयं मुझे भी पता है, लेकिन उसके बाद भी इस पर सब मौन हैं। मैं शिक्षा की बात बताना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री कह रहे थे किसी प्रश्न पर कि आगे तब बताऊंगा जब मामला आ जायेगा । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर लोग बैठे हैं और वह इस अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा करें और उसके बाद में व्यवस्था के लिये सोचें । बिना सड़क के लोग डोल रहे हैं, खारे पानी से लोग मर रहे हैं । मेरी तहसील तो अत्यन्त दुखी है, पीने के लिए पानी नहीं है सिंचाई के लिये पानी नहीं है । छाता तहसील की हालत बहुत ही दयनीय है । एक कहावत है "बचनत हेला, बोलन्त दारी करीलन ते वृक्ष और कूप जल खारी देखी कान्हा मधुपुरी तिहारी ।" मेरे मथुरा जिले में जमुना पार का पानी खारा है, इसलिए मैं और ज्यादा दुखी होता हूं । ऐ मेरे सदन के अच्छे लोगों तुम्हें अच्छा आदमी समझकर यहां भेजा गया था ऐ मेरे एम0एल0ए0 लोगों तुम्हें बहुत अच्छा आदमी समझकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां चुनकर भेजा गया था । जब आप यहां इस प्रकार लड़ते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है । जनता दल के लोगों से निवेदन करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को यदि कारगर करना है तो अपने पुराने भाइयों से सबक सीखें और आगे की समस्याओं को सुलझायें । कांग्रेस भाइयों से भी निवेदन है कि जनता दल के लोग सरकार में आये हैं, इसलिए अपने अनुभवों का उन्हें सहारा दें और उनकी मदद करें । ऐसा न हो कि यहां पर हम वाक युद्ध करते रहें और 5 साल इसी में निकल जाय और क्षेत्र की जनता कराहती रहे । इस प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की प्रवृत्ति को छोड़ दें । कहीं ऐसा न हो कि महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी अधूरा रह जाय । उस स्वप्न को साकार करने के लिए एक दूसरे की मदद करें और सदन के समक्ष ब्यौरे रखें और समस्याओं को सुलझायें ।

मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को एक-एक करके गिनवाऊं तो उसमें काफी समय लग जायेगा । गांवों के सारे प्राइमरी स्कूल टूटे पड़े हैं, एक भी प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं है । जहां बम्बे हैं सिंचाई के लिए वे सब बराबर हो गये हैं, वे खेत बन गये हैं। अंग्रेजों के जमाने में जिन पटरियों से जीप निकल जाती थी, आज वहां साइकिल नहीं निकल सकती है । न्याय के लिए यदि कोई जाता भी है तो कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बा भाषण करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है । यदि आज सदन के लोगों को कोई बात अच्छी लगी हो, कोई बात समझ में आई हो तो इतना ही पर्याप्त है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें लिखी हुई हैं, उनको खाली समर्थन देना चाहते हैं तो इससे गाड़ी चलने वाली नहीं है आत्मा से समर्थन कीजिए । प्रदेश की प्रगति के लिए हम सभी लोगों को एक जुट होकर काम करना चाहिए, किशोरी श्याम तो तैयार है, यदि इसके लिए आपको मेरा खून भी चाहिए तो उसे भी ले लो । इस प्रकार की आलोचना करो तो मैं बहुत दुखी होता हूं । ऐ मेरे लोगो सदन में अच्छा आदमी बनो, ऐ मेरे देवताओं अच्छा आदमी बनकर उन गरीबों की सेवा करो, जिन्होंने आपको अच्छा आदमी समझकर चुनके यहां भेजा है । आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी । राज्यपाल महोदय ने जो ब्यौरा दिया है, उसमें जो भले काम हैं, वह हो सकें । इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाजपेयी जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं । हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की विधान सभा का एक गरिमामय स्थान हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री चैन सुख भारती–

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन और स्वागत करता हूं तब जबकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो घोषणायें की गई हैं, उनको कार्यरूप में परिणित किया जाय । मान्यवर, मैं प्राइमरी शिक्षा को लेता हूं हमारे प्रदेश में प्राइमरी स्कूल हजारों की संख्या में बिना इमारत के चल रहे हैं और बिना मास्टर के चल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि शिक्षा देश की रीढ़ होती है । उन विद्यालयों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । जो प्रौढ़ शिक्षा है उसके नाम पर करोड़ों रुपये का फिजूल का खर्चा किया जाता है । यदि उस पैसे को इमारतों में लगा दिया जाय तो प्राइमरी एजूकेशन का सुधार हो सकता है । पूरे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 20 हजार शिक्षक एड हाक के रूप में नियुक्त किये गये हैं । वे जिस रूप में आये हैं, मैं नहीं बता सकता हूं । उनकी सेवा शर्तों में

गड़बड़ी है । इसके कारण वे ठीक प्रकार से सिखाते पढ़ाते नहीं हैं । उन 20 हजार एडहाक शिक्षकों की सेवा शर्तों को नियमित को लागू किया जाय । अनुसूचित जाति के लगभग 30 हजार शिक्षक उत्तर प्रदेश में लग सकते हैं । इसमें मा0 शिक्षा आयोग चालू करके 30 हजार शिक्षक लगाये जायं । दूसरी बात जिला जालौन की सिंचाई व्यवस्था के बारे में कहूंगा । जालौन एक कृषि प्रधान जिला है । अभी कलेक्टर महोदय ने सिंचाई सम्बन्धी मीटिंग की थी । उसमें हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि गेहूं के लिये कितना पानी देंगे, उन्होंने कहा कि एक सिंचाई भर का पानी दे पायेंगे जबकि उसके लिये 4 पानी चाहिये, जिला जालौन में । मेरी मांग है कि जिला जालौन के लिये इस वर्ष कम से कम 100 नलकूप बजट में रखे जायं ।

राज्यपाल महोदय के घोषणा पत्र में जो आरक्षण के लिये कहा गया है, अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा 9 प्रतिशत पूरा हुआ है जबकि 18 प्रतिशत पूरा होना चाहिए । मण्डल आयोग के लिये भी कहा गया है । कुल 440 कलेक्टर हैं, 5 कलेक्टर पिछड़े वर्ग के हैं । 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनमें से 9 प्रतिशत को नौकरी मिल पायी है ।

भूमि आवंटन जो पहले हुआ है, उस पर गरीबों को कब्जा नहीं दिलाया गया है । मेरी मांग है कि यह कब्जा शीघ्र दिलाया जाय । जो भूमि फालतू है, गरीबों में शीघ्र बांटी जाय ।

पेयजल योजना जो जिले में है, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है । गर्मी के दिनों में लोग प्यास से तड़फते हैं । पेयजल योजना को शीघ्र सुचार रूप से लागू किया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिवकरन –

मान्यवर, मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, अनुशासन ज्यादा पसन्द करता हूं, लच्छेदार बातों में विश्वास नहीं करता हूं । मेरे विद्वान साथी अशोक बाजपेयी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव में कहा था । माननीय अशोक बाजपेयी जी ने अपनी सरकार की सराहना करते हुए कहा, उन्हें अपनी सरकार की सराहना करनी चाहिए क्योंकि यह उनका अधिकार है लेकिन उन्होंने कहा था कि लोक आयुक्त के दायरे में प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों उस घेरे में होंगे । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जोकि आज नेता सदन हैं लेकिन सितम्बर, 1986 में जब वे विपक्ष में थे तो उन्होंने ही कहा था ''डिहिया ट्रस्ट'' के बारे में वर्तमान प्रधान मंत्री जो कि उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनके ऊपर इसी सदन में आरोप लगाया था तो क्या आज भी वह उसी बात को दोहरायेंगे ? अगर नहीं, तो उन्हें सदन की सदस्यता से तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए । मैं चाहूंगा कि पुनः आज भी वे अपनी उसी बात पर अटल रहें । मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 अध्यक्ष जी आप उस फाइल को मंगवा कर जांच करवा लीजिये ।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

आप पहले बोफोर्स के बारे में निर्णय हो जाने दीजिए तब कहियेगा ।

श्री शिव करन–

आप क्या तोप की बात करते हैं ? आपने तो उसे देखा भी नहीं होगा, मैंने उसे देखा है और चलाया भी है, आप क्या तोप के बारे में बात करेंगे ? उसके बारे में बात करूं तो मैं करूं जो कि सैनिक हूं और लड़ाई में मुझे गोली भी लगी है देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करते हुए, तभी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सभा का उद्घाटन करते हुए कहा था कि तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो नियुक्त होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । मैं जानना चाहूंगा कि तत्कालीन जिलाधिकारी, [xxx] के विरुद्ध क्या वे कार्यवाही कर सकेंगे ? जहां तक मुझे विश्वास है उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उनके लिए सम्भव न होगा । मा0 मुख्य मंत्री जी जो सफाई देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, सदन में किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाता है । आप कृपया यहां पर किसी अधिकारी का नाम न लें ।

श्री शिव करन–

मुझे क्षमा करें, मैं अभी नया हूं । तो मैं कह रहा था कि तत्कालीन जिलाधिकारी के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करें, साथ ही साथ कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि भू0 पू0 सैनिकों के बारे में आश्वासन दिया गया है किन्तु कोई नीति स्पष्ट नहीं की गयी है । सरकार सैनिकों (भू0 पू0) के बारे में क्या करना चाहती है इस संबंध में अपनी नीति को स्पष्ट करने की कृपा करें जिससे कि जो भू0 पू0 सैनिक हैं उनका कुछ उद्धार हो सके ।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि 12 तारीख को जो गन्ना संस्थान में युवकों पर लाठी चार्ज हुआ है, क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है ? वहां के विभागीय अधिकारियों ने युवकों को तुड़वा दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री शिव करन–

धन्यवाद ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस लोकप्रिय सरकार की नीतियों को जो दर्शाया गया है, उस धरती के पुत्र मा0 मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह का आभारी हूं कि वे ही उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अपने भाषण में सबसे पहले यह कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों और बुन्देलखण्ड की समस्याएं भौगोलिक कारणों से कठोरतम हैं, इसके लिए हमारा पूरा उत्तराखण्ड इस बात का आभारी है कि उन्होंने हमारे दर्द को महसूस किया और उसको दूर करने के लिए आश्वासन भी दिया है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं । संविधान में उत्तराखण्ड के विषय में एक विशेष रिजरवेशन की बात कही गयी है, जिसे पिछली सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है और उसको नजरन्दाज कर दिया है । वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो रहने वाले हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है । टेहरी गढ़वाल का जब 1948 में उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण हुआ था, उस समय हमारे जिले के साथ उत्तर प्रदेश का समझौता हुआ था जिसमें कहा गया था कि टेहरी की रियासत को इस आधार पर विलीन किया जाता है कि जब भी यहां के प्लानिंग की बात आवेगी, तो टेहरी को विकास के मामले में विशेष दर्जा दिया जायेगा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस आधार पर उसको कोई विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया, जिससे वहां की जनता बहुत पीड़ित है और दुखी है । टेहरी बांध बनाया जा रहा है । सुन्दर लाल बहुगुणा ने इस संबंध में विशेष रूप से आग्रह किया है कि पिछली सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने, इन्दिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया । चौधरी चरण सिंह ने, मोरार जी देसाई ने टेहरी बांध के बारे में एक कमेटी बनाने की बात की थी। कांग्रेस सरकार ने और राजीव गांधी ने इस पर मौन साधे रखा, जिसके कारण हमारे क्षेत्र के विकास पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए । माननीय सदस्य नये हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं देव प्रयाग की बात कहना चाहता हूं । यह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इसमें 4 विकास क्षेत्र हैं । वहां पर न सड़कें हैं और न पेयजल की ही कोई व्यवस्था है । आज भी हमारे गांव के लोग 10-10 मील पानी लेने के लिए जाते हैं और बाकायदा लाइन लगाते हैं । मान्यवर, हरद्वार के जो विधायक हैं, उनका प्रस्ताव है कि मुनी की रेती को हरद्वार के अन्तर्गत लाया जाये । मैंने इसका विरोध किया और मैंने इस बात का भी विरोध किया कि विकास प्राधिकरण को मुनी की रेती में न लाया जाये । मान्यवर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नरेन्द्र नगर की कलेक्टरेट की बिल्डिंग खाली हो गयी है और पिछली सरकार ने यह कहा था कि वहां पर पर्यटन का कोई आफिस खोला जायेगा, लेकिन आज तक नहीं खोला गया है, उसको हमारी सरकार खोले क्योंकि वहां के रहने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है और रहने की समस्या बड़ी जटिल हो गयी है ।

मान्यवर, देव प्रयाग में नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया, केवल चुनावी मुद्दा बनकर वह रह गया । हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसलिए देव प्रयाग को जिला बनाया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये । अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री किशन गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

15 मिनट का समय बढ़ा दिया गया है ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं आगरा पश्चिम के अनुसूचित क्षेत्र से आया हूं । मैं इस क्षेत्र के बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर पीने के पानी की भीषण समस्या है । पेयजल की समस्या गम्भीर बन गई है । लोगों को वहां पर सीवर का पानी पीने के लिए मिल रहा है । पिछली सरकार जो अभी तक इस दिशा में कोई कार्य न कर सकी थी, आम आदमी को वहां पर पीने का पानी नहीं दे सकी थी, अब मैं इस कल्याणकारी सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर पीने के पानी के लिए पाइप लाइन लगाये जो कि पिछली सरकार नहीं लगा सकी थी । मैं आशा करता हूं कि यह सरकार वहां पर नई पाइप लाइन डलवायेगी ताकि वहां पर शुद्ध पानी पीने को मिल सके ।

दूसरी बात यह है कि हमारे आगरे में देशी और विदेशी लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं । मेरा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है और इस नाते वहां की महिलायें और बहनें खुले में शौच करती हैं और विदेशी पर्यटक उनका फोटो कैमरे में बन्द करके बाहर ले जाते हैं । इन महिलाओं के लिए वहां पर शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं अपनी इस जनप्रिय सरकार से मांग करूंगा कि वह इस क्षेत्र के लिए शौचालय बनाये ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में सेल्स-टैक्स बहुत अधिक है। पिछली सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कैसे यह सदन प्रस्ताव पास करता रहा? पड़ोसी राज्यों में सेल्स टैक्स कम है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकार थी उसने उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ दोहरा और गलत व्यवहार किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो ज्यादा सेल्स-टैक्स लगा हुआ है उसको दूसरे राज्यों के बराबर किया जाय या सिंगिल प्वाइन्ट कर दिया जाय अथवा समाप्त कर दिया जाय। फैक्ट्री से माल आता है उसी पर लगा दिया जाय।

चौथी बात यह है कि मेरे आगरे के पश्चिमी क्षेत्र में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। चारों ओर गन्दा पानी फैला रहता है। लोग वहां पर जानवरों की तरह पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। वहां पर नाली खड़ंजे आदि कुछ भी नहीं बने हैं। पिछली सरकार ने इसे अछूता छोड़ दिया था मैं इस लोकप्रिय सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र की ओर इस दिशा में विशेष ध्यान दे।

आगरा में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां पर सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है। पर्यटक आकर सड़कों की दशा देखकर भयभीत हो जाते हैं। आगरा के उप नगर प्रमुख की हैसियत से मैंने वहां पर कहा किन्तु यह कहकर कि सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 और नगर महापालिका तथा कैन्टूनमेंट के अंतर्गत आती हैं, छोड़ दी जाती हैं। विदेशी पर्यटक इतना पैसा लगाकर वहां पर आते हैं तो उन्हें कुछ सुविधायें भी वहां पर मिलनी चाहिए।

एक अन्तिम और जरूरी बात की ओर मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आगरा में रुई मण्डी के पास एक देशी शराब का ठेका है। उसको वहां से हटाने के लिए लोग अनशन में बैठे हुए हैं। यदि इस शराब के ठेके को वहां से न हटाया गया तो कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि इस रुई मंडी के पास जो देशी शराब का ठेका है उसे वहां से तुरन्त हटाया जाय। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह नई कल्याणकारी सरकार है और महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानती है। अपने उन भाई से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार महिलाओं को सम्मान देना जानती है। आपकी सरकार यदि महिलाओं को सम्मान देना जानती तो 5 साल पहले श्रीमती सुखदा मिश्रा को मंत्री बना दिया होता। हमारी इस कल्याणकारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया और उन्हें मंत्री पद दिया है। मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि यह एक कल्याणकारी सरकार है। महिलाओं को सम्मान देना जानती है और यह जो विपक्ष के लोग हैं वे इस सरकार से कुछ सीख ले लें कि महिलाओं को कैसे सम्मान दिया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री कृष्ण किंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका और सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, मैं श्रद्धेय राम देव शुक्ल जी की जो कार्यस्थली रही है वहां से आता हूं । यहां पर कई हजार परिवार घाघरा नदी के कटान से तड़प रहे हैं । उनके पास न खाने को है और न रहने को आवासीय सुविधा है । मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से इस लोकप्रिय सरकार से उम्मीद करता हूं कि जो इस कटान से पीड़ित हैं उनको खाने के लिए जमीन और रहने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करेगी । मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बड़ी दिक्कतों से हम मुसीबत से जीते हैं । वहां पर अधिकारी तानाशाह बने हुए हैं उनकी लापरवाही के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई सुनने वाला नहीं है । जगह-जगह तार टूटे पड़े हैं अभी कुछ दिन पहले दुबोलिया बाजार के पास एक भैंस टूटे तार के कारण मर गयी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार से खतरनाक तार टूटकर लटक रहे हैं उन्हें शीघ्र ठीक किया जाय ।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की ओर दिलाना चाहता हूं । जो प्राइमरी पाठशालायें बनी हैं उनकी छत जीर्णशीर्ण हो गयी है बच्चे डर के मारे वहां पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं । मैं चाहूंगा कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जो स्कूल बनाये गये हैं उनकी टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच कराई जाय . . .

श्री धर्मपाल (बहराइच)–

आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं या विरोध . . . .

श्री कृष्ण किंकर सिंह–

समर्थन या विरोध की बात नहीं है मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं । हमारे क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा हमारे अगौना के पास शासन ने एक पुल 22 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया था और उस पर वर्तमान में तीन महीने पहले 80 लाख रुपया गया था मैं चाहूंगा कि उस पुल का कार्य अविलम्ब शुरू करा दिया जाय ।

मैं आपका ध्यान उन तमाम विधवाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनको पेंशन के लिए प्रमाण-पत्र देना पड़ता है । गांवों में विधवायें जो प्रार्थना-पत्र देती हैं उनको प्रमाण पत्र लेना होता है जिसमें लेखपाल उनसे पैसा चूसते हैं और उनका गलत उपयोग करते हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय विधायकों की प्रबल संस्तुति पर उनको यह पेंशन दी जाय यह प्रमाणित करने का अधिकार विधायकों को दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री देव कुमार यादव का नाम पुकारने पर) वह हैं नहीं लगता है अभी तो पत्र भेजा था । ठीक है अब अभिभाषण पर आज चर्चा समाप्त होती है । बाकी कल बोल लेंगे ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसका समय 31 दिसम्बर, 89 को समाप्त हो रहा था और अभी कुछ कारणों से सहकारी समितियों का चुनाव कराना संभव नहीं है इसलिए मैं चाहती हूं कि इसका समय जून, 90 तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जून तक समय बढ़ाने में आपत्ति नहीं है लेकिन जून तक चुनाव करा लें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

चुनाव कराने का प्रयत्न करूंगी ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, समय तो बढ़ा दिया जाये जैसा मंत्री जी ने कहा है लेकिन सहकारी समितियों में पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपये का गबन और भ्रष्टाचार है । सहकारी समितियों का काम होना चाहिए सहकारिता को बढ़ाने का लेकिन इस उद्देश्य को आज तक सहकारी समितियों ने पूरा नहीं किया ।

दूसरी बात उन्होंने धन का दुरुपयोग किया करोड़ों रुपये का तो मैं मंत्री जी से समय बढ़ाने का विरोध नहीं करना चाहता हूं लेकिन आश्वासन चाहता हूं कि इन समस्याओं का समाधान भी होगा और गबन की अच्छी तरीके से जांच की जायेगी और सहकारिता को विकसित किया जायेगा ताकि प्रदेश की जनता ज्यादा से ज्यादा सहकारिता के क्षेत्र में आ सके और लाभ उठा सके ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी, तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही होगी और जड़ मूल से हटाने की व्यवस्था की जायेगी । जहां तक चुनाव का प्रश्न है तो जिला स्तर पर चुनाव हो चुके हैं और एपेक्स बाडी के चुनाव रह गये हैं वह जून तक कराने का प्रयत्न करूंगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1986 की धारा 29 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1990" रख दिये जायेंगे ।

धारा 35 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1990" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपलब्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[5 बज कर 20 मिनट]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसका समय समाप्त हो रहा था इसलिए यह अनुरोध करती हूं कि जून तक इसका भी समय बढ़ा दिया जाये।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन मण्डी समितियों के अंदर पूरे प्रदेश में मेरा ख्याल है कि एक अरब से अधिक रुपया शुल्क का जमा होगा। पिछली सरकारों ने बार-बार आश्वासन दिया था कि यह रुपया किसानों के हितों में, सड़कों को बनाने एवं दूसरी सुविधाओं पर खर्च किया जायेगा लेकिन वह रुपया ज्यों का त्यों पड़ा है। मैं चाहता हूं कि उस रुपये के बारे में जांच कराकर देखें कि कितना रुपया किसानों और व्यापारियों का मंडी शुल्क के नाम पर कटा है और फिर उसको किसानों के हित में इस्तेमाल किया जाये।

मान्यवर, बहुत सी मंडी समितियों का निर्माण पिछली सरकार ने 10-10 वर्षों से कराया है और कुछ ऐसी जगहों पर हैं जहां लोग अपना सामान लेकर नहीं जाते हैं और वह मंडी समितियां बेकार पड़ी हैं, इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए एवं जिन मंडी समितियों का निर्माण कार्य अधूरा है उनकी रूपरेखा सरकार को बनाना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक जगह का ज्ञान मुझे है और मैं समझता हूं कि सब जगह यही होगा। हमारे यहां पहड़िया में मंडी समिति है, वहां पर जो लोग किराया दे रहे हैं, ठीक से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी दुकानों का एलाटमेंट समाप्त किया जा रहा है और जो लोग किराया नहीं दे रहे हैं और न कारोबार ही कर रहे हैं, दुकानें बन्द किये हुए हैं और जिन पर हजारों लाखों रुपयों का बकाया है उनके लिए कुछ नहीं ऐसा किया गया है, उनको पूरी छूट मिली हुई है। हमारे यहां जो ए0 डी0 एम0 (प्रोटोकाल) हैं जो इसके इंचार्ज हैं, वह इसमें शामिल हैं और वह घूसखोरी में पूरी तरह शामिल हैं। तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्वयं इन चीजों की देखरेख करें, जिससे मंडी और मंडी समितियां सुचारु रूप से चलें और उनमें कोई भ्रष्टाचार न हो। यही मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं और कोई मेरा विधेयक से विरोध नहीं है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं कुछ अधिक न कहकर केवल एक सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। जैसा कि उदल जी ने कहा मंडी समितियों में बहुत सा पैसा सड़कों का जमा है। पिछली सरकार के समय में हम लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी इसके लिए बड़ा प्रयास किया और इस प्रश्न पर भी किये और यह प्रस्ताव किया था कि इस धनराशि का सड़क के नाम पर वितरण कर दिया जाए। उसमें जो वितरण किया गया है, उसके लिए कोई प्रक्रिया या मानक नहीं बनाये गये और जिन्होंने सर्वाधिक रुपया जमा किया, वहां पर कोई सड़क नहीं बनी। किन्तु जो चापलूस थे और मंत्री जी के आसपास घूमते थे, उन्हीं के यहां के लिए इस पर पैसा खर्च करने का प्रयास किया गया। आज भी वह पैसा खर्च नहीं हुआ है। आप पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण कराइये और जिन मंडी समितियों ने जितना पैसा दिया है, उसी के अनुपात में उन पर सड़कों के लिए पैसा खर्च करने का कष्ट करें और जो पहले चाटुकारिता के आधार पर हुआ है, उसको आप समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री जाहिरी लाल त्रिवेदी–

माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसके सम्बन्ध में बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर में मंडी समिति के पास 10 करोड़ रुपया जमा है और किसानों के लिए मैं बराबर लिखता चला आ रहा हूं किन्तु आज तक वहां निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है। जितनी भी मंडियां नगरों और कस्बों में बनाई गई हैं, वहां जो दुकानें व्यापार करने के लिए दी जाती हैं, वह किराये पर दी जाती हैं। मैंने बराबर लिखा है कि मंडी समितियों में जो दुकानें किराये पर दी जाती हैं, उन्हें उन लोगों को मण्डी स्थल पर एलाट करके उसका मौलिक अधिकार उन्हीं को दे दें और उनके पास रुपया न हो तो भवन निर्माण के लिए फाइनेन्स करके उन्हें रुपया दे दें, तो आज जो मंडियां उजड़ रही हैं, वह बच जाएंगी। आज हालत यह है कि कानपुर मंडी समिति में कोई भी व्यक्ति व्यापार चलाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बराबर लिखा है कि आगे कहा है कि मंडी स्थल के अन्दर जो दुकानें बनाकर व्यापारियों को किराये पर दी जाती हैं। वह सही नहीं है। मण्डी स्थल के अन्दर व्यापारियों को जो बड़े व्यापारी हैं उन्हें 500 सौ मीटर द्वितीय श्रेणी को 200 सौ मीटर व छोटे व्यापारियों को 100 गज भूमि आवंटित करके उनके नाम रजिस्ट्री करके मौलिक अधिकार देकर बनाने की शक्ति न होने में उन्हें फाइनेन्स करके मकान व दूकान बनाने के आदेश दे दें तो मण्डी स्थल पूर्ण रूप से आबाद होंगे और किसानों तथा व्यापारियों को सुविधा होगी। आज की दशा में सुधार होगा। इसके साथ मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक का जो प्रस्ताव रखा है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि यह संशोधन इसलिए लाया गया है कि जबसे यह मंडी समिति व्यवस्था लागू हुई है, तब से यह मंडी समिति का चुनाव नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा सके, जो सरकार चली गई है और यह तदर्थ व्यवस्था पर या सरकारी अधिकारियों के हाथों यह चलती थी। जहां तक मंडी शुल्क का सवाल है, वह अब तक हमारी निवर्तमान सरकार की दुर्व्यवस्था के कारण किसानों के हित में नहीं लगा सकी है।

यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि चुने हुए प्रतिनिधि उन स्थानों पर बैठ सकें। सरकारी प्रतिनिधियों के हाथ में सारी व्यवस्था रही जो किसानों से कटौती हुई वह सरकारी अधिकारियों की सुख सुविधा पर खर्च होता रहा। जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इससे यह आभास होता है कि गरीब किसानों की गाढ़ी कमाई की जो कटौती होती है उससे उनके हित का काम होगा। उनके लिए सड़कों का निर्माण होगा, इसके लिए हम आशावान हैं। यह बात विधेयक के शब्दों में नहीं लिखी है, लेकिन उससे यह आभास होता है, यह ध्वनित है कि किसानों के हितों की रक्षा होगी। इस विधेयक से करोड़ों-करोड़ किसानों के लिए कल्याणकारी कदम उठाये जाएंगे और निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार है वह वचनबद्ध है। किसानों से जो कटौती होती है उससे सवाया लगाने को सरकार वचनबद्ध है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि इन समितियों पर बैठाएंगे। यह सरकार का मन है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित कर दें।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक में कार्यकाल बढ़ाने का समर्थन हमने कर दिया, और मंत्री जी ने प्रेरित करके लेक्चर दिलवा दिया। मंत्री जी ने कहा कि चुनाव नहीं हुए, चुनाव नहीं हुए इसकी कृपा से आप उधर बैठ गये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह 30 जून तक समय बढ़ा रही हैं? मंत्री जी जब जवाब दें तो कृपया यह जरूर बता दें कि क्या वह 30 जून तक चुनाव करा देंगे। 1974 में यह जिला परिषद् भंग किए थे तो फिर इन्होंने चुनाव नहीं कराए। कांग्रेस जब सत्ता में आई तब हम लोगों ने चुनाव कराए, तो मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन दें कि दुबारा कार्यकाल बढ़ाने का कोई विधेयक सदन में नहीं लाएंगी, और तीस जून तक के समय में चुनाव करा दिए जाएंगे।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

हमारे वरिष्ठ सदस्य उदल जी, पाण्डेय जी एवं अन्य सदस्यों ने कहा कि मंडी परिषद में धन जमा है, सड़कें ठीक से नहीं बनी हैं जो धन मंडी समिति में जमा है उसका ठीक किस्म से खर्चा हो, और किसानों के हित में उसको खर्च किया जाए, ताकि किसान को लाभ मिल सके। दूसरी बात हमारे वरिष्ठ सदस्य उदल जी ने कहा कि जो मंडियां बन गई हैं वह शहरों के बाहर बनी हैं और वहां काम शुरू नहीं हुआ है, तो इसको हम सख्ती से देखेंगे कि जो मंडियां बन गई हैं वहां कार्य आरम्भ हो। तीसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि भ्रष्टाचार है दुकानों का किराया ले लिया जाता है और जो दुकानों का किराया देते हैं उनको दुकान नहीं दी जाती है, तो उसको भी हम देखेंगे। मंडी परिषद् का भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा। हमारे पंचानन राय जी अभी कह रहे थे, वह जानना चाहते हैं कि 30 जून तक चुनाव करा देंगे? तो मैं कहना चाहती हूं कि चुनाव अभी तक तो कभी हुए नहीं हैं हम कोशिश करेंगे कि 30 जून तक चुनाव हो जाएं ताकि

पंचानन राय जी को कुछ कहने का मौका न मिले।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 व 3, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 30 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1990" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1989 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1989

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती सुरुदा मिश्रा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जो यहां पर विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिसको पहले अध्यादेश की शक्ल में लाना पड़ा वह माननीय मंत्रियों और विधान मण्डल के सदस्यों और परिषद् के सदस्यों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के आवास के संबंध में है । आज ऐसी स्थिति हो गयी थी कि जो नये माननीय सदस्य इस चुनाव में जीतकर आये उनको रहने की बड़ी दिक्कत हो रही थी पर अभी तक यह स्थिति थी कि कोई माननीय सदस्य जीतकर आता था तो उनको रहने के लिये आवास का प्रबंध किया जाता था । माननीय सदस्यों के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम 1980 के अंतर्गत माननीय सदस्यों को आवास की सुविधा प्रदान की जाती है और वह उनमें रहकर अपने विधायी कार्यों को कर सकते हैं । इसी तरह से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत मंत्रियों के जो संवैधानिक कार्य हैं, विधान सभा और विधान परिषद् के जो विधायी कार्य हैं, उनको सम्पादित करने के लिए आवास की सुविधा प्रदान की जाती है । सारा सदन मिलकर माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है । उनको भी रहने की सुविधा दी जाती है ताकि वह यहां रहकर अपने विधायी कार्यों, विधान सभा और विधान परिषद् से संबंधित कार्यों को सम्पादित कर सकें ।

कभी-कभी समाज पीछे हो जाता है तो नियमों के संशोधन करना पड़ता है । समाज में परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है । यदि नियमों में संशोधन न किया जाय तो नियमों के जरिये समाज को संचालित नहीं किया जा सकता है इसलिये परिस्थितियों को देखते हुये, पुराने सदस्य अपने मकान खाली नहीं कर रहे हैं और नये माननीय सदस्यों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं तो यह महसूस किया गया कि नियमावली में संशोधन किया जाय । आजतक जो नियमावली थी वह पुरानी हो गयी थी । उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) का अधिनियम, 1972 में जो प्राविधान दिये गये थे उसमें काफी लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी । और राज्य सम्पत्ति विभाग की तरफ से एक सक्षम प्राधिकारी की तरफ से नियुक्त किया जाता था । वह नोटिस देता था, मुकदमा चलता था, उसके बाद निर्णय होता था और मकान खाली करने के लिए 30 दिन का मौका दिया जाता था, उसके बाद बेदखली की जाती थी । इसमें भी कई माननीय सदस्यों ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें जो मंत्रियों को सुविधा दी गयी है, जो माननीय सदस्यों और माननीय उपाध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष को सुविधा दी गयी है, उसमें केवल यह जोड़ दिया गया है कि जब वह मंत्री न रहें, जब वह विधायक न रहें, जब वह अध्यक्ष न रहें, जब वह उपाध्यक्ष न रहें, तो यह सुविधा समाप्त कर दी जायगी और उनसे जिस प्रकार से विधि सम्मति कार्यवाही आवश्यक होगी, वह कार्यवाही की जायगी । इसमें यह शंका पैदा हो सकती है कि इसमें विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी । बहुत से मंत्री लोग कब्जा किये हुए हैं, बदनसीबी से हार गये हैं और बहुत से लोग यहां लखनऊ में मकान भी बनवा लिये हैं और उसके बावजूद मकान पर कब्जा किये हुए हैं । वे मंत्री नहीं रह गये हैं, तब भी वे उसमें रह रहे हैं । हम लोग इस मान्यता के हैं कि अध्यादेशों के जरिये सरकार को नहीं चलाना चाहते हैं । जो अध्यादेशों के जरिये सरकार को चलाते हैं, वे जन आकाक्षाओं का पालन नहीं करते हैं ।

विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए, विधान सभा के कार्यों को सम्पादित करने के लिए उनको हमें आवास देना आवश्यक था और यह आवास देना विधान सभा में कार्यवाही को निर्विवाद रूप से सम्पादित करना आवश्यक है । चूंकि संविधान में उल्लिखित है कि उन विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए, उन विशेषाधिकारों को निर्विवाद गति से संचालित करने के लिए उसमें किसी तरह की बाधा न पड़े, इसलिए इसमें तात्कालिकता की आवश्यकता थी, इसलिए यह जरूरी हुआ कि यह विधान सभा के सत्र के पहले अध्यादेश की शक्ल में लाया जाय और लाया गया । उसके कारण जो माननीय सदस्य आज निर्विवाद रूप से विधान सभा की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं । मान्यवर, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में जो संविधान में विशेषाधिकार प्रदान किये गये हैं माननीय सदस्यों को उनकी रक्षा करने के लिए यह अध्यादेश को लाना पड़ गया और इसीलिए यह अध्यादेश हम लाये हैं । मैं समझता हूं कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे । उन लोगों को जरूर कुछ तकलीफ हुई होगी जिन लोगों को मकानों से बाहर जाना पड़ेगा यहां यह कठोर काम है, हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना है जनादेश जिनको मिला है उनको वह सुविधा प्रदान करनी है जिसके वह हकदार हैं । इसलिए हमारा निवेदन है सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि जो लोग संवैधानिक कार्यों को सम्पादन करने के लिए आये हैं उनको मकान दिया जाय, उनको सुविधा दी जाय । बेहतर होगा कि जिन लोगों ने अभी तक मकान खाली नहीं किये हैं वह जनहित में मकान खाली कर दें । जिन्होंने अपने मकान बना लिये हैं वह अपने मकान में चले जायं । ताकि हमें माननीय सदस्यों को और मंत्रि परिषद् के सदस्यों को सुविधा प्रदान करने में दिक्कत न हो । इसलिए यह विधेयक लाना पड़ा है इसलिए मैं चाहूंगा कि बगैर भेदभाव के इसको पारित किया जाय ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक 1990 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, विधेयक के मैं पक्ष में हूं । मैं कहना यह चाहता हूं कि विधायकों को मकान आवंटित करने की कोई निश्चित नीति होनी चाहिए जब नयी विधान सभा गठित होती है तो विधायक निवासों में जो दृश्य उपस्थित होता है वह शर्मनाक है विधायकों के लिए भी और विधान मण्डल के लिए भी । जनप्रतिनिधियों की छीव पूरे प्रदेश में धूमिल होती है, कोई बन्दूक से कब्जा करता है कोई ताला तोड़कर कब्जा करता है, कोई गुन्डों के जरिये कब्जा करता है । सब निवास एक समान नहीं हैं । कोई दो मकानों पर कब्जा करता है कब्जा करने की होड़ लग जाती है । मान्यवर, प्रवर समिति का प्रस्ताव मैंने इसीलिए रखा है । जल्दबाजी में एक विधेयक के जरिये, एक अध्यादेश के जरिये एक कानून बनाया गया । सोच समझकर एक सुविचारित नीति होनी चाहिए विधायकों को मंत्रियों को मकान आवंटित करने की । मान्यवर, दिल्ली में सदन की समिति है, वह आवंटित करती है, कोई कब्जा करने जाता ही नहीं । आज एक आदमी को कब्जा मिला राज्य सम्पत्ति विभाग के ऊपर किसी दूसरे ने जाकर धमकाया तो दूसरे को मिल गया । इसलिए जब विधेयक यहां लाया जा रहा है तो विधेयक में सुविचारित नीति होनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए आवंटन की क्या प्रक्रिया होगी क्या बन्दूकों से कब्जा किया जायेगा क्या कोई आधार होगा एक तर्क वाले को कौन मकान मिलेगा, दो टर्म वाले को कौन मकान मिलेगा, 5 टर्म वाले को कौन मकान मिलेगा, राज्य मंत्री को कौन मकान मिलेगा कैबिनेट को कौन मकान मिलेगा इसमें एक यह कमी है इसीलिए मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव किया है ।

दूसरी बात यह है कि विधायक निवासों का रख-रखाव जो है वह बहुत खराब है जहां विधायक निवास करते हैं वहां बहुत गन्दगी है, चारपाई टूटी हुई है, कुर्सी टूटी हुई है, प्लास्टर टूटा हुआ है, सफाई तो है ही नहीं, रख रखाव तो विधायक निवासों का है ही नहीं । मैं विधायक निवासों के बारे में आग्रह करूंगी मंत्री महोदय से, वे इस विभाग के मंत्री तो हैं नहीं, यह तो मंत्री जी की मजबूरी है (व्यवधान) मुख्य मंत्री के पास बहुत से विभाग हैं जब कोई बोलने खड़ा होता है तो बबेला करते हैं कि शायद इसी तरह से मुख्य मंत्री के पास हमारा नाम हो जाय, विस्तार के लिये, वह इस लिये शोर करते हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री के पास 44 मुहकमें हैं ये इस विभाग के मंत्री ही नहीं । भार साधक सदस्य के रुप में मंत्री के रूप में वह इसको लाये हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विधायक निवासों के रख रखावों में सुधार होना चाहिये ।

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अनियमित रूप से किसी आवास में रहता है, अनुचित है, मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है इसलिए कि जिन लोगों के पास किराया बकाया है वह उनकी सम्पत्ति से कुर्क कर वसूल किया जाना चाहिए । यह तरीका गलत है । विधायक नहीं है तो विधायक निवास में रहेंगे, मंत्री नहीं हैं तो मंत्री आवास में रहेंगे ।

इसके अलावा, बल्कि इसी विधेयक में प्राविधान होना चाहिये कि जिनके ऊपर किराया बकाया है, उसे लगान की तरह से उसकी सम्पति से वसूल होना चाहिये ।

इसका इतिहास कहां से हुआ ? जब बी0 के0 डी0 की सरकार बनी और [x x x] मंत्री बने तो बाद में उन्होंने मकान खाली नहीं किया और उसके बाद किराया भी राइट आफ करा लिया । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लिया तो वापस लेता हूं । किसी भी व्यक्ति को विधायक न रहने पर विधायक निवास में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिये । कोई मंत्री नहीं रह गया तो उसे मंत्री के आवास में नहीं रहना चाहिये । इसकी वसूली होना चाहिये । बकाये की वसूली होनी चाहिये । तीसरे बहुत से लोग जो मंत्री थे, विधायक बन गये हैं, वे किराया देना चाहते हैं तो स्टैण्डर्ड किराये पर उनको मकान दे देना चाहिये । चौथे यह विधेयक अध्यादेश की शक्ल में आया । मा0 मंत्री जी संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं । यह विधेयक इसलिये नहीं लाया गया कि मकान दिलाने की जल्दी थी, बल्कि बदले की भावना से लाया गया । इसलिये मैंने आर्डिनेन्स का विरोध किया क्योंकि बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिये । किसी का टेलीफोन अलीगढ़, इटावा में काटा जा रहा है और जो चुनकर आए हैं सुरेन्द्र सिंह चौहान जी उनका टेलीफोन काटा जा रहा है। तो बदले की भावना से नहीं, सुविचारित नीति से विधेयक लाना चाहिये . . (व्यवधान) . मैं कोई अलीगढ़ देखने नहीं गया था । वह कह रहे हैं, बैठे हैं तो एक आदमी की बात का विश्वास करना चाहिये । तो मान्यवर, अखबार में छपा (व्यवधान) आपको अवसर मिल जायगा मंत्री बनने का, थोड़ा धैर्य रखने की क्षमता रखिये । मंत्री बन जाएंगे तो उतावलेपन में खड़े हो जाएंगे । मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा कि यह विधेयक आधा-अधूरा है, सरकार को पूरा विधेयक लाना चाहिये ताकि तुरन्त फिर संशोधन की आवश्यकता न हो । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री ऊदल–

श्रीमन्, मैं यह जो श्री पंचानन राय ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं । इसलिये कि इनको शायद मकान मिल गया है । एक बात और कि इनके दल के लोगों ने जितने कब्जे किये हैं, उसमें से आज तक ज्यादातर कब्जे किये हैं और इनके मंत्री भी कब्जा किये हैं । मान्यवर, मैं आपसे कहने वाला था, श्रीमन्, क्योंकि जो मंत्रीजी एलाट करते हैं कक्ष का, उनसे एक दिन जबानी कहा और दो दिन लिखकर दिया, लेकिन ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी । इसी हाउज में मैं 25 साल रहा, आज तक हाउज बिहीन रहा, आज दूसरे के यहां पड़ा हुआ हूं । एक दिन रात को सचिवालय के लोग तलाशने गये थे, प्रश्न और एजेन्डा देना था। तलाशते-तलाशते सचिव शुक्ला जी के यहां गये तो पता लगा कि राम चंद्र बख्श सिंह जी के यहां 73 नम्बर में देखें तो शायद पता चल जाय । आपके आदमी ने रात 10 बजे कागज पहुंचाए । मुझे कितना कष्ट हुआ होगा । आज तक डेढ़ महीने हो गये, दो तारीख को गजट हो गया, असेम्बली का गठन कर दिया गया, लेकिन आज तक मुझको कक्ष नहीं मिला । इस तरह से मैं समझता हूं कि 40-50 और मा0 सदस्यों को नहीं मिला। मा0 पंचानन राय जी प्रवर समिति में ले जाकर 6 महीने का और समय चाहते हैं । ये चाहते हैं कि लोगों को बगलों से कक्षों से निकाला न जाय । मैं उसका विरोध करता

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हूं और यह जो मा0 मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है, इसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसके पास हो जाने के बाद जो लोग, मैं उनको अनैतिक कहूंगा, अनैतिक तरीके से बंगलों और कक्षों में कब्जा कर रखे हैं उनके खिलाफ मजबूती के साथ कार्यवाही की जाय और उनके ऊपर जो बकाया है उनको वसूला जाय । पुलिस फोर्स लगाकर के उनके सामानों को हटाया जाय और उनको बेदखल किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो विधेयक रखा है यह जरूरी ही नहीं यह अपरिहार्य था । इसको लाना ही चाहिये था । माननीय सदस्य, जो अभी इसे प्रवर समिति को सौंपने की बात कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे सदन के बहुत ही सम्मानित और विद्वान सदस्य हैं । यह प्रवर समिति को सौंपने की बात या तो उन्होंने बड़ी चालाकी से कही है या अज्ञानता से कही है या धूर्तता से कही है । मान्यवर, अज्ञानी यह हो नहीं सकते ? विद्वान सदस्य हैं । इसलिए दो ही बातें या तो उन्होंने बहुत ही इसमें चालाकी दिखायी है या धूर्तता । मुझे कहने में संकोच होता है, यहां हम लोगों को जनता भेजती है, यह कानून के पालक, कानून के बनाने वाले, देश और प्रदेश को मर्यादित ढंग से चलाने वाले यहां आकर के ऐसी स्थिति पैदा करते हैं । यह देखा गया है कि जो नयी सरकार आयी है उसके एक दो मंत्री को छोड़कर किसी भी मंत्री को आवास नहीं मिला । पब्लिक घेरे रहती है, पेशाब और पाखना नहीं जा सकते हैं । खाना नहीं खा सकते हैं । और दूसरी ओर उसी जनता ने, क्या शब्द कहूं, जनता ने जिनको नामंजूर कर दिया, वे लोग उन आवासों में अपना ऐश आराम कर रहे हैं । आप कानून बनाने वाले हैं कानून का पालन करने में आप उससे क्यों हिचकते हैं। यह मान्यवर चालाकी की बात है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारे सामने बैठे माननीय सदस्य कानून का पालन करके नैतिकता के आधार पर तुरन्त वे आवास खाली कर देते । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक लाने की आवश्यकता न पड़ती अगर आप बिना देर किये यह आवास खाली कर देते । इन सब बातों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय पंचानन राय जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेकर, उस चालाकी को समाप्त करके, सर्वसम्मति से इस विधेयक के पास होने का मार्ग प्रशस्त करें ।

*श्री श्याम नारायण तिवारी–

मान्यवर, यह जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मूल रूप से मैं उसका विरोधी नहीं हूं । लेकिन जिस तरीके से इस विधेयक को पेश करने की मंशा है मान्यवर उस पर मुझे शक है और यकीनन मैं इसे कह रहा हूं यह मेरा निवेदन है कि यह व्यवहार बतलाता है कि जब माननीय मंत्रीगण को आजकल जिनके पास आवास का लाभ नहीं है उनको इस विधेयक के बाद आवास का लाभ प्राप्त हो जायेगा यह सारी चीजें जो विधेयक की मंशा है वह अपने आप जुप्त हो जायेगी । हम जब विधायक नहीं थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तब हमने टाइम से अपना आवास खाली कर दिया था, लेकिन देखा कि यहां अब तक लोग पड़े हुए हैं और किसी से कोई वसूली नहीं हुई है। होता यही है कि यह जब अपने आवासों में पहुंच जायेंगे, तब इनके जितने भी देय हैं, वह राइट आफ हो जायेंगे, इसलिये मेरा जोर इस बात पर है कि इनकी मंशा यह है कि इनको आवास जल्दी मिल जायें। ठीक है आवास इनको मिलें लेकिन उसके बाद जो तर्क यहां प्रस्तुत किये गये हैं, उन तर्कों पर उसी प्रकार कार्य भी किया जाय। यह मेरा निवेदन है। मैं विरोध इसलिये करता हूं कि बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं माननीय पंचानन राय जी के दृष्टिकोण को आपके माध्यम से इंगित करना चाहता हूं। यह अपने नाम के अनुसार ही अपनी बात में पांच बातें कहते हैं। पहली बात इन्होंने कही कि सब विधायक अपना आवास खाली कर दें। इनकी यह मान्यता है कि विधायक लोगों ने विधायक निवासों में जो दृश्य उपस्थित किया है वह सर्वथा उचित नहीं है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

हम तो 8 मार्च को ही अपना कमरा खाली कर दिये थे, लेकिन त्रिपाठी जी बाद तक रुके रहे और वह भी इसका समर्थन कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, इन्हें पता नहीं है, मैंने तो तत्काल खाली कर दिया था। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कही है, उनकी मंशा में मुझे संदेह होता है। प्रकारान्तर में वह चाहते हैं कि कुछ मंत्रियों की सिफारिश करें। एक सदस्य ने कहा कि जो लोग स्टेन्डर्ड रेंट दे सकें, उनको आवास दे दिया जाय। मान्यवर, स्टेन्डर्ड रेंट काफी ज्यादा होता है और इनके मंत्रियों की ही हालत ऐसी हो सकती है, जो स्टेन्डर्ड रेंट दे सकते हों, तो वह इन आवासों को छोड़कर कहीं अच्छे बंगले तलाश कर लें। मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन है कि आप एक ऐसी परम्परा स्थापित कर दें, इस वर्तमान विधेयक के माध्यम से, कि कोई मंत्री, कोई विधायक, जनता से तिरस्कृत होने के बाद अपने उन निवासों में न रहने पाये। हमारी वर्तमान सरकार के माननीय मंत्री जी को बड़े संकोच से यह विधेयक यहां लाना पड़ रहा है, मेरा उनसे निवेदन है कि जो आवासों का आवंटन हो, उसके लिये कोई प्रक्रिया या मानदंड निर्धारित कर दें कि किन लोगों को, किस प्रकार की सुविधा मिलेगी। आज जिस तरह बन्दूक की नोक पर कब्जा करने की प्रणाली चल रही है, उसको बन्द किया जाय। इसके साथ ही मैं पुनः इस विधेयक का प्रबल समर्थन करता हूं।

श्री मुईद अहमद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो बिल यहां रखा है, इसके विरोध में मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं इसका समर्थन थोड़े से सुझावों के साथ कर रहा हूं, परन्तु माननीय पंचानन राय जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका भी समर्थन मैं इसलिये कर रहा हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इनके लिये मीठा-मीठा गपो, और कड़ुवा-कड़ुवा थू । जब यह स्वयं हमेशा अनधिकृत रूप से इन मकानों में रहे हैं, आज भी इनके मंत्रियों के ऊपर राज्य सम्पत्ति विभाग का तमाम बकाया पड़ा हुआ है । इनके ही दल के दो विधायक, जो गोमती होटल में रहे हैं, उनके ऊपर 3 लाख 75 हजार रुपये का बकाया है, जो रहने का नहीं है, बल्कि खाने का है । यह इसलिए मैं कह रहा था कि जो कोई आदर्श दिखावे तो पहले वह उस पर स्वयं अमल करे । अपना तो वह अमल न करे और दूसरों के लिए आदर्श और सिद्धांत बतावे । इस कथनी और करनी के अन्तर के कारण मैं खड़ा हुआ हूं । मैं राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ पंक्तियों को उधृत करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

उसका इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री मुईद अहमद–

उसमें लिखा है "इसी के अनुरूप मंत्रियों द्वारा व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर खर्चों में कमी करने और सादगी से जीवनयापन एवं कार्य करने का संकल्प लिया गया है।" यह इन्तज़ार नहीं कर सके, इस अध्यादेश को ले आये । मंत्रियों को जल्दी सुख-सुविधायें मिले, जल्दी से बंगला मिले, इसलिए दूसरों को हटवाया जा रहा है । मैं कहता हूं कि जो अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें आप हटायें ।

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सीमाओं के अन्दर ही बोलें ।

श्री मुईद अहमद–

मैं संशोधन का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आवंटन के लिये आप एक नियम निर्धारित कर दीजिए, विधायकों की सीनियरिटी के हिसाब से जो लोग चुनकर आये हैं, उसी हिसाब से उन्हें आवास दिया जाय । जो लोग स्टेन्डर्ड रेन्ट देकर रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दिया जाय । पहले मंत्रियों को प्राथमिकता दे दी जाय उसके बाद जो संशोधन रखा गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति को इसे सुपुर्द कर दिया जाय।

(नियोजन मंत्री को पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । हमारे श्री पंचानन राय जी ने जो एक सुझाव दिया है कि विधायकों को उनके सीनियरटी के हिसाब से मकान आवंटित करने के लिए कोई निर्धारित नियम बनाने का यह सरकार विचार करेगी ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब किसी भी माननीय सदस्य की बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी । फिर भी आप लोग खड़े हैं । ठीक है, श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी जी खड़े हैं, वह अपनी बात कह लें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि दारूलसफा का कमरा नम्बर–1 है । यह जो अध्यादेश जारी किया गया है कि भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व विधायकों से जबरदस्ती मकान खाली कराया जायेगा, वहीं मंत्री द्वारा व मुख्य मंत्री द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि अभी आप कुछ दिन और न खाली करें । इस प्रकार के जो आदेश आपके द्वारा दिये जा रहे हैं तो फिर इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता है ?

(कई सदस्यों के साथ पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब अन्य किसी की बात, कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी । मैंने मंत्री जी को बुला लिया है ।

(नियोजन मंत्री जी शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें । जब कार्यवाही का भाग ही नहीं बनेगा, तो मा0 मंत्री जी को कोई उत्तर ही नहीं देना है । आप लोग बैठ जायें, मैंने मा0 मंत्री जी को बुला लिया है ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग मेरे निर्देशों का कतई पालन नहीं करते हैं । मैं जितनी ढील देता हूं, उतना ही आप मेरे ऊपर दबाव डालते हैं ।

(घोर व्यवधान)

कोई भी बात इधर की या उधर की कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी ।

*नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

मान्यवर, श्री पंचानन राय जी ने यहां पर एक संशोधन रखा । श्री पंचानन राय जी काफी वरिष्ठ विधायक हैं और उम्र में मुझसे बड़े हैं और तजुर्बेकार भी हैं । उन्होंने दो-तीन सुझाव दिये हैं । एक तो उन्होंने कहा कि विधायक निवासों की स्थिति बड़ी खराब है । आवंटन के लिए कोई आधार सुनिश्चित किया जाना चाहिए । यह उनका सुझाव बहुत अच्छा और समयानुकूल है । शासन इस पर गम्भीरता से विचार करेगा । स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधेयक आवंटन के संबंध में नहीं है, यह बेदखली का विधेयक है । जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है. . .

(कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं ।

यह तो विधेयक है, यह आबंटन के मापदण्ड को तय करने के लिए नहीं है लेकिन जो उनके सुझाव हैं, शासन उन पर गम्भीरता से विचार करेगा । भविष्य में आधार तय किये जायेंगे जिनके आधार पर वरिष्ठ लोगों को कैसे दिया जायेगा । जैसे लोक सभा और राज्य सभा में है इस पर विचार करेंगे लेकिन यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसके बारे में विनम्रता से कहूंगा कि यह बदले की भावना से प्रेरित होकर नहीं लाया गया है । माननीय पंचानन राय जी तो जीत गये हैं । कुछ नहीं कहना है लेकिन पिछली सरकार के बहुत से मंत्री हार गये हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हारे हुए में से एक भी नहीं कह सकता है कि बदले की भावना से कोई कार्य किया गया है। पुराने मंत्रीगण जैसे बल्देव सिंह आर्य जी हैं, लोकपति त्रिपाठी जी हैं और भी कई सम्मानित सदस्य थे। उनकी हार पर कोई खुशी नहीं है कोई भी हार सकता है या जीत सकता है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि बहुत बड़ी जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिये यह कदम उठाया है, इसमें कोई बदले की भावना नहीं है। लोगों के मांग करने पर उनको वैकल्पिक आवास भी दिये गये हैं। बहुत से ऐसे पुराने मंत्री हैं, जिनकी हम भी इज्जत करते हैं। उनके मांगने पर उनको आवास दिये हैं। उनके नाम नहीं बताना चाहता हूं। यह एक समस्या है, जिसको पूरा करने की जरूरत है। नाम लेना अच्छा नहीं है। माननीय पंचानन राय जी ने नाम लिये हैं, नाम नहीं लेना चाहिये। परिस्थितियों का विश्लेषण किसी आचार संहिता में बंधकर नहीं किया जा सकता है। किसी को जरूरत है, बुजुर्ग लोग हैं, किसी का परिवार रह रहा है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने आवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वैकल्पिक आवास भी उपलब्ध कराये हैं। लेकिन कहना यह है जो मकान जिन व्यक्तियों या सम्मानित सदस्यों के लिये बने हुए हैं उनको वह मिलने चाहिए, हां, जो लोग पहले से उनमें रह रहे हैं उनके लिये हम दूसरे मकान दिये जाने पर विचार कर रहे हैं। आज जरूरत हो गयी है इसलिये ऐसा किया जा रहा है। जो लोग बड़े बंगले में रहते आये हैं उनको उससे छोटे बंगलों में जाने में तकलीफ तो होगी ही और होती है, लेकिन वक्त के साथ चलना चाहिये यही वक्त का तकाजा है।

दूसरे बड़े-बड़े बंगले मंत्रियों को इसलिए मिलते हैं, मा0 प्रमोद कुमार तिवारी स्वयं जानते हैं कि मंत्रियों से मिलने के लिये हर समय 50, 100 लोगों की भीड़ लगी रहती है, उस भीड़ से मंत्री को बात भी करनी पड़ती है प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लोग आते हैं, उनके साथ बात भी करनी होती है और समय भी गुजारना पड़ता है। इसी संबंध में विचार करके आपके सामने यह विधेयक लाया गया है जो साथी आज मंत्रि परिषद् के सदस्य नहीं हैं विधायक भी नहीं हैं, वह इस तरह का आचरण प्रस्तुत कर दें कि किसी नियम या कानून से गिरफ्तार हो कर हमको ऐसा कोई कदम न उठाना पड़े और इस तरह का कदम उठाने के लिये हमको विवश न होना पड़े। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारियों और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मंडल अधिकारी और सदस्य सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री, और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री, और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायेगा ।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 4 का संशोधन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपनन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(1—क) प्रत्येक मंत्री जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में निवास-स्थान की व्यवस्था की गई हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास-स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मंत्री" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो मंत्री न रह गया हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मंत्री का दर्जा दिया गया था ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 16 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 16 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(1—क) प्रत्येक सदस्य जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में आवास की व्यवस्था की गयी हो,

उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए 'सदस्य' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सदस्य न रह गया हो ।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 4 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 में, वर्तमान धारा 4 की संख्या बदलकर उसकी उपधारा (1) कर दी जायगी और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

''(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे निवास स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस निवास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो ।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1989

5--(1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1989, एतद्-द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अंतर्गत कुल 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली श्री चन्द्रभान मौर्य की दूसरी सर्वश्री हरिशंकर तिवारी, भोला नाथ तथा गुलाब सिंह की तीसरी श्री सुन्दर लाल बाराबंकी चौथी श्री कुंवर सिंह नेगी की पांचवीं डा0 दिनेश जौहरी की छठी श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और सातवीं श्री पंचानन राय की जिनमें से पहली सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की स्वीकार की गयी है शेष अस्वीकार की गई हैं ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
15 जनवरी, 1990

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 90 के 1ले सोमवार के लिये निर्धारित श्री पंचानन राय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–5 का संलग्नक :–

1–जियनपुर-मुबारकपुर से बेरमा:–

इस मार्ग के 2 कि0 मी0 लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत मिट्टी स्तर तक का कार्य कराया गया है । मार्ग पर 2 कि0 मी0 लम्बाई में खड़न्जा स्तर तक का कार्य वर्ष 89-90 की जिला योजना में स्वीकृत किया जा चुका है । प्रथम कि0 मी0 में खड़न्जा पूर्ण है । शेष लम्बाई में सोलिंग का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

2–बिलरियागंज-रौनापार से महाजासिधवारा–

इस मार्ग पर 1.50 कि0 मी0 की लम्बाई में मिट्टी स्तर का कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में कराया गया था । इस पर खड़ंजा का कार्य वर्ष 88–89 की जिला योजना में स्वीकृत हुआ है । सोलिंग का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

3–लाटघाट-नरहनखान से भरौली–

इस मार्ग के 4 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी स्तर तक कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत कराया गया था । 4 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है । सीमित संसाधन के कारण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है । सोलिंग का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

4–रौनापार-अमिला से हाजीपुर का शेष भाग–

इस मार्ग के 1.50 कि0 मी0 लम्बाई में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 88–89 में खड़ंजा स्तर तक का कार्य स्वीकृत है जिस पर सीमित संसाधन के कारण कार्य नहीं कराया गया है । सोलिंग का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

5–रजादेपुर-हरैया मार्ग से रौनापार अमिला–

इस मार्ग पर 2 कि0 मी0 की लम्बाई में मिट्टी का कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत किया गया था । इसी पर खड़ंजा स्तर तक का कार्य जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 88-89 में स्वीकृत हुआ है । जिसमें से 1.5 कि0 मी0 लम्बाई में खड़ंजे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

6–बाजार गोसाई-रौनापार से सियरही–

इस मार्ग पर 2 कि0 मी0 की लम्बाई में सूखा योजना के अन्तर्गत मिट्टी स्तर तक का कार्य कराया गया था । खड़न्जा स्तर तक कार्य जिला योजना वर्ष 88-89 के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था । सीमित संसाधन के कारण कार्य नहीं कराया गया है । कार्य पूर्ण करना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

7—रौनापार-अमिला से बिलबिली—

इस मार्ग पर 2 कि0 मी0 की लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी स्तर तक का कार्य स्वीकृत है। इसमें 1 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक का कार्य पूर्ण है। शेष 1 कि0 मी0 में सोलिंग का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

8—रौनापार-त्रिमुहानी मार्ग—

इस मार्ग पर 7 कि0 मी0 की लम्बाई में मिट्टी स्तर तक का कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। जिसमें से 4 कि0 मी0 तक मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। मिट्टी का शेष कार्य एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर निर्भर है। खड़ंजे स्तर तक का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

9—बिलरियागंज-रौनापार से मऊकुतुबपुर मार्ग—

इस मार्ग के 3 कि0 मी0 की लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी स्तर का कार्य स्वीकृत था। मिट्टी का कार्य पूर्ण है। खड़ंजे स्तर तक का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

10—लाटघाट-सतना मार्ग से काजी की डिबलिया—

इस मार्ग पर 1 कि0 मी0 की लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है। खड़ंजा स्तर तक का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

11—रजावेपुर-अजमतगढ़ से बरडीहा मार्ग—

इस मार्ग के 3.8 कि0 मी0 की लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी स्तर तक का कार्य पूर्ण है। खड़ंजा स्तर तक का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

12—आजमगढ़-दोहरीघाट मार्ग से बत्तपुर-चकिया कोटवा मार्ग—

इस मार्ग पर 3 कि0 मी0 लम्बाई में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य पूर्ण है। खड़ंजा स्तर तक का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

विकास खण्ड हरैया

उन ग्राम सभाओं की सूची जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं :—

क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम	क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम
1	बनहरा छपरा	28	आ0 न।0 करखिया
2	बगई कपूर	29	सिधवारा बंजरिया
3	कल्यानपुर वधरखा	30	चिलबिली दान चिलबिली
4	पिहारे	31	देवसिया
5	रसूलपुर	32	सीन बुंजुर्ग
6	जमीन बेलकुण्डा	33	इसरा सैदवली
7	बनावे	34	बछउर नवली
8	हांसपुर	35	बछउर खुर्द
9	सेवरा कुण्ड	36	शमिचरां टाड़ी
10	करैला	37	बृहमौली ध्यान
11	अचलनगर	38	जमृसीमान
12	देवरागरीब भिक्षुक	39	सरगहां सागर
13	देवारा बत्तीराम सरन दूबे	40	भदौरामकरन्द
14	सहवारिया सुल्तानपुर	41	जमुवारी
15	दामपुर सुरैना	42	अम्मनपट्ठी
16	करीमगंज फूलमान	43	करमैनी
17	आजगरा मंजवीं	44	पक्खोपुर
18	अराजी अजगरा मगवीं	45	औहरा सलेमपुर
19	शाहडीह	46	हिरपुर बड़ावर
20	तुलापुर पोखरा	47	बैजवारी
21	सीवान	48	रौला एकवन
22	परेवा रूद्रपुर	49	सुरहदपार पटना
23	पहाड़पुर मक्खापुर	50	रैचन्द वालाजानी
24	सेठी कोली	51	पूराबाल नारायन मझरिया
25	खैरघट	52	चन्दापार
26	सिरही मनोरथ	53	बहावन मुइयावार
27	अखईपुर अहिरौली	54	अजुवाकुरसौली

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

विकास खण्ड अजमतगढ़ के ग्राम सभाओं का नाम जहां परिषदीय प्राइमरी स्कूल नहीं है :-

क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम	क्र0सं0	ग्राम सभा का नाम
1	मुहम्मदापुर जमीन	34	टकनपुर
2	भदायें	35	अतुवा
3	रमलीपुर	36	कोड़रा
4	कठैया	37	चौकी बुजुर्ग
5	पारीपट्टी	38	मिश्रपुर
6	राजू पट्टी	39	अतरकला
7	काकिलपुर	40	अम्मा आइमा
8	तरकौली	41	बरडीहा
9	देवाधार	42	अलीपुर
10	पतार	43	सुखमदत्तनगर
11	खतीनपुर	44	इसरहा
12	दाऊदपुर	45	जमीन नहरन
13	धवरहरा	46	नरहन खास
14	नत्थूपुर	47	बेलसर
15	कसड़ा आइमा	48	कटाई अलीमुद्दीन
16	चक अजीज	49	जमीन मेघाई
17	चांदपार	50	भेवईखास
18	चुन्नापार	51	देऊपुर
19	अल्लीपुर	52	रसूलपुर
20	जोंगियावर	53	इमलिया
21	वासूपार बनकट	54	हरई इस्माईलपुर
22	भोलनापुर कोड़ारी	55	साल्हेपुर
23	समुन्दरपुर	56	जमालुद्दीनपुर
24	आलेभापुर	57	जहरूद्दीनपुर
25	डोलीपुर	58	बनैरा मैनापट्टी
26	शाहपुर नेवादा	59	सोकहना अइमा
27	जमीन हरखोरी	60	सोकहना खालसा
28	पूनावार	61	भुवना खुर्द
29	ब्रह्मपुर	62	विसुनपुर
30	हरखोरी	63	सिकरौरा
31	लाटघाट	64	अभरीशेखपुर
32	खांड	65	हरनाई
33	जमसर		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, मा0 विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर का संलग्नक

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद के विवरण	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6
	कुमायूं मण्डल				
1	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	4			
2	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	1	1	अधीक्षण अभियन्ता, 29वां वृत्त, हल्द्वानी	12/86 से
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	22	2	1 ..अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड, लोहाघाट	7/89 से
				2 ..अधिशासी अभियन्ता तकनीकी कोष्ठ-13, अल्मोड़ा	8/89 से
4	अधिशासी अभियन्ता (वि0/यां0)	3	1	अधिशासी अभियन्ता विद्युत यांत्रिक खंड, अल्मोड़ा	8/89 से
5	सहायक अभियन्ता (सिविल)	80	10	विभिन्न खण्डों में	8/86 से समय-समय पर
6	सहायक अभियन्ता, (वि0/यां0)	14	4	--	---
7	अवर अभियन्ता	449	128	वर्ष 1982--83 से समय-समय पर विभिन्न खण्डों में पद रक्त होते रहे हैं।	
	गढ़वाल मण्डल				
1	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	7	4	1--अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन) पौड़ी	7/88 से
				2---अधीक्षण अभियंता 36वां वृत्त, पौड़ी	7/88 से
				3 ---अधीक्षण अभियंता 63वां वृत्त लेन्सडाउन	5/89 से
				4 -- अधीक्षण अभियन्ता, 13वां वृत्त, उत्तरकाशी	8/89 से
2	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)		1	अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) 49वां वृत्त, देहरादून।	2/87

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
3	अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	33	4	1---अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी	7/8 से
				2 ---वैयक्तिक सहायक क्षेत्रीय कार्यालय, पौड़ी	9/89 से
				3 ---अधिशासी अभियन्ता, भवन मूल्यांकन खंड, टिहरी	6/88 से
				4 ---अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, बैजरों	1/90 से
4	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	4	--		
5	सहायक अभियन्ता (सिविल)	134	52	विभिन्न खंडों में समय/समय पर	8/88 से
6	सहायक अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक)	20	7	---	
7	अवर अभियन्ता	738	212	वर्ष 1982-83 से समय-समय पर विभिन्न खण्ड में पद रिक्त होते रहे	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 423 विधान सभा (423)—1990--813 ।